Monday, 05 December, 1966

लोक-सभा वाद-विवाद

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

3rd

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

Preservation Unit
6-7-92
Fumigated
On 1.1.84
Parliament Library

[खंड 61 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. LXI contains Nos. 11—20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee.

[यह लोक-सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनुदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिये गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi.]

विषय–सूची/CONTENTS

अंक 24, सोमवार, 5 दिसम्बर, 1966/14 अग्रहायण, 1888 (शक)
No. 24-Monday, December 5, 1966/Agrahayan 14, 1888 (Saka)

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
केरल में बिजली के फेल होने के बारे में	Re. Failure of Electricity in Kerala	3008
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	3008—10
राज्य सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha	3010
विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति	President's Assent to bill	3010
कीटनाशी विधेयक	Insecticides Bill	3010
(1) संयुक्त समिति का प्रतिवेदन	(i) Report of Joint Committee	3010—11
(2) साक्ष्य	(ii) Evidence	3011
1967 के सामान्य निर्वाचनों, के कार्य क्रम के बारे में वक्तव्य	Statement re: Programme for General Elections, 1967.	3011
श्री गोपाल स्वरूप पाठक	Shri G. S. Pathak	3011—13
कनाडा से खाद्य सहायता के बारे में वक्तव्य	Statement re: Food Aid from Canada	3017
श्री चि० सुब्रह्मण्यम	Shri C. Subramaniam	3017—18
कच्ची रुई की सम्भरण स्थिति के बारे में वक्तव्य पर प्रश्न	Questions on Statement Re : Raw Cotton supply situation	3018—22
ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)	Re - Calling Attention Notice (Query)	3022
मंत्रियों पर लगाये गये आरोपों की जाँच के बारे में	Re : Enquiry into Allegations against Ministers	3022—27
चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नात कोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़. विधेयक	Post Graduate Institute of Medical Education and Research, Chandigarh Bill	3027—30
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider, as passed by Raiya Sabha	3028
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	3027
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayyar	3027—28
खण्ड 2 से 25 तथा 1	Clause 2 to 25 and 1	3028
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to Pass	3028
श्री अ० सि० सहगल	Shri A. S. Saigal	3030
डा० सुशीला नायर	Dr. Sushila Nayar	3028

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
बीज विधेयक	Seeds Bill	
राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to Consider as passed by Rajya Sabha and as reported by Select Committe	3030 3031
श्री श्यामधर मिश्र	Shri Shyam Dhar Misra	3031—32
श्री रंगा	Shri Ranga	3032—34
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Misra	3034
श्रीमती विमला देशमुख	Shrimati Vimla Deshmukh	
श्री सरजू पाण्डेय	Shri Sarjoo Pandey	3035—36
श्री हुकमचन्द कछवाय	Shri Hukam Chand Kachhayaiya	3037
श्री गजराज सिंह	Shri Gajraj Singh Rao	3037
श्री श्री नरायण दास	Shri Shree Narayan Das	3038
श्री हु० च० लिंग रेड्डी	Shri H. C. Linga Reddy	3038
श्री फ० गो० सेन	Shri P. G. Sen	3039
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	3039
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma	3039
श्रीमती जौहराबेन चावड़ा	Shrimati Joharban Chavda	3040
खण्ड 2 से 25 तथा 1	Clause 2 to 25 and 1	3041—62
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass, as amended	3041
श्री विभूति मिश्र	Shri Bibhuti Misra	3042
श्री श्यामधर मिश्र	Shri Syam Misra	3046
विद्यार्थियों की समस्याओं तथा निरुद्ध राजनैतिक कार्यकर्ताओं के बारे में सरकार के रुख के बारे में वक्तव्य	Statement Re: Government Approach to Student Problem and detained Political Workers	3062
श्री यशवन्त चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	3062
पेटेंट विधेयक वाद-विवाद थगित हुआ	Patents Bill - debates adjourned	3063—64
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider, as reported by Joint Committee	3064
श्री विभुधेन्द्र मिश्र	Shri Bibhuti Misra	
विधेयक पर वाद-विवाद स्थगित करने का प्रस्ताव	Motion to adjourn debates on Bill	3064
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	3064

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7 नवम्बर, 1966 को दिल्ली में घटनाओं तथा गोवध पर रोक लगाने के बारे में प्रस्ताव	Motion Re: Incidents in Delhi on 7th November and Baninng of Cow-Slaughter	3064
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi	3065—66
डा० गोविन्द दास	Dr. Govind Das	3066
श्री कृष्णपाल सिंह	Shri Krishnapal Singh	3071
श्री नि० चं० चटर्जी	Shri N. C. Chatterjee	3072—73
श्री हरिश्चन्द्र माथुर	Shri Harish Chandra Mathur	3073—74
श्री यशवन्तराव चव्हाण	Shri Y. B. Chavan	3075—77
श्री बारूपाल	Shri Barupal	3077
श्री नम्बियार	Shri Nambiar	3077
श्री बाकर अली मिर्जा	Shri Bakar Ali Mirza	3077
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva	3078
श्री वासुदेवन नायर	Shri Vasudevan Nair	3074—79
श्रीमती सहोदरा बाई राय	Shrimati Sahodra Bai Rai	3079
श्री बागड़ी	Shri Bagri	3080
श्री त्यागी	Shri Tyagi	3080
श्री अ० प्र० शर्मा	Shri A. P. Sharma	3081
श्री काशीराम गुप्त	Shri Kashi Ram Gupta	3081
श्री रघुनाथ सिंह	Shri Raghunath Singh	3081
श्री नरेन्द्र सिंह महीडा	Shri Nerandra Singh Mahida	
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	Calling Attention to Matter of Urgent Public Inportance	3067
केवल राज्य बिजली बोर्ड के निष्पादन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल	Proposed strike of Executive Employees of Kerala State Electricity Board	3067
श्री वारियर	Shri Warrior	3067
श्री कु० ल० राव	Shri K. L. Rao	3068
कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा के बारे में आधे घंटे की चर्चा	Half-an-Hour Discussion Re: Primary Education in Calcutta	3069
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	3069—70
श्री भक्त दर्शन	Shri Bhakt Darshan	3070

लोक-सभा
LOK SABHA

सोमवार, 5 दिसम्बर 1966/14 अग्रहायण, 1888 (शक)

Monday, December 5, 1966/Agrahayan 14, 1888 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Speaker in the Chair]

केरल में बिजली के फेल होने के बारे में
RE : FAILURE OF ELECTRICITY IN KERALA

अध्यक्ष महोदय : केरल में बिजली के फेल होने के बारे में दिये गये ध्यान दिलाने की सूचना को मैंने स्वीकार कर लिया है । मंत्री महोदय कुछ समय लेना चाहते थे । अतः हम उसे छः बजे लेंगे ।

श्री शिव नारायण (बोसी) : हो सकता है उस समय गणपूर्ति न हो ।

श्री नम्बियार (तिरुचिपल्लि) : गणपूर्ति होगी ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्ज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन तथा अन्य कागजात

पेट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री अलगेसन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) (एक) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उप-धारा (1) के अन्तर्गत हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाईड्ज लिमिटेड, नई दिल्ली के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन एक प्रति तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) उक्त कम्पनी के कार्य की सरकार द्वारा समीक्षा । [**पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 7515/66**]

परिसीमन आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आदेश

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :

श्री चे० रा० पट्टाभिरामन की ओर से मैं, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 की धारा 25 की उप-धारा (4) द्वारा व्यवहृत रूप में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 की धारा 10 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं

(एक) हिमाचल प्रदेश के संघ राज्य क्षेत्र में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 19 जो दिनांक 21 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3524 में प्रकाशित हुआ था।

(दो) पंजाब राज्य में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश संख्या 13 जो दिनांक 25 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3599 में प्रकाशित हुआ था।

(तीन) हरियाना राज्य में संसदीय तथा विधान सभा के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के बारे में परिसीमन आयोग का आदेश जो दिनांक 25 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3600 में प्रकाशित हुआ था। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० 7516/66**]

अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिलिप्यधिकार (छठा संशोधन) आदेश

शिक्षा मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री भक्त दर्शन) :

मैं प्रतिलिप्यधिकार अधिनियम, 1957 की धारा 43 के अन्तर्गत अन्तराष्ट्रीय प्रतिलिप्य-धिकार (छठा संशोधन) आदेश, 1966 की एक प्रति, जो दिनांक 26 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3604 में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7517/66**]

अतारांकित प्रश्न में शुद्धि करने वाला विवरण

वित्त मंत्रालय में उप.मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) :

मैं, जीवन बीमा निगम के बारे में श्री ईरा संभियान के अतारांकित प्रश्न संख्या 2057 के 11 अगस्त, 1966 को दिये गये उत्तर में शुद्धि करने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 7518/66**]

भारत-सोवियत संघ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत औषधीय पौदों के अनुसन्धान के आयोजन के अध्ययन के बारे में प्रतिवेदन

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

श्री व० सू० मूर्ति की ओर से मैं अतारांकित प्रश्न संख्या 2983 के उत्तर में 1 दिसम्बर, 1966 को स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन उप-मंत्री द्वारा दिये गये वचन के अनुसरण में, आलयूनियन रिसर्च इन्स्टीट्यूट आफ मैडिसिनल एण्ड एरोमेटिक प्लांटस, विलार (मास्को) में औषधीय पौदों के

अनुसंधान के आयोजन और सोवियत संघ में चिकित्सा प्रायोजनों के लिए उनकी काश्त और उनके उपयोग सम्बन्धी अध्ययन के विषय में, जो डा० सी० द्वारकानाथ सलाहकार, देशी औषधि प्रणाली, स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन मंत्रालय (स्वास्थ्य विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली, द्वारा 14 से 29 सितम्बर 1966 तक 1966 के लिए भारत-सोवियत संघ सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अन्तर्गत किया गया था, प्रतिवेदन, की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7519/56**]

अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शिन्दे) :

मैं अत्यावश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उप-धारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1807 की एक प्रति, जो दिनांक 22 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, सभा पटल पर रखता हूं। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 7520/66**]

राज्य सभा से सन्देश
MESSAGE FROM RAJYA SABHA

सचिव : मुझे राज्य सभा से प्राप्त निम्नलिखित सन्देशों की सूचना देनी है :

(एक) कि लोक-सभा द्वारा 24 नवम्बर, 1966 को पास किये गये विनियोग (संख्या 4) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 24 नवम्बर, 1966 को पास किये गये विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 1966 के बारे में राज्य-सभा को लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(तीन) कि कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 324 (1) के अन्तर्गत प्रारूप अधिसूचना में रूपभेद करने के लिए लोक-सभा द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव से राज्य-सभा ने अपनी 3 दिसम्बर, 1966 की बैठक में सहमति प्रकट की।

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति
PRESIDENT'S ASSENT TO BILL

सचिव : मैं, चालू सत्र में ससद् की दोनों सभाओं द्वारा पारित किये गये पुलिस बल (अधिकारों का निबन्धन) विधेयक, 1966, जिस पर 2 नवम्बर, 1966 को सभा में पिछली बार प्रतिवेदन देने में पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई थी, सभा-पटल पर रखता हूं।

कीटनाशी विधेयक
INSECTICIDES BILL

संयुक्त समिति का प्रतिवेदन

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं मानव-प्राणियों या कशेरुकीय जीव-जन्तुओं के

खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी के आयत, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियम करने वाले और तत्सम्बन्धित विषयों सबंधी विधेयक सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

साक्ष्य

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा (आनन्द) : मैं मानव-प्राणियों या कशेरुकीय जीव-जन्तुओं के खतरे का निवारण करने की दृष्टि से कीटनाशी के आयात, विनिर्माण, विक्रय, परिवहन, वितरण और उपयोग का विनियमन करने वाले और तत्सम्बन्धित विषयों सम्बन्धी विधेयक संबंधी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के समक्ष दिये गये साक्ष्य की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ।

1967 के सामान्य निर्वाचन, के कार्यक्रम के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : PROGRAMME FOR GENERAL ELECTIONS, 1967

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) :

जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, यह सदन 18 अप्रैल, 1962 को प्रथम बार अधिवेशन के लिए आहूत किया गया था, और तदनुसार, इसके पांच वर्ष कार्यकाल का अवसान 17 अप्रैल, 1967 को हो जाएगा। नागालैंड और जम्मू- कश्मीर के सिवाय, सभी राज्यों की वर्तमान विधान सभाओं की अवधि का अवसान, 1967 के मार्च मास में भिन्न-भिन्न तारीखों को होने वाला है । यद्यपि नागालैंड राज्य की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, मार्च, 1969 तक नहीं होता है, तथापि लोक-सभा में इसे आवंटित स्थान को भरने के लिए इस राज्य में निर्वाचन कराना पड़ेगा । जम्मू-कश्मीर में, विधान सभा की अवधि 5 अप्रैल, 1967 को समाप्त होगी ।

निर्वाचन आयोग, भारत सरकार और राज्य सरकारों से परामर्श करने के पश्चात्, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि आगामी वर्ष में सारे देश में एक साथ होने वाले साधारण निर्वाचनों में मतदान कराने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक समय फरवरी का तृतीय सप्ताह होगा । तदनुसार, राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों से यह सिफारिश करने की आयोग की प्रस्थापना है कि साधारण निर्वाचनों के लिए समाहवान-अधिसूचनाएं निकालने की तारीख 13 जनवरी, 1967 हो । जिस कार्यक्रम का वह अनुसरण करना चाहता है, वह इस प्रकार है :—

नाम निर्देशनों के लिए अंतिम तारीख	20 जनवरी
नाम निर्देशनों की समीक्षा	21 फरवरी
अभ्यर्थिताएं वापिस लेने के लिए अन्तिम तारीख	23 जनवरी
मतदान	15 से 21 फरवरी

मतों की गणना और निर्वाचन फलों की घोषणा 21 और 24 फरवरी के बीच होगी । आयोग को आशा है कि इस कार्यक्रम के आधार पर, कतिपय अपवादों और उन अनवेक्षित आकस्मिकताओं को छोड़कर, जिनमें मतदान स्थगित करना पड़े, लगभग सभी निर्वाचन फल 24 फरवरी तक घोषित कर दिये जायेंगे ।

जम्मू-कश्मीर राज्य में, यह पहला अवसर होगा जब कि लोक सभा और राज्य विधान सभा के लिए एक ही साथ निर्वाचन कराए जायेंगे। अब तक, इस राज्य के लोक सभा से सदस्य, राज्य विधान-मंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाते रहे हैं। निर्वाचन आयोग, जम्मू प्रान्त में उसी समय जब कि शेष भारत में भी निर्वाचन होंगे, मतदान कराने और कश्मीर प्रान्त में 19 मार्च को मतदान कराने की प्रस्थापना करता है। यह उस राज्य की विधान सभा के लिए 1962 में हुए साधारण निर्वाचन के लिए किए गए इंतजामों जैसा ही होगा।

हिमाचल प्रदेश के बारे में आयोग का विचार है कि 15 और 21 फरवरी के बीच की कालावाध के दौरान, चार संसदीय निर्वाचन-क्षेत्रों अर्थात् शिमला, हमीरपुर, कांगड़ा और मण्डी में पूर्णतः मतदान और दूसरे दो निर्वाचन- क्षेत्रों महासू और चम्बा में भी भागतः मतदान कराना संभव होगा। महासू और चम्बा संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के अन्तर्गत आने वाले लगभग 7 या 8 विधान सभा निर्वाचन-क्षेत्रों में मतदान, अप्रैल के अन्तिम सप्ताह तक मुल्तवी करना पड़ेगा, क्योंकि फरवरी के महीने में वहां बर्फ जमी रहती है। किन्तु, आयोग इन निर्वाचन-क्षेत्रों में भी अप्रैल, 1967 के अन्त तक, मतदान पूरा कराने और निर्वाचन-फल घोषित करने के लिए विशेष इन्तजाम कर रहा है जिससे कि इन निर्वाचन-क्षेत्रों से निर्वाचित सदस्य, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचनों में भाग ले सकेंगे।

इस कार्यक्रम के आधार पर, निर्वाचन आयोग की यह प्रस्थापना है कि राज्य विधान सभाओं के लिए निर्वाचन पूरे करने की तारीख 24 फरवरी नियत की जाए। तभी आयोग के लिए संभव हो सकेगा कि वह 25 फरवरी, 1967 को, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 73 के अधीन उस तारीख तक निर्वाचित सदस्यों के नामों की अधिसूचनाएं निकाले और तद्द्वारा राज्यों की नई विधान सभाएं सम्यक रूप से गठित हो जाएं।

जहां तक लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन का सम्बन्ध है, अधिकतर निर्वाचन-क्षेत्रों में निर्वाचन फल यद्यपि 25 फरवरी तक घोषित कर दिए जाने की सभाव्यता है, तथापि यह साध्य प्रतीत नहीं होता कि मार्च के उत्तरार्ध में संसद का एक छोटा सा सत्र न किया जाए। प्रस्थापना यह है कि 1957 और 1962 की ही भांति, वर्तमान लोक सभा का विघटन 31 मार्च, 1967 को ही किया जाना चाहिए जिससे कि उसे, न्यूनतम वित्तीय कामकाज संव्यवहृत करने, जैसे कि रेलवे और साधारण बजट प्रस्तुत करने और आवश्यक लेखानुदान अभिप्राप्त करने के लिए, मार्च के उत्तरार्ध में अधिवेशन के लिए आहूत किया जा सके। तदनुसार, लोक सभा के लिए साधारण निर्वाचन के पूरे होने की तारीख 31 मार्च, 1967 अधिसूचित की जाएगी और अधिनियम की धारा 73 के अधीन सम्यक गठन की अधिसूचना 3 अप्रैल, 1967 को निकाली जाएगी।

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की पदावधि का अवसान 12 मई, 1967 को होगा। संविधान की यह अपेक्षा होने के कारण कि नए राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन उस तारीख से पहले पूरे हो जाने चाहिए, आयोग की यह प्रस्थापना है कि इन दो निर्वाचनों को लगभग 1962 के कार्यक्रम की भांति ही कराया जाए। इन दो निर्वाचनों के लिए समाह्वान-अधिसूचनाएं, 6 अप्रैल, 1967 को या उसके आसपास निकाली जाएंगी; यदि आवश्यक हुआ, तो मतदान 7 मई को

या उसके आसपास कराया जाएगा और निर्वाचन फल 10 मई, 1967 तक घोषित कर दिए जाएगे।

आप कृपया मुझे प्रस्तावित नियमों के बारे में एक वक्तव्य देने की अनुमति प्रदान करें। मैंने सभा में कहा था कि लोक प्रतिनिधित्व विधेयक को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये जाने पर मैं नियमों को सभा पटल पर रखूंगा। अतः उस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित किये जाने तथा राष्ट्रपति द्वारा अनुमति दिये जाने पर मैं नियमों को सदस्यों में परिचालित करूंगा।

श्री मी० क० मसानी (राजकोट) : हिमाचल प्रदेश में चम्बा और महासू निर्वाचन क्षेत्रों में कुछ स्थानों के लिए चुनाव फरवरी में और शेष कुछ स्थानों के लिए अप्रैल में चुनाव करवाने की जो व्यवस्था की गई है, वह उचित प्रतीत नहीं होती क्योंकि यह एक व्यापक तथा स्वस्थ सिद्धान्त है कि आंशिक रूप से किये गये चुनावों के परिणामों का प्रभाव अन्य चुनावों पर नहीं पड़ना चाहिए। जैसा कि माननीय मंत्री ने वक्तव्य दिया है, उसके अनुसार तो अप्रैल तक वहां केवल आधे निर्वाचन-क्षेत्रों में ही चुनाव हो पायेंगे, यह सर्वथा अनुचित है। सभी निर्वाचन-क्षेत्रों को एक एकक मानकर एक ही अवधि में चुनाव होने चाहिए, यदि वहां सभी चुनाव अप्रैल ही में करवाये जायें, तो उससे कोई हानि नहीं होगी। अतः मंत्री महोदय को इस मामले पर पुनः विचार करना चाहिए।

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं नहीं समझता कि 'पंगु हंस सत्र' बुलाना आवश्यक है। जम्मू तथा काश्मीर के कुछ निर्वाचन-क्षेत्रों को छोड़कर, देश के सभी निर्वाचन क्षेत्रों के चुनावों के परिणाम 25 अथवा 26 फरवरी, 1967 तक घोषित हो जायेंगे और सरकार को नई संसद की बैठक बुलाने में कोई कठिनाई नहीं होगी। मैं समझता हूं पंगु हंस (लेम डक) सत्र बुलाने जब की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि विनियोग तथा लेखानुदान सम्बन्धी चर्चा कुछ समय बाद नियमित सत्र में की जाती है तो फिर इस सत्र में भी यही चर्चा करने की क्या जरूरत है।

दूसरी बात यह है कि हमने निर्वाचन अधिकारियों के सम्बन्ध में यह सुझाव दिया है कि निर्वाचन अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं बल्कि न्यायिक अधिकारियों को बनाया जाना चाहिए और वे स्थानीय अधिकारी नहीं होने चाहिए। इसी के साथ चुनावों के दौरान पुलिस में अनुशासन बनाये रखने के सम्बन्ध में भी गृह-कार्य मंत्री को कुछ सुझाव दिये गये थे जिससे कि पुलिस निष्पक्ष रूप से बर्ताव करे। मैं विधि मंत्री से इन उक्त सुझावो पर की गई कार्यवाही के बारे में जानना चाहता हूं।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : क्या स्वतन्त्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने की दृष्टि से निवारक निरोध तथा भारत रक्षा नियम, जो अब भी सीमान्त क्षेत्रों में लागू है, के अधीन नजरबन्द तथा गिरफ्तार किये गये राजनैतिक कैदियों को रिहा किया जायेगा ?

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : मैं यह जानना चाहता हूं कि :

क्या आगामी चुनावों में पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के स्थानों को रिक्त ही रखा जायेगा ? दूसरा यह कि क्या विधि मंत्री निर्वाचन आयोग से यह अनुरोध करेंगे कि वह मतदान केन्द्रों पर नियुक्ति अधिकारियों को यह आदेश दे कि वे अशिक्षित मतदाताओं को भली भांति यह समझा दें कि लोक-सभा तथा विधानसभा के लिए खड़े उम्मीदवारों को किस प्रकार मतदान देना है ताकि उन्हें इस सम्बन्ध में कठिनाई न हो और वे भ्रम में न पड़े ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पश्चिम) : मैं जानना चाहता हूं कि विधि मंत्री का "अप्रत्याशित घटनाओं" (अनफोरसीन कौन्टीजेन्सीज) से मतलब दैनिक घटनाओं से है या अन्य किसी प्रकार की परिस्थितियों से ; और क्या चुनावों के दौरान आपात कालीन स्थिति को हटाना उचित नहीं होगा ?

Shri Bade (Khargon) : Sir, I would like to support Shri M. R. Masani's remarks about the time-table and election and polling in Himachal Pradesh area, particularly in the Chamba and Mahasu constituencies. Secondly, I want to know whether every Parliamentary Constituency will go to the polls on the same day appointed for the purpose, as it appeared in the Press to-day; and if so, whether it will be possible for the Government to conduct elections and complete the polling in one day only in the vast area of Madhya Pradesh to which I belong ?

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : पांच साल पहले सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि वह "पगु हंस (लेम डक) सत्र" बुलाने के प्रश्न पर फिर से विचार करेगी और वह, यथा संभव इस सत्र को न बुलाने का प्रयत्न करेगी । इस मामले पर अभी तक न तो कोई कानूनी सलाह ली गई है और न ही संसद की राय मालूम की गई है । अतः मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में कुछ किया गया है अथवा कुछ करने का विचार है ?

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा केवल एक अनुरोध है यदि मंत्री महोदय विधेयक के पारित किये जाने से पूर्व इन नियमों को सदस्यों में परिचालित कर दे और सदस्यों से सुझाव मांग लें, तो नियमों को अन्तिम रूप देने से पहले उन्हें उनके बारे में प्रतिक्रिया मालूम हो जायेगी ।

श्री भागवत झा आजाद (भागलपुर) : मैं अपने इस सुझाव पर फिर से जोर दूंगा कि पंगु हंस सत्र की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि नई संसद का सत्र मार्च के उत्तरार्ध में बुलाया जा सकता है । दूसरी बात जिस पर कि सदस्यों ने विशेष तौर पर जोर दिया है, यह है कि चुनाव सुव्यवस्थित तथा शान्तिपूर्ण ढंग से आयोजित करवाये जायें और उसके लिए निर्वाचन आयोग के माध्यम से आवश्यक वातावरण तैयार करवाया जाये ।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Sir, the Minister in his Statement has referred to "unforeseen contingencies" which might require postponement of the poll, I want the hon. Minister to clarify the position as to whether by unforeseen contingencies he means famine conditions or anything else ?

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : मैं श्री इन्द्रजीत गुप्त के इस सुझाव का पूर्णतः समर्थन करता हूं कि चुनावों के दौरान आपात कालीन स्थिति को हटा लिया जाना चाहिए । पश्चिम बंगाल में चुनावों के दौरान माइक्रोफोन के प्रयोग पर प्रतिबन्ध है । सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से यह कहना चाहिए कि वह इन प्रतिबन्धों को हटाये ।

जहां तक प्रस्तावित नियमों का सम्बन्ध है, क्या सरकार इन नियमों को हर व्यक्ति के लिए यथोचित अवधि के भीतर उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेगी क्यों कि वर्तमान सदस्यों के अलावा अन्य लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं ?

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : जहां यक महासु तथा चम्बा में बाद में एक साथ चुनाव करवाने का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह निर्णय राज्य सरकार को परामर्श करने के बाद लिया गया है, इसलिए इस निर्णय के विरुद्ध शिकायत का कोई प्रश्न नहीं है ।

कई सदस्यों ने पंगु हंस सत्र को अनावश्यक बताया है । वर्तमान लोकसभा की अवधि 17 अप्रैल, 1967 को समाप्त होती है । पिछले अवसरों पर यह सत्र होता रहा है और जिसका उद्देश्य लेखानुदानों की मांगों पर चर्चा करना तथा उन्हें स्वीकृत करना है । अतः मैं समझता हू कि इसे समाप्त नहीं किया जाना चाहिए ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Sir, I want to know from the hon. Law Minister whether he has given any consideration to the fact that the sphere of obligations of M. Ps and M. L. As. differs and they have to discharge duties of different nature, and if so, whether he would like to consider the proposal to conduct the elections for Lok Sabha and State Assemblies on different dates and not simultaneously so that fair and impartial elections could be held in the country ?

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमारा यह अनुभव है कि कानपुर, अहमदाबाद तथा बम्बई जैसे औधोगिक शहरों में श्रमिक वर्ग के लिए चुनावों में भाग लेना तब तक संभव नहीं होता जब तक कि चुनाव या तो रविवार को आयोजित न किये जायें या फिर चुनाव-तिथि को वेतन सहित छुट्टी घोषित न किया जाये क्योंकि रविवार के अलावा अन्य दिनों में उन्हें काम पर गये बिना मजूरी नहीं मिल सकती । इसलिए विधि मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह कम से कम औद्योगिक नगरों में किसी रविवार को चुनाव करवाने की व्यवस्था करें या फिर चुनाव वाले दिन को "वेतन सहित छुट्टी" घोषित करें ।

दूसरी बात यह है कि चुनाव के दौरान धारा 144 लागू नहीं रहती चाहिए और हमें स्वतंत्र रूप से चुनाव- आन्दोलन चलाने की अनुमति मिलनी चाहिए ।

Shri Jagdev Singh Sidhanti (Jhajjar) : I have a submission to make Candidates should immediately be supplied with the lists of voters who are serving in the army; so that one may make adequate arrangement. Secondly I would like to know whether it is proper to write one's alias along with his name while filling in the nomination form ?

श्रीमती सावित्री निगम (बांदा) : मैं यह जानना चाहती हूं कि शान्तिपूर्ण, निष्पक्ष तथा स्वतंत्र चुनाव करवाने के लिए सभी राजनैतिक दलों के सुझावों तथा सिफारिशों को ध्यान में रखकर एक चुनाव संहिता तैयार करने का जो सुझाव कुछ दिन पूर्व 'प्रश्न काल' में दिया गया था उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ? मेरा एक सुझाव यह है कि देश के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए महिला मतदाताओं के लिये कुछ विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए ।

Shri Priya Gupta (Kathiar) : Polling Stations are generally located at distant places and the voters find it very difficult to reach there particularly in the absence of roads, paths etc. I, therefore request that elaborate arrangements should be made to locate these polling stations at convenient places, so that they may come to these booths and exercise their vote.

Secondly, I will request the Law Minister to remove all restrictions, bans on public meetings etc. during the period of elections.

Shri Bibhuti Mishra (Motihari) : Sir, the List of voters should be supplied to the Election/Presiding Officers instead of the candidates contesting the elections and necessary orders should also be issued to the Officers Presiding over the polling booths to educate the voters in regard to the polling-schedule, the ballot paper etc. and details of the programme of the election should be made known to the voters by the Government in advance.

Secondly, the hon. Minister has just said that he will circulate the rules after the Bill is passed; I will request him to make arrangements to get these rules translated in

all the regional languages also, so that every voter in the country may understand them.

Shri Maurya (Aligarh) : Sir, during elections pressure is exerted on millions of Kissans in rural areas to cast their votes in favour of a particular candidate. So steps should be taken by the Government to see that free, impartial and peaceful elections are held in the country in nice way. Secondly, arrangements should be made by the Government to educate the voters in regard to the polling machinery and the polling schedule. Provision for elaborate arrangements should be made for the voters to come and exercise their vote and the details of the programme of the election should be made known to the country. The Government should not try to influence the voters so that we have free and fair elections. Section 144 should be lifted and public meetings should be allowed during the elections so that candidates could Campaign freely.

My last point is about civil liberties and release of those persons who have been arrested and detained under D. I. R. candidates particularly like Shri Rameshwara Nand and others should be released on bail so that they may contest the elections freely.

Shrimati Sabodra Bai Rai (Damoh): Sir, the areas of Maroona, Bhind, Gwalior, Chhattarpur, Pauna etc. in Madhya Pradesh are the haunting places of dacoits. These areas are very insecure and during the election time adequate security measures are necessitated to enable the women voters to cast their votes.

I repudiate the charge levelled by Shri Maurya that pressure is exerted by Congress during the elections. At most of the places in Madhya Pradesh Congress candidates are elected unopposed.

Shri Gulshan (Bhatinda) : On account of the division of Punjab many changes are necessitated in the voters which may be done. Due to the division of Punjab many sitting Members have been deprived of their right to vote. Their names have gone in the list of other areas. They should have the right to cast their votes.

Arrangements should also be made for the Indians abroad to cast their votes.

Shri Bagri (Hissar) : The foundation of democracy in our country is not very strong and that is the reason that the independent candidates have full and complete freedom to contest elections. No candidate should be allowed to contest election as an independent candidate, particularly for Lok Sabha.

Regarding the use of loud-speakers I am to urge that the present fee of Rs. 5 should be dispensed with and either the obtaining of prior permission for the use of loud speakers should not be made necessary or the permission should be granted immediately. I also demand that Swamy Rameshwaranand should be released.

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपाल गंज) : लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत लोक सभा तथा विधान सभाओं के चुनावों के लिये उम्मीदवारों द्वारा किये जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। किन्तु उम्मीदवार इस सीमा से कहीं अधिक खर्च करते हैं अतः मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय चुनाव आयोग को हिदायत दें कि वह इस बात का ध्यान रखें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित खर्च की सीमा का पूर्ण रूप से पालन किया जाये।

Shrimati Kamla Choudhury (Hapur): There should be different election symbols of independent candidates contesting election for the Lok Sabha and the Legislative Assemblies because the same symbol both for the Lok Sabha and Legislative Assemblies creates confusion for voters.

Shri Tulsidas Jadav (Nanded): Due to long ques at polling stations ladies have

to wait there for several hours to cast their votes. Therefore, different timings should be fixed for different wards.

Shri Vishram Prasad (Lalgang) : One Parliamentary constituency consist of 5 to 8 seats of Legislative Assemblies and polling is held simultaneously for all of them. It would be better if polling is held for two seats in one day.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Will the Congress Governments all over India tender their resignation so as to hold inpartial elections as has been done in Goa by Bandodkar ministry for conducting opinion poll.

विधि मंत्री (श्री गोपाल स्वरूप पाठक) : मैंने कल जो वक्तव्य दिया था वह निर्वाचनों के संचालन से सम्बन्धित था न कि कार्यक्रम से ।

श्री प्रिय गुप्त : तब उत्तर न दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय : यह सदस्यों के चुनाव से सम्बन्धित है और आज इस सभा का अन्तिम दिन है इसलिए मैंने सदस्यों को प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी ताकि उसके द्वारा दिये गये सुझाव निर्वाचन आयोग को भेजे जा सकें ।

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : मैं कार्यवाही वृतान्त की एक प्रति निर्वाचन आयोग को भेज दूंगा ताकि वह सदस्यों द्वारा दिये गये सुझावों पर विचार कर सके ।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम का संशोधन करने वाले विधेयक पर इस सभा में चर्चा के समय इस समय उठाये गये मामलों पर चर्चा हो चुकी है । अतः उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है ।

मैं एक-दो मामलों पर ही प्रकाश डालूंगा । पंगु हंस सत्र के बारे में कई विचार व्यक्त किये गये हैं । इस सत्र को न बुलाने में व्यावहारिक कठिनाइयां हैं । पहले भी यह सत्र हुआ करता था । हिमाचल प्रदेश में कुछ भागों में चुनाव के समय हिम रहेगा अतः वह चुनाव स्थगित करने पड़े है । निर्वाचन आयोग ने स्थानीय परिस्थितियों तथा अन्य सभी मामलों पर विचार करके यह कार्यक्रम तैयार किया है ।

जम्मू तथा काश्मीर के सम्बन्ध में प्रश्न उठाया गया है कि क्या पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों के लिये स्थान सुरक्षित किये जायेंगे । संविधान के अन्तर्गत, जिसके अनुसार संसद के लिये चुनाव होते हैं, यह संभव नहीं है ।

Shri Ram Sewak Yadav : The hon. Minister has not said any thing about unforseen contingencies.

श्री गोपाल स्वरूप पाठक : अनपेक्षित परिस्थितियों का उल्लेख लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में किया गया है । उसके बाहर कोई अनपेक्षित परिस्थितियां नहीं हैं ।

कनाडा से खाद्य सहायता के बारे में वक्तव्य
STATEMENT RE : FOOD AID FROM CANADA

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्री (श्री चि० सुब्राहमण्यम) : मैं प्रसन्नता के साथ सभा को सूचित करता हूं कि कनाडा की सरकार ने 31 मार्च, 1967 को समाप्त होने वाले चालू वित्तीय वर्ष के दौरान भारत सरकार को 2 करोड़ 10 लाख डालर की तथा 1 अप्रैल, 1967 को आरम्भ होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के दौरान 5 करोड़ डालर की खाद्य सहायता देने की

घोषणा की है इस धन की व्यवस्था हो जाने से कनाड़ा से 9 लाख टन गेहूं प्राप्त किया जा सकेगा और इससे हमें आने वाले महीनों में खाद्य समस्या को हल करने में बड़ी सहायता मिलेगी । इस संकट के समय में हमारी सहायता करने के लिये भारत सरकार की ओर से मैं कनाडा की सरकार का आभारी हूं ।

कच्ची रुई की साधारण स्थिति के बारे में वक्तव्य पर प्रश्न

QUESTIONS ON STATEMENT RE : RAW COTTON SUPPLY SITUATION

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, the hon. Minister has stated in his statement that he has averted the closure of mills and now these mills will remain closed only once a week. But he has not given any indication that how long will it take to improve the cotton situation. Otherwise these mills will remain closed for 53 days in a year. He has also stated that there will be no increase in the prices of controlled categories of cloth of mass consumption but he has not thrown any light on it that to what extent the prices of uncontrolled cloth will be increased. What is the real position about it ?

वाणिज्य मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, यह ठीक ठीक बता सकना कठिन है कि कितने समय तक जबरी छुट्टी चलेगी, किन्तु मुझे आशा है कि आगामी कुछ सप्ताहों में रुई फसल हो जाने पर स्थिति में सुधार हो जायेगा । हम फिर स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे । सरकार का पक्का विचार है कि कम से कम दिन मिल बन्द रहे । जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है, निगरानी रखने के अतिरिक्त, हम कानूनी तौर पर अनियंत्रित कपड़े के मूल्यों को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं । अतः मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि नियंत्रित कपड़े के मूल्य नहीं बढ़ेंगे :

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : वक्तव्य में कहा गया है कि रुई का अधिकतम मूल्य 5 प्रतिशत बढ़ाया जायेगा । क्या इस वृद्धि का लाभ उत्पादकों को होगा ? यदि ऐसा होगा तो ठीक है । किन्तु यदि इसका लाभ रुई के उन व्यापारियों को होगा जिन्होंने पहले से स्टॉक जमा कर रखे हैं, तो उन्हें मुनाफा कमाने देने के अतिरिक्त इसका और क्या उद्देश्य है ?

श्री मनुभाई शाह : इस वर्तमान वृद्धि का लाभ प्रायः उत्पादकों को होगा । अभी तक उत्पादकों ने बाजार में अपनी फसल व्यापारियों के हाथ नहीं बेची है । मूल्य बढ़ाये जाने से वे बढ़े हुए मुल्य पर अपनी फसल बेचेंगे जिससे वर्तमान संकट के दूर हो जाने की आशा है ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने यह भी पूछा है कि जिन लोगों ने पहले से स्टाक जमा कर रखे हैं उसका क्या होगा ।

श्री मनुभाई : बहुत कम स्टाक जमा हैं । यदि अधिक मात्रा में स्टॉक जमा होते तो हम उन्हें अधिग्रहण कर लेते ।

Shri Bade (Khargon): According to the press statement of Shri Kulkarni the scarcity of cotton is like the wolf cry when there is not even a lamb. May I know whether Government propose not to stick at the ceiling price ? The cotton is not coming in the market. The mill owners are trying to bring down the prices of cotton.

श्री मनुशाई शाह : वक्तव्य का पहला भाग बिल्कुल गलत है। कपास उत्पादन वाले क्षेत्रों में उत्पादकों को सामान्य अधिकतम मूल्य से अधिक मूल्य दिया जाता है।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : भारत मे अन्य देशों की तुलना में प्रति एकड़ सबसे कम कपास पैदा होती है। 1960-61 और 1963-64 में प्रति एकड़ उत्पादन में 10 पौंड की वृद्धि हुई जबकि पाकिस्तान, संयुक्त अरबगण राज्य तथा अमरीका में यह वृद्धि क्रमशः 46 पौंड, 34 पौंड और 71 पौंड हुई। कम उपज के क्या कारण हैं तथा सरकार का विचार प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के क्या कार्यवाही करने का है ?

श्री मनुभाई शाह : खाद्य तथा कृषि मंत्री इस ओर ध्यान दे रहे हैं। भारत की कपास की समस्या का हल उत्पादन बढ़ाकर ही हो सकता है।

श्री नम्बियार : क्या सरकार को पता है कि जबरी छुट्टी से मजदूरों को मजूरी की हानि होती है और क्या सरकार प्रबन्धकों पर इस बात के लिये जोर डालेगी कि मजदूरों की किसी अन्य प्रकार से सहायता देकर उनकी क्षतिपूर्ति की जाये।

श्री मनुभाई शाह : सहायता की कोई संभावना नहीं है। यह संकट थोड़ा थोड़ा सभी को झेलना पड़ेगा। किसी क्षेत्र में एक साथ कई दिन तक मिल बन्द होने से बेरोजगारी की संभावना थी। इसीलिये हमने यह व्यवस्था की है।

Shri D. S. Patil (Yeotmal): May I know that when the ceiling price of cotton was fixed and whether with a view to increase the production per acre the ceiling price is to be fixed before the Sowing seasons because the prices of imported cotton are very high ?

श्री मनुभाई शाह : पिछले पांच वर्षों में हमने तीन बार कपास के अधिकतम मूल्यों में पर्याप्त वृद्धि की है। इस समय कपास का अधिकतम मूल्य संसार में प्रायः सबसे अधिक है। इसके बावजूद भी हम उत्पादकों को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। इसलिये हमने फसल के आरम्भ में अधिकतम मूल्य की घोषणा की। पिछले २० वर्षों में हमने यह असाधारण कदम उठाया है जबकि हमने फसल के बीच में अधिकतम मुल्य की घोषणा की और अधिकतम मूल्य में पांच प्रतिशत वृद्धि की।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): May I knew whether Government's attention has been drawn to this fact that the cotton of inferior quality is purchased at lower rates from the growers and the same is sold at rate of superior quality of cotton and may I also know whether Government will ensure that the farmers are not paid less price.

Shri Manubhai Shah: It may happen in some areas where the growers are not well organised. But on the whole such things generally do not happen and remunera tive prices are paid to the growers.

Shri Tulsidas Jadav (Nanded): Growers are not getting remunerative price of cotton today because its price is very low. Therefore I submit that the price of cotton should be raised so that its production may be increased and more cotton may be availableto the mills. May I know why the Government do not take necessary steps to increase the production of Cotton and also to increase the price cotton superfine cloth ?

Shri Manubhai Shah: We have already raised the price of cotton to the extent that prices of cloth in India are very high. Only increase in the prices of cotton does not increase the production. We have to adopt technically changed and intensive

cultivation in order to increase the production. So far as the superfine cloth is concerned, we have increased the prices by five per cent.

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : From the earlier statement of the Minister, it appears that the mills would be closed for only 15 days or for a lesser period but the Minister has deviated from his earlier stand. I want to know the reason for this change. We should endevour to fulfil the demand of the masses as also to increase the export.

श्री मनुभाई शाह : पहले सारे देश में कपड़ा मिलों को 15 दिन के लिये बन्द करने का प्रस्ताव था जिससे एक वर्ष में 6 प्रतिशत से 15 प्रतिशत तक कपड़े का कम उत्पादन होता। इस लिए हमने पहले के प्रस्ताव के अनुसार बन्द किये जाने की अविधि को यथासंभव कम करने का प्रयत्न किया है। पहले प्रस्ताव के अनुसार 70 लाख व्यक्ति पन्द्रह दिन के लिए बेरोजगार हो जाते और 70 हजार व्यक्ति साल भर बेरोजगार रहते। हमने यह प्रस्ताव बिल्कुल भी नहीं माना।

हम इन मिलों का आधुनिकीकरण करने का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं। किन्तु हमारी भी कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं। अविकसित देश एक साथ सभी योजनाओं को आरम्भ नहीं कर सकते हैं। आधुनिकीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है और वह धीरे धीरे कार्यक्रम के अनुसार पूरा किया जायेगा।

श्री श्यामलाल शर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : क्या मिलों को नियमित रूप से रूई देने के लिये कोई कार्यवाही की गई है ताकि हम अपने कपड़े के निर्यात को बनाये रख सकें एवं उसमें वृद्धि कर सकें तथा देश की जनता को उचित मूल्य पर उसकी आवश्यकता के अनुसार कपड़ा दे सकें।

श्री मनुभाई शाह : इस लिये उस कपड़े पर आंशिक नियंत्रण रखा है जिसे जनसाधारण उपयोग में लाते है। निर्यात का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके बारे में हम पृथक रूप से विचार कर रहे हैं।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) मंत्री महोदय ने कहा है कि औद्योगिक विकास अधिनियम की धारा 25-5 के अनुसार सभी कर्मचारियों को सामान्य जबरी छुट्टी प्रतिकर दिया जायेगा। क्या किसी केन्द्रीय मजदूर संघ ने यह सुझाव दिया था कि हमें पता नहीं है कि रुई की कमी के कारण मिलें कितने दिन तक बन्द रहेगी अतः मिलमालिकों से कहा जाये कि वे पूरी मजूरी और जबरी छुट्टी-भत्ता दे ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि कानपुर स्थिति लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स तथा न्यू विक्टोरिया मिल्स के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। ये मिलें बन्द होने जा रही हैं। क्या इनके बारे में कोई निश्चित निर्णय किया गया है ?

श्री मनुभाई शाह : मजदूरों को पूरी मजदूरी देना सभव नहीं है। उन्हें औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत देय जबरी छुट्टी प्रतिकर दिया जायगा। इस प्रकार के मत प्रकट किये गये थे। हमने उस पर विचार किया था और यह निर्णय किया कि समाज के विभिन्न वर्गों पर बोझ डालना संभव नहीं है।

लक्ष्मी रतन कॉटन मिल्स के बारे में जांच समिति नियुक्त की जा चुकी है और उसका प्रतिवेदन शीघ्र प्राप्त हो जायेगा। जहां तक न्यू विक्टोरिया मिल्स का सम्बन्ध है। हम इस बात का यथासंभव प्रयत्न कर रहे हैं कि वर्तमान प्रबन्धक अथवा कोई अन्य नये प्रबन्धक इस मिल को यथाशीघ्र चालू करें।

श्री दी० च० शर्मा (गुरदासपुर) : मंत्री महोदय ने कहा है कि कुछ मिलों के पास आवश्यकता से अधिक स्टाक है। इन फालतू स्टॉक को उनसे लेकर उन मिलों को देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है जिनके पास स्टाक की कमी है ?

श्री मनुभाई शाह : सारा फालतू स्टॉक उनसे लेकर उन मिलों को दे दिया गया है जिनके पास माल की कमी है ?

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): It has been reported that the mills have increased the prices of cotton yarn. May I know what steps has been taken to bring down the prices of cotton yarn ?

Shri Manubhai Shah : On the one hand we are asked to impose control and on the other hand to do way with control.

श्री महेश्वर नायक (मयूरगंज) : यह सराहनीय बात है कि मंत्री महोदय की सद्भावना से कपड़ा मिलों का बन्द होना टल गया है। मैं जानना चाहता हूं कि मिलों को बन्द करने से उनके स्टाक की स्थिति में सुधार कैसे होगा। दूसरी बात यह है कि उत्पादकों की देय मूल्य में पांच प्रतिशत वृद्धि की गई है और इसके साथ साथ यह निर्णय किया गया है यदि रुई बाजार में न आई तो उसे उत्पादकों से खरीद लिया जायेगा। इससे उत्पादकों को किस प्रकार लाभ होगा ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री मनुभाई शाह : यदि वर्ष का हिसाब लगाया जाये तो रुई की 16 प्रतिशत अर्थात् 11 लाख गांठ की बचत होगी। किन्तु मैंने पहले ही सभा को आश्वासन दिया है कि हमारा ऐसा विचार नहीं है। जैसे ही मांग और पूर्ति बराबर हो जायेगी तो हम सप्ताह में एक दिन मिलों को बन्द नहीं करेंगे।

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : क्या यह सच नहीं है कि कपड़ा तथा जूट के मिलों के मालिक तथा बड़े व्यापारी बनावटी संकट उत्पन्न करके उपभोक्ताओं तथा मजदूरों पर दबाव डालते हैं और विभिन्न मजदूर संघों के प्रतिनिधियों से बातचीत करने पर अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस के प्रतिनिधि ने इस प्रकार के उपाय का कड़ा विरोध किया और यदि मिलों को बन्द करना आवश्यक ही है तो मजदूरों को पूरा प्रतिकर दिया जाना चाहिए ?

श्री मनुभाई शाह : मैंने बार बार सभा को आश्वासन दिया है कि यह कठिनाई कृत्रिम नहीं है अपितु वास्तविक है क्योंकि सितम्बर में देर में वर्षा होने के कारण फसल अच्छी नहीं हुई। अतः इस मामले में मैं सभा का सहयोग चाहता हूं प्रस्ताव के किसी भाग का विरोध करने के स्थान पर सभी सम्बन्धित पक्षों ने सहयोग दिया और उनके सहयोग से यह हल निकला है। अब इसे कार्य रूप देना हमारा काम है ताकि संकट का प्रभाव कम से कम हो।

अखिल भारतीय मजदूर कांग्रेस ने मांग की है कि जिन दिनों मिलें बन्द रहेंगी उन सभी दिनों की पूरी मजूरी दी जाये। अन्य मजदूर प्रतिनिधियों ने भी इसी प्रकार के प्रस्ताव रखे हैं। इन प्रस्तावों पर अच्छी तरह विचार विमर्श करके अन्त में यह हल निकाला गया कि बन्द दिनों की आधी मजूरी दी जाये।

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी (चिकबलपुर) : मैसूर राज्य के बंगलौर नगर में मिनर्वा मिल्स और मैसूर मिल्स छः महीने से बन्द पड़ी हैं और इससे लगभग 7000 मजदूरों को हानि पहुंची है। उन्हें जबरी छुट्टी की अवधि की मजदूरी नहीं दी गई है। यद्यपि राज्य सरकार ने 60 लाख रुपये

की गारंटी दी है, फिर भी प्रबन्धक इन मिलों को फिर चालू करना नहीं चाहते है। अतः क्या केन्द्रीय सरकार इन मिलों को अपने हाथ में लेगी ?

श्री मनुभाई शाह : मैसूर की इन दो मिलों की समस्या संतोषजनक ढंग से हल की जा चुकी है। राज्य सरकार ने एक मिल को 55 लाख रुपये की और दूसरी मिल को 67 लाख रुपये गारंटी दी है। ये गारंटी भारत के स्टेट बैंक तथा मैसूर के अन्य बैंकों के माध्यम से दी जायेगी। ये दोनों मिले शीघ्र चालू हो जायेंगी।

ध्यान दिलाने वाली सूचना के बारे में (प्रश्न)

RE : CALLING ATTENTION NOTICES (QUERY)

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आज इस सत्र का अन्तिम दिन है। मैंने एक बहुत महत्व पूर्ण मामले के बारे में जिसका कि न केवल प्रतिरक्षा मन्त्रालय अपितु सारी भारत सरकार से संबंध है एक ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी। जैसा कि आपको ज्ञात है हिन्दुस्तान एयरोनोटक्स कानपुर में 45 दिन तक हड़ताल रही थी। इसके बाद हमारे तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के सद्भाव पूर्ण प्रयत्नों के कारण हड़ताल खत्म करने को सहमत हो गये थे। उस समय श्रमिकों को यह स्पष्ट आश्वासन दिया गया था कि उनके विरुद्ध कोई अनुचित कार्यवाही नहीं की जायेगी, परन्तु फिर भी 30 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है तथा लगभग 100 कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया गया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस सम्बन्ध में सारे मामले पर पुनर्विचार करें और सभा में वक्तव्य दें ताकि कानपुर में ऐसी हड़ताल को पुनः होने से बचाया जा सके, क्योंकि वहां स्थिति बड़ी विस्फोटात्मक है। इस मामले को हिन्दुस्तान एयरोनोटक्स पर नहीं छोड़ा जाना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्थिति का पता लगाऊंगा।

मंत्रियों पर लगाये गये आरोपों की जांच के बारे में

RE : ENQUIRY INTO ALLEGATIONS AGAINST MINISTERS

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Speaker, today is the last day of this Session. During this Lok Sabha Session some allegations have been made against the Ministers. The allegations have been made againptSharvshri Manubhai Shah, Sachindra Chaudhari, Patil and Swaran Singh. The Ministers have said that the allegations made against them are all baseless and unfounded. But mere repudiation of allegations does not serve any purpose. A thorough enquiry should be made in these allegations so that it may he found out whether the allegations are correct or baseless, because mere repudiation by the Minister does not prove that the allegations are baseless. The term of this Lok Sabha is coming to an end and it would not be appropriate that four or five cases may be left undecided. So you have been kind enough to give a ruling that a Committee would be appointed by you after consulting the necessary papers. So I want to submit that a Committee be appointed and that Committee should have the right to hear us as well as the Ministers against whom allegations have been made and give their decision after thorough examination, so that the country may know whether there is any reality in these allegations or not.

Shri Tyagi (Dehra Dun): You have made the allegations in this House. If you make these allegations out side, it will itself be decided whether the allegations are correct or baseless.

Shri Madhu Limaye : Dr. Lohia has accepted their challenge.

श्री हेम बरुआ (गोहाटी) : महोदय, मैंने आपके पास श्री मधु लिमये द्वारा लिखा हुआ एक पत्र भेजा था, जिसमें मंत्रियों के विरुद्ध गंभीर आरोप लगाये गये हैं। मुझे याद है कि जब श्री लाल बहादुर शास्त्री हमारे प्रधान मंत्री थे तो उन्होंने कहा था कि जब कभी मंत्रियों के विरुद्ध आरोप लगाये जायेंगे, भारत का प्रधान मंत्री उनकी जांच करेगा। अतः मैं आशा करता हूं कि आप वर्तमान प्रधान मंत्री को इन आरोपों की जांच करने का अनुरोध करेंगे क्योंकि स्वयं मंत्रियों के हित में संसद सदस्यों के हित में और अध्यक्ष महोदय आपके भी हित में यह है कि इनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण दिया जाये। यदि प्रधान मंत्री इन आरोपों की जांच नहीं करती तो आप इस सभा की एक समिति नियुक्त करें, जो कि इन आरोपों की जांच करे।

Dr. Ram Manohar Lohia (Farrukhabad) : Mr. Speaker, I want to make certain corrections in the proceedings of the House under rule 380. I am not suggesting any correction in the matter concerning Shri Subramaniam, but you have said that matter is under your consideration. But I want to suggest two corrections. On Friday an hon. Member called me lier, but when I used the words which I am just going to tell you, you expunged them.

Mr. Speaker : If the words have been expunged from the proceedings, the hon. Member should not repeat them here again and he should himself think whether it would be proper to repeat those words which have been expunged.

Dr. Ram Manohar Lohia : Kindly listen to me first. Yesterday you had observed that you would bring before the House the words which would be expunged.

Mr. Speaker : If I would have expunged any word, I must have brought that before the House. But as no word has been expunged; there was no question of informing the House.

Dr: Ram Manohar Lohia : You have expunged certain words. I am not going to repeat them. But I want to say this much that the business of our House is conducted more or less in accordance with the business of British Parliament. I want to tell you that the word 'hapny tapny minister' is considered as an unparliamentary or indecent word there. There is no difference between the word "hapny tapny Minister" and the word "Doe Kodi Ka Minister." They are one and the same thing. If you do not allow the word "Doe Kodi Ka Minister" to be included in the proceedings, the result would be that it would not be clear, what I wanted to say.

Mr. Tyagi has said why the allegations which are made here are not made outside I want to tell him that these allegations had been made outside also at least fifty times and I could not understand why prosecution has not been launched against us.

Mr. Speaker : What can I say in this regard as to why prosecution has not been launched against you ?

Dr. Ram Manohar Lohia : My second point is that while Privilege motion was being discussed here on Saturday and I was making a speech some hon. Members shouted upon me "Shame Shame". They used the words "Shame Shame', then I said "How shameless persons they are". But the words used by me have been expunged. After all when they have got the right to shout "Shame, shame" upon me, then I have also got the right to remark. How shameless they were. Moreover they were pointing out to a particular person and I have used the words in general sense only. So my request is that both these words be included in the proceedings of the House.

Mr. Speaker : There is no necessity for the inclusion of these words. Dr. Lohia is at liberty to use the words he likes. If exception is taken by me at any time he says that I could not understand and it may also be possible that I may not be able to

understand a few words. It does not look nice to say such words for a Minister or a Member. It is not dignified to use such words as hapny tapny Minister etc. Members should respect each other and they should use dignified words, because it would enhance their prestige and the prestige of the House also.

I had requested Dr. Lohia to present any other additional papers in support of his allegations against Appeeje Shipping Company. Whatever paper he had given here have been studied by me and I dont see any justification in appointing a Committee to go into the allegations against any Minister.

श्री रंगा (चित्तूर) : मैं अध्यक्ष महोदय के इस कथन से सहमत हूं कि सदस्यों को चाहिये कि वे एक दूसरे को सम्मान दें, इज्जत दें और आदर से बुलायें। परन्तु साथ ही मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कि हम सब को विदित है नियमों के अन्तर्गत मंत्रियो को विशिष्ट स्थान दिया गया है और जब वे चाहें आपकी अनुज्ञा से वक्तव्य दे सकते हैं।

सन्थानम समिति का प्रतिवेदन पेश किया गया था तथा बहुत सी अन्य बातें हुयी थीं। सन्थानम समिति ने कुछ सिफारिशें की थी तथा तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री नेहरू ने कहा था कि जब ऐसी शिकायतें सामने आयें तो वे उनकी जांच करेंगे और तदुपरान्त एक पद्धति अपनाई गई है। इसके उपरान्त स्वर्गीय श्री लाल बहादुर शास्त्री ने इस पद्धति में और भी सुधार किया था और उन्होंने कहा था कि जब कभी ऐसी शिकायतें आये तों उन्हें सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा इसी पद के किसी अन्य व्यक्ति को सौंपा जाना चाहिये। इसके कुछ परिणाम भी निकले हैं और इसके परिणाम स्वरूप श्री नि० ति० कृष्णामचारी को मंत्री-पद त्यागपत्र देना पड़ा, क्योंकि वह अनौपचारिक जांच का भी मुकाबला नहीं कर सके थे।

श्री त्यागी : जी नहीं, उन्होंने मंत्री पद से त्याग पत्र इस लिये दिया था, क्योंकि वह समझते थे कि उनके मंत्री पद पर बने रहने से उचित जांच नहीं हो सकेगी।

श्री रंगा : जी नहीं, वह चाहते थे कि प्रधान मंत्री उनमें पूरा विश्वास जाहिर करें, और यदि प्रधान मंत्री उनमें पूरा विश्वास जाहिर करते तो उनके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की राय जानने के लिये भेजने का कोई प्रश्न नहीं उठता था।

जब कुछ मंत्रियों के विरुद्ध स्पष्ट रूप से आरोप लगाये गये हैं तथा उनके नामों का उल्लेख किया गया है, तो प्रधान मंत्री के लिये यही उचित है कि वह उसी प्रक्रिया का पालन करें श्री नेहरू ने बनाया था तथा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने जिसमें सुधार किया था। इसके अतिरिक्त ये स्वयं मंत्रियों के हित में है कि इन आरोपों की जांच कराई जाये, क्योंकि आम चुनाव सन्निकट हैं और यदि इन आरोपों की जांच नहीं कराई गई तो वे जनता के सामने क्या कहेंगे, क्योंकि जनता जानती है कि उनके विरुद्ध क्या क्या आरोप लगाये गये हैं और वे आरोप इस सभा की कार्यवाही में शामिल हैं।

मैं यह जानता हूं कि इन आरोपों की जांच न किये जाने से हमें विरोधी सदस्यों को लाभ होगा, क्योंकि हम उन आरोपों का सहारा लेकर उनकी जनता के सामने आलोचना कर सकेंगे, परन्तु मैं इस मामले पर इस दृष्टिकोण से विचार नहीं कर रहा हूं। मैं इस मामले में इस दृष्टिकोण से विचार कर रहा हूं कि प्रजातन्त्र की भलाई किस में है। मैं समझता हूं कि प्रजातंत्र के हित में यह ठीक नहीं है कि मंत्रियों के विरुद्ध ऐसे आरोप लगाये जाये। इससे उनकी प्रतिष्ठा घटती है।

प्रजातंत्र की प्रतिष्ठा घटती हैं और तानाशाही को प्रोत्साहन मिलता है। लोगों का मंत्रियों से विश्वास उठ जाता है। निर्वाचन होने वाले हैं तथा मतदाता इन आरोप के सम्बन्ध में अपना निर्णय करेंगे। परन्तु साधारण जनता से यह आशा नहीं की जा सकती कि वह इतने कठिन कानूनी मामलों में अपना निर्णय दे सके। अतः प्रजातन्त्र के हित में मैं प्रधान मन्त्री से अनुरोध करूंगा कि वह इन आरोपों को उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा किसी सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश के पास जांच करनें के लिए भेज दें, जैसे कि सरदार प्रताप सिंह कैरों का मामला मुख्य न्यायाधीश दास को सौंपा गया था। ऐसा करना न केवल हमारे साथ सहयोग करना होगा, बल्कि वह संविधान एवं प्रजातंत्र की परम्पराओं के भी अनुकूल होगा।

दुर्भाग्य से हम ब्रिटेन से 200 वर्ष पीछे हैं और हम ने केवल भौतिक दृष्टि से अपितु नैतिक दृष्टि से भी उनसे पिछड़े हुये हैं। हम यह समझते हैं कि हम नैतिक दृष्टि से पश्चिम देशों से बहुत आगे हैं, परन्तु यह बड़े दुख की बात है कि महात्मा गांधी के उस महान संगठन कांग्रेस के होते हुए भी, जिसे उन्होंने नैतिकता के सुदृढ़ सिद्धान्तों पर कायम किया था, हमारा देश नैतिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है, क्योंकि कांग्रेसी कांग्रेस से उज्ज्वल नाम को तो अपने साथ जोड़े हुए हैं, परन्तु उन्होंने उसके महान सिद्धान्तों को छोड़ दिया है। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि देश को गांधी जी द्वारा स्थापित किये गये नैतिक स्तर पर लाने में हमें सहयोग दें।

Shri Ram Sewak Yadav (Bara Banki): Mr. Speaker, if certain serious charges are made against some Ministers in this House, it is the duty of this House that their genuineness or other wise may be examined and it should be made known to the public whether the charges are correct or not. When charges were made against Patil you asked for the papers in support of those charges. Now you have stated no charge could be proved by those papers. I have also studied those papers and it is evident from them and Government has itself admitted that there was some leakage of rice and it is still a mystery as how that leakage occurred and who was responsible for that. Some charges were also made against the Commerce Minister Shri Manubhai Shah. When the Minister concerned repudiated those allegations, Shri Madhu Limaye wanted to have some clarification, but he was not allowed to do so. In the circumstances I suggest that as you your self have hinted a Committee be appointed to enquire into those allegations. The appointment of the Committee will be in the interest of the Ministers themselves, in the interest of democracy and in the interest of those who made the charges.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Speaker I would request you to allow me to give a statement regarding the correspondence between the Prime Minister and Muni Sushil Kumar. It is a very important matter and I have already written to you about my intention to give a statement.

Mr. Speaker : If the hon. Member would allow us to proceed with the business of the House, then it might be possible to call him.

श्री जी० म० कृपलानी (अमरोहा) : मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यह मंत्रियों के हित में कि उन आरोपों की जांच करवाई जाये, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और जनता को सही स्थिति का ज्ञान होना चाहिये।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं समझता हू कि विरोधी दलों की अपेक्षा यह सत्ताधारी दल अथवा कांग्रेस के लोगों के हित में अधिक अच्छी है कि मंत्रियों के आचार के प्रति कोई सन्देह नहीं होना चाहिये। मंत्रियों का आचार अवश्य ही सन्देह से ऊपर होना चाहिये। मैं श्री

रंगा से सहमत हूं तथा सदा इस पक्ष में रहा हूं कि मंत्रियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिये एक स्वतंत्र अधिकार होना चाहिये। परन्तु मैं यह मानने से इन्कार करता हूं कि हम नैतिक स्तर पर ब्रिटेन से 200 वर्ष पीछे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि ब्रिटेन में भी संसदीय जांच आयुक्त (कमिश्नर अफेयर पारलिमैंटरी अलैयर) की नियुक्ति केवल अक्तूबर, 1966 में की गई है। वास्तव में हमारी सरकार भी इस बारे में बहुत सतर्क है। सरकार ने प्रशासनिक सुधार आयुक्त की नियुक्ति इसी उद्देश्य से की है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश कर दी है और इससे यह संकेत प्राप्त होता है कि सामान्य रूप से सब लोग इस बात के उत्सुक हैं कि हमारा प्रशासन सन्देह से ऊपर होना चाहिये। प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सिफारिश की है वह न केवल ब्रिटेन संसद द्वारा अक्तूबर में की गई कार्यवाही के अनुकूल है, बल्कि उससे भी एक पग आगे है। इसलिये यह कहना गलत है कि सरकार इस बारे में सतर्क नहीं हैं।

Mr. Speaker : I think, we should not waste any more time. Shri Banerjee wanted that Sardar Swaran Singh should give a statement regarding Kanpur. The Minister can give the statement if he likes.

प्रतिरक्षा मंत्री (श्री स्वर्ण सिंह) : मुझे अभी श्री बनर्जी से एक पर्ची प्राप्त हुई है, जिसमें लिखा है कि हिन्दुस्तान एयरोमोटिक्स लिमिटेड के कुछ कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई है तथा शेष कठिनाइयों का अनुभव कर रहे हैं। वह चाहते हैं कि मैं इस मामले में स्वयं गौर करूं। इस मामले की देखभाल मेरे माननीय सहयोगी प्रतिरक्षा उत्पादन मंत्री कर रहे हैं। परन्तु मैं अवश्य इस मामले पर स्वयं गौर करूंगा यह सुनिश्चित करूंगा कि किसी के साथ अन्याय न हों।

श्री स० मो० बनर्जी : 30 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह इस मामले पर गौर करेंगे और यही माननीय सदस्य चाहते थे।

जहां तक श्री रंगा के प्रश्नों का सम्बन्ध है, उनका श्री माथुर पहले ही उत्तर दे चुके हैं, इसलिये मुझे उनका जिकर करने की जरूरत नहीं है।

श्री रंगा : श्री माथुर ने मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दिया है, उन्होंने तो उनका समर्थन किया है।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अपने भाषण के अन्त में कहा है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने इस मामले की छानबीन की है और इसके परिणामस्वरूप मंत्रियों के विरुद्ध शिकायतों का निपटारा करने के लिये एक प्रक्रिया अपनायी जायेगी। मैं उसका उल्लेख कर रहा था।

प्रोफेसर रंगा ने कहा है कि जब ये शिकायतें प्राप्त हों तो प्रधान मंत्री को उनकी जांच करनी चाहिये, क्योंकि यह उनकी सम्मिलित जिम्मेदारी है। यह अब प्रधान मंत्री पर निर्भर है कि वह इन आरोपों के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहती हैं, अथवा नहीं।

दूसरी बात यह है कि चूंकि यह आरोप सभा में लगाये गये हैं, इसलिये मुझसे कहा गया था कि इन की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये। मैंने उस सम्बन्ध में कहा था कि उन कागजातों, सबूतों को जिनके आधार पर यह आरोप लगाये गये हैं—हालांकि उन में से कुछ पत्र सभा पटल पर रखे गये हैं—मेरे पास भेज दिया जाय ताकि उन्हें पढ़कर मैं फैसला कर सकूं कि क्या एक समिति बनाने की वास्तव में आवश्यकता है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Sir, I have submitted more than 50 documents to you.

Mr. Speaker: I am not satisfied with any of those documents as they do not make out any case against anybody.

श्री नाथपाई (राजापुर): आपने कहा कि आप संतुष्ट नहीं हैं। मैं नहीं जानता कि इससे आपका अर्थ सभी दस्तावेजों से है या उनमें से केवल कुछ से।

श्री माथुर ने कहा कि प्रशासनिक सुधार आयोग के अन्तरिम प्रतिवेदन में इस मामले पर विचार किया गया था। मैं सन्थानम समिति का सदस्य था जिसने इस सम्बन्ध में अन्तिम प्रतिवेदन दिया है। भूत-पूर्व गृह-कार्य मंत्री ने कहा था कि वह इस समिति की 10 प्रतिशत सिफारिशों को मानने के लिए तैयार है कि वह चाहे 99 प्रतिशत सिफारिशों को अस्वीकार कर दें, परन्तु इस अकेली सिफारिश को स्वीकार कर लें। मुझे आशा है कि आप इस सारे मामले की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय: पीछे मैंने कहा था कि यदि किसी व्यक्तिगत मामले में मेरे सामने कोई प्रमाण लाया जाता है तो मैं उसकी जांच करूंगा। जहां दूसरे प्रश्न का सम्बन्ध है कि सरकार ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है तो इसका इलाज यही है कि सदस्य मंत्री विशेष के विरुद्ध प्रस्ताव लायें या स्वयं सरकार को ही हटा दें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर): मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि यदि प्रधान मंत्री कोई वक्तव्य नहीं देती तो श्री पाटिल जैसे व्यक्ति बाहर जा कर गलत ब्यान देंगे :

चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़, विधेयक—जारी

POST—GRADUATE INSTITUTE OF MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH CHANDIGARH, BILL—CONTD.

Shri K. L. Balmiki (Khurja): Sir, I rise to support this Bill. I pay my gratitude to late Sardar Pratap Singh Kairon, the Chief Minister of Punjab who conceived the idea of this Institute as also to those medical experts who by their consistent efforts have lent grace to this Institute. Institutions of the type we are having at Chandigarh should be set up at places which are backward or poverty-stricken and disease-ridden, including industrialised cities where poor labourers abound. It is where there is disease that research on the disease can be carried on with greater advantage.

In the matter of research it is of ut most importance that the experts who carry on the research are contented and have a missionary zeal. In the medical field we are very much short of specialists as also of nurses. From that point of view, the progress in the field has been very slow. Rural areas particularly suffer from paucity of doctors.

There is widespread dissatisfaction among the doctors regarding their scales of pay. Technical personnel in other technical institutions are getting better remunerations. This anomaly must be removed. Difficulties are generally experienced in the matter of admissions to medical institutions. Special attention should be given to the backward areas in this regard.

The Miniter of Health and Family Planning (Dr. Sushila Nayar): Mr. Speaker, Sir, I am very happy that the House has generally welcomed this Bill. I will deal in brief the points raised by the hon. Members. The first point is that it is not a new institute which is being set up. It is already there in Chandigarh and come under the

Government of India after the division of Punjab. The Bill is meant to make it an institute of national importance on the lines of the All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

Admissions to the Institute are made on merits. As the House is aware there is weightage in favour of candidates belonging to backward class. But it would be appreciated that a minimum standard is necessary. If they fulfil those minimum requirements, they get the admission while others have to compete for the admissions. We want these institutes to prepare specialists who can go to other colleges or district hospitals and serve the people there. A good work is being done from this point of view. An hon. Member said that the expenditure is high. I must say that considering the high-grade research that is carried on in such institutes, it can not be said that the expenditure is disproportionetely high.

During the two years 1965 and 1966, nearly 400 specialists would have been trained. Informal enquiries have revealed that they are engaged in the same work for which they were prepared. They are distributed all over the country. We propose to open such institutes in different regions. Regarding the amendment to provide for the inclusion of two Members of the Medical Council of India, the Government have already that thing in mind. So far as the amendment regarding nomination is concerned, it should be noted that the number of members has been increased from five to seven because we want to take care of Haryana and Punjab also.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ नामक संस्था को राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित करने और उसके निगमन उपबन्ध करने तथा तत्संगत विषयों सम्बन्धी विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये रूप में, विचार किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2—(चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान स्नातकोत्तर संस्थान, चण्डीगढ़ का एक राष्ट्रीय महत्व का संस्थान के रूप में घोषित किया जाना)

डा० चन्द्रभान सिंह (बिलासपुर) : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

इस संस्थान को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने की बजाये इसका नाम चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर संस्थान रखा जाना चाहिये क्योंकि देश में पहले ही राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या लगभग 10-12 है । इस तरीके से राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों की संख्या बढ़ाने से उसका महत्व घटता है ।

डा० सुशीला नायर : मैंने आरम्भ में ही बता दिया है कि यद्यपि उन संस्थानों को विभिन्न प्रदेशों में स्थापित किया जायेगा, फिर भी ये संस्थान समूचे देश की आवश्यकता को पूरा करेंगे । इसलिये हम उनको राष्ट्रीय महत्व के संस्थान समझते हैं । अतः मैं डा० चन्द्रभान सिंह से अनुरोध करती हूं कि वह अपने संशोधन के लिए जोर न दें ।

डा० चन्द्रभान सिंह : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये उत्तर को दृष्टिगत रखते हुए मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 2 सभा की अनुमति से वापस लिया गया
Amendment No. 2 was. by leave with drawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The motion was adopted

खन्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3 और 4 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 3 and 4 were added to the Bill.

खण्ड 5—(संस्थान का गठन)

डा० चन्द्रभान सिंह : मैं अपने संशोधन संख्या 3 और 4 को प्रस्तुत करता हूं ।

यह संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है । संस्थान का गठन पूर्णतया नाम निर्देशन के आधार पर है इसलिये उसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये । मैं चाहता हूं कि खण्ड 5 (ङ) के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या 7 से घटाकर 4 कर दी जाये । मैं यह भी चाहता हूं कि खण्ड 5 (छ) के बाद नया उपखण्ड (ज) जोड़ दिया जाये जिसमें यह उपबन्ध किया जाये संस्थान से भारत की चिकित्सा परिषद (मैडिकल कौंसिल ऑफ इण्डिया) के दो सदस्य जिन्हे परिषद निर्वाचित करेगा, होंगे जिनमें से एक परिषद का सभापति (प्रेसीडेंट) होगा और दूसरा सदस्य परिषद की स्नातकोत्तर समिति का सदस्य होगा ।

डा० सुशीला नायर : माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं कि भारतीय चिकित्सा परिषद के व्यक्ति संस्थान के सदस्य हैं । हम नहीं चाहते कि वैज्ञानिक और तकनीकी लाइन में किसी प्रकार का राजनीतिक दबाव आये, इसलिये हमने इसको ऐसा रखा है । जहां तक सात नाम निर्देशन का सम्बन्ध है हमने संख्या 5 से बढ़ाकर 7 इसलिये की है कि हम हरयाना और पंजाब का ख्याल रखना चाहते थे । इसलिये मेरा अनुरोध है कि माननीय सदस्य अपने संशोधन के लिये जोर न डालें ।

डा० चन्द्रभान सिंह : माननीय मंत्री द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए मैं अपने संशोधनों को वापस लेने की अनुमति चाहता हूं ।

संशोधन संख्या 3 और 4 सभा की अनुमति से वापस लिये गये ।
The amendments Nos 3 and 4 were, by leave, with drawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 5 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted.

खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 5 was added to the Bill

खंड 6 से 14 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 6 to 14 were added to the Bill.

खंड 15– **(संस्थान को भुगतान) :**

डा० चन्द्रभान : मैं अपना संशोधन संख्या 5 प्रस्तुत करता हूं। मैंने इसमें कहा है कि संस्थान का खर्च पंजाब, हरयाना और हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रनुपात से और केन्द्रीय सरकार द्वारा वहन किया जाये।

डा० सुशीला नायर : सामान्य रूप से हमने इसको भी ध्यान में रखा है।

डा० चन्द्रभान सिंह : मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या अगला संशोधन भी आप वापस लेते हैं।

डा० चन्द्रभान सिंह : जी हां।

संशोधन संख्या 5 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

The amendments N0. 5 was. By leave, withdrawn.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि खंड 15 से 32 विधेयक का अंग बने"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

Tha motion was adopted,

खंड 15 से 32 विधेयक में जोड़ दिये गये :

Clause 15 to 32 were added to the Bill

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

डा० सुशीला नायर : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

Shri A. S. Saigal (Junjgir) : Sir, what generally happens is this that medical specialists go to foreign countries for employment after receiving their education in the country. The Government should seriously consider the matter and take steps to curb this tendency.

Dr. Sushila Nair : Sir, it is Government's constant endeavour to improve the pay scales of doctors and specialists but it should be appreciated that there are certain financial limitations.

Since the avenues for those doctors who possess M. D. are now almost the same as those who are F. R. C. S. or M. R. C. P., the tendency on the part of our doctors to go abroad is on the decline.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

बीज विधेयक

SEEDS BILL

अध्यक्ष महोदय : अब हम बीज विधेयक पर विचार करेंगे।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) :

श्रीमन्, श्री चि० सुब्रहम्ण्यम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य-सभा द्वारा पास किये गये रूप में तथा प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।

इस विधेयक को राज्य सभा ने 18 नवम्बर, 1964 को पारित कर दिया था । 15 फरवरी, 1966 को लोकसभा ने यह निर्णय किया था कि इसे सभा की प्रवर समिति को सौंप दिया जाये । प्रवर समिति ने 4 नवम्बर, 1966 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था ।

सभा अच्छी तरह जानती है कि कृषि उत्पादन को बढ़ाने के लिये उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग करना, एक बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है । उन्नत किस्म के बीजों का उत्पादन करने, उनकी माला मे वृद्धि करने तथा उनके वितरण के लिये द्वितीय पंच-वर्षीय योजना में प्रत्येक विकास खंड में बीज फार्म स्थापित करके एक "बीज परिपूर्णता कार्यक्रम" आरम्भ किया गया था । देश में अब तक इस प्रकार के 4,000 से अधिक फार्म स्थापित किये जा चुके जिनके अधीन करीब 1 लाख एकड़ भूमि है । ये फार्म खाद्य फसलों के बीजों की मात्रा उत्पादन तथा वितरण बड़ी माला में नहीं किया जा रहा है । छोटे फार्म विशेष रूप से प्रभावकारी नहीं हो सके हैं । अब इस बात पर आम सहमति है कि 500 एकड़े के बड़े बड़े राजकीय बीज फार्मों पर उचित तकनीकी नियन्त्रण में अच्छी किस्म के बीजों का उत्पादन हो सकता है । बीज ग्रामों के बनाये जानी की योजना का सुझाव दिया गया है और देश के कुछ बढ़ाने पर अधिक ध्यान दे रहे हैं । ये बीज खण्ड एजेंसियों को दे दिये जाते हैं ताकि चुने हुए किसानों के खेतों पर इनकी माला और भी बढ़ाई जा सके । परन्तु जिन बीजों का इस प्रकार उत्पादन और संख्या-वृद्धि की जाती है, उनकी "अनुवांशिक-शुद्धता," अनुकरण तथा अन्य किस्म सम्बन्धी बातों की जांच नहीं की जाती । सब मिलाकर स्थिति यह है कि अच्छी किस्म के बीजों का भागों में इनका सफलता पूर्वक परीक्षण भी किया जा चुका है । इस योजना के अन्तर्गत पूरे ग्राम को बीज उत्पादन के लिये ही रखा जाता है ।

जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं वर्ष 1966-67 के आरम्भ से अर्थात् चौथी पंचवर्षीय योजना के प्रथम वर्ष में एक उच्च पैदावार करने वाले बीजों का कार्यकम आरम्भ किया गया है ताकि कृषि उत्पादन को एक नई दशा दी जा सके । यह नई नीति गहन खेती योजना के अनुभव पर आधारित है और नए तथा विकसित और अधिक पैदावार करने वाले धान, गेहूँ, ज्वार, बाजरा और मक्का के बीजों के प्रयोग द्वारा, कृषि उत्पादन को अधिकाधिक बढ़ाने का विचार है ।

यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसानों को दिये गये जाने वाले बीजों की किस्म तथा शुद्धता सुनिश्चित की जाय । बुनियादी तथा प्रमाणीकृत बीज का उत्पादन पूर्ण योग्यता प्राप्त तकनीकी कर्मचारियों की कड़ी निगरानी में किया जाना चाहिये । किसानों को देने से पहले बीजों को तैयार करके उनका रासायनिक शोधन किया जाता है तथा उनको बोरों में बन्द करना होता है ।

1. प्रवर समिति ने बीज तथा उनकी किस्में तैयार करने के नवीनम तरीकों के बारे में तथा विधेयक के उपबन्धों से सम्बधित अन्य मामलों के बारे में देश के विभिन्न भागों में मौके पर जाकर अध्ययन किया । उसने राज्य सरकारों तथा किसानों के विचार ज्ञात किये ।

संशोधक विधेयक की मुख्य बातें ये हैं :—

(क) केन्द्रीय बीज समिति में, जो इस विधेयक को लागू करने से सम्बन्धित मामलों के

बारे में केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को सलाह देंगे तथा इस विधेयक के अन्तर्गत इसको सौंपे गये अन्य कार्यों को पूरा करेगी, अब संघ राज्य क्षेत्रों सहित प्रत्येक राज्य सरकार के प्रतिनिधि होंगे। इसमें केन्द्रीय सरकार के द्वारा विभिन्न दिनों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति के नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। इस समिति में तकनीकी तथा वैज्ञानिक व्यक्ति होंगे जो अपने अनुभव तथा विशेषज्ञता से उनके सामने रखे गये मामलों पर विचार करेंगे। केन्द्रीय समिति एक अथवा उससे अधिक उपसमितियां स्थापित कर सकती है ।

3. (ख) इससे पहिले वाले प्रारूप विधेयक में सामान्य रूप से विभिन्न प्रकार के बीजों की किस्म के विनियमन के बारे में उपबन्ध किया गया था। अब यह प्रस्ताव है कि जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किया जाय केवल विशिष्ट प्रकार के बीजों की किस्म का ही विनियमन किया जाय।

(ग) विधेयक को सरल बना दिया गया है ताकि उसमें ब्यौरे के बिना केवल विधान की खास आवश्यकताओं की व्यवस्था की जा सके।

4. (घ) बीज व्यापार के लाइसेंस के लिये उपबन्ध समाप्त कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति, जो घोषित किस्म के बीजों का व्यापार करना चाहे, कर सकता है। परन्तु इसे यह सुनिश्चित करना होगा कि जो बीज वह बेचेगा, वे न्यूनतम निर्धारित किस्म के अनुकूल होने चाहिये।

(ङ) प्रमाणीकरण को स्वैच्छिक बना दिया गया है। विक्रेता कुछ निर्धारित शर्तों का पालन करने पर ही बीज बेच सकेगा।

5. (च) इस विधेयक के अन्तर्गत एक किसान, जो बीज पैदा करता है, उसे बोने के लिये दूसरे किसान को दे सकता है। दूसरे शब्दों में किसानों के स्तर पर बीजों का लेन-देन इस विधेयक के क्षेत्राधिकार में नहीं आयेगा। इसकी इस सभा तथा राज्य सभा मे मांग की गई थी।

इस बात का पूरा ख्याल रखा गया है कि किसानों को किसी प्रकार की कठिनाई न हो। इससे अच्छी किस्म के बीज उपलब्ध हो सकेंगे जिससे हमारी कृषि उत्पादन बढ़ सकेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री रंगा (चित्तुर) : बहुत से देशों ने अच्छे बीजों के महत्व को समझ लिया है और वे हमसे बहुत आगे निकल चुके हैं। पिछले पचास वर्षों से ये देश केवल अच्छे तथा परीक्षित बीजों का उपयोग कर रहे हैं। परन्तु वहां इस प्रकार का अधिनियम नहीं है। वहां निरीक्षकों की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कुछ समय के बाद केन्द्रीय अथवा क्षेत्रीय सर्वेक्षण और जांच करने वाली प्रयोगशालाओं की आवश्यकता महसूस की।

7. भारत सरकार केन्द्र में एक प्रयोगशाला स्थापित करना चाहती है। परन्तु मेरे विचार से ऐसी प्रयोगशालायें सभी राज्यों में स्थापित की जानी चाहिये। इसका अर्थ यह नहीं है कि हम इस प्रकार का विधान बनायें :

यह बहुत अच्छी बात है कि सरकार इस बात के लिये सहमत हो गई है कि किसानों को इस विधेयक के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत न लाया जाय। परन्तु विधेयक में जो अन्य ऐसी बातें हैं जिनसे किसानों को परेशानी हो सकती है, उससे भी उन्हें बचाया जाना चाहिये।

8. यदि कोई किसान व्यापारियों से शहर में बीज खरीदता है और अपने गांव में लाता है तो यह हो सकता है कि रास्ते में उसे निरीक्षक अथवा पुलिसमैन मिल जाय और उस पर

निषिद्ध माल ले जाने का आरोप लगाये। इस प्रकार उस बेचारे को तंग किया जा सकता है और इसका छुटकारा रिश्वत देने पर ही होगा। निरीक्षक को नजराना दिये बिना बीजों की गाड़ी शहर से गांव तक नहीं ले जाई जा सकती।

9. मन्त्री महोदय ने सारे गांव की ही बीज फार्म बनाने के लिये प्रोत्साहन देने की सम्भावना का उल्लेख किया है। इसका मतलब यह है कि वे सब लोग लोग जो बीज का व्यापार नहीं करते, वे जीविका का सहायक साधन नहीं अपना सकते। अन्य गावों के किसानों को यह प्रमाण देना पड़ेगा कि वे किसान हैं अन्यथा गड़बड़ी होगी। यहां भी निरीक्षक किसानों से अवैध तरीके से रुपया वसूल करेगा।

10. व्यापारों से बीज एक विशेष किस्म के डिब्बे में लाये जाते हैं। हम नहीं कह सकते कि वह टिन का या टाट का या किस चीज का डिब्बा होगा। यदि वह डिब्बा किसी ऐसी चीज का बना हो, जिसकी कमी है, तो वह डिब्बा खाना बनाने के लिये गैस के बर्तन की भांति चोर बाजार में बिकेगा। हम यह जानना चाहते हैं कि ऐसे डिब्बों को बड़ी संख्या में उपलब्ध कराने के लिये क्या व्यवस्था की गई है। किसानों को अब भी चोर बाजार में माल खरीदना पड़ता है क्योंकि उर्वरकों के प्रयोग से होने वाले लाभों के बारे में व्यापक प्रचार करने के बाद भी सरकार किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं करा सकी है। इस मामले में भी ऐसा ही हो सकता है।

11. एक बहुत विशाल प्रशासन व्यवस्था करनी पड़ेगी। यह बहुत खेद की बात है कि अभी तक श्रम निरीक्षक पर्याप्त संख्या में नहीं हैं। क्या बीज निरीक्षकों को पर्याप्त संख्या में व्यवस्था की जायेगी। निरीक्षकों को जो फौजदारी की शक्तियां दी गई हैं, उससे वे किसानों के घर जाकर उन्हें परेशान कर सकेंगे।

12. विश्लेषकों की नियुक्ति की योजना का मैं स्वागत करता हूं। इनकी संख्या जितनी भी अधिक हो, उतना ही अच्छा है। एक राज्य में एक विश्लेषक की नियुक्ति पर्याप्त नहीं है। यदि प्रत्येक तालुक में सम्भव न हो, तो कम से कम प्रत्येक जिले में एक विश्लेषक अवश्य होना चाहिये। जो भी व्यक्ति अपने बीजों का विश्लेषण कराना चाहे, उसे विश्लेषक के पास जाकर शुल्क देकर अपने बीजों का विश्लेषण कराने की छूट होनी चाहिये ताकि वह बीज की किस्म के बारे में अपने सन्देह का निवारण कर सके।

सलाहकार परिषद में किसानों और व्यापारियों दोनों का, जो कि इस योजना के आधार स्तम्भ है, प्रतिनिधित्व होना चाहिये। इस प्रकार की परिषदें राज्यों में भी होनी चाहिये।

विनियमन, निरीक्षण तथा विवादों के निपटारे के लिये कोई अधिकारी होना चाहिये। इन मामलों की जांच के कार्य के लिये एक निष्पक्ष आयोग होना चाहिये जिसका अध्यक्ष एक ऐसा प्रसिद्ध होना वैज्ञानिक चाहिये। जिसका राजनीति से कोई सम्बन्ध न हो। बीज पैदा करने के लिये गांव निश्चित करने का विचार ठीक नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि वे गांव मिलावट के केन्द्र बन जायेंगे। आस-पास के इलाके में सभी प्रकार की वस्तुऐं पैदा की जायेंगी जो इस गांव में लाई जायेंगी। अधिकारी तथा स्थानीय उत्पादक आपस में सांठ-गांठ कर लेंगे तथा जनता को गलत किस्म का बीज देना शुरू कर देंगे।

15. मैं बड़े बीज फार्मों के पक्ष में हूं। लेकिन प्रश्न यह है कि ये फार्म किनके द्वारा स्था-

पित किये जाने चाहियें। सरकार बीज फार्मों पर पहले ही काफी रुपया खो चुकी है। अतः इनमें से कुछ फार्म तो सरकार के होने चाहिए तथा साधारण व्यापारियों को बीज फार्मों के संगठन के लिये अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। उनको आवश्यक प्रमाण-पत्र दिलाने में उनकी सहायता की जानी चाहिये और उनसे यह आग्रह किया जाना चाहिये कि वे अपने बीज का प्रयोगशाला में परीक्षण करावे।

Shri Bibhuti Mishra (Motihari): This Bill requires many amendments. It should not have been brought at the fag end of the session. It should not be passed in a hurry.

The Government have already lost huge amount on the seed farms. Now it is starting a new venture by establishing seed farms of 500 acre each. It is to be seen whether Government acheives success in it.

There is only one clause No. 24 in the Bill which gives protection to farmers. Had this clause not been there in the Bill, the farmers would have faced great hardship at the hands of inspectors and analysts who have been given wide powers. Today we see that the Health Inspector Condemns vegetables and sweets etc. If his palm is not greased. Government should pay attention to it while framing rules in this regard. The Bill should not be passed now in the interest of farmers.

Government intends to give wide powers to the inspectors which is not desirable. The work of distribution of seeds through Government agencies has not been satisfactory. Government should issue instructions to its administration that it has to safe guard the interests of farmers and they should be provided facilities at the proper time.

The provision regarding certification is likely to cause great hardship to the farmers because germination depends on climate.

So far as the Central Seeds Committee is concerned, I would request that eight persons should be elected by Parliament to represent farmers' interests. This Bill is mainly concerned with the farmers. It is, therefore, necessary that they should be represented in that Committee. Keeping in view the provision made in this Bill, I fear that the farmers would not be properly represented in this Committee. The Government should not have the right to nominate the members.

The time alloted for this Bill should be extended so that those members who are well conversant with the problems of farmers may have an opportunity to express their views.

It has been provided in the Bill that different varieties would be notified for different areas. Who will decide about the variety? The officers who would take a decision regarding the varieties to be notified should be very honest so that there is no room for corruption in this respect. A farmer, who wants to sell the seed, will have to cover a great distance to reach the laboratory for certification. It will mean great inconvenience to him.

Shri Shyam Dhar Mishra: The certification is not compulsory in the case of variety seed.

Shri Bibhuti Mishra: In the end, I would request the Minister to withdraw the Bill and bring forward a new Bill by which the farmers would be a really benefited.

श्रीमती विमला देशमुख (अमरावती): अनाज की कमी को पूरा करने के लिये हमारी सरकार को पी० एल० 480 के अन्तर्गत अमरीका से तथा अन्य देशों से अनाज आयात करना पड़ता है। जिसके लिये कोई न कोई शर्त लगी होती है।

ठीक समय पर यह विधेयक लाने के लिये मंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं। हमारा यह

कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखें और अनाज व कृषि और औद्योगिक उत्पादन के मामले में आत्म-निर्भर बनने के लिये पूरी कोशिश करें। उत्पादन बढ़ाने के लिये अच्छे बीज का बहुत आवश्यकता है।

भारत के अनुसंधान केन्द्रों ने विदेशी और संकर किस्म के बीजों के बारे में गत चार वर्षों में जो परीक्षण किये हैं, उनसे नई दिशा में कार्य करना संभव हो गया है। किसानों ने इन बीजों का प्रयोग करके अपनी प्रति एकड़ उपज बढ़ाई है। अतः हमारी यह कोशिश होनी चाहिये कि जहां कहीं भी सिंचाई की व्यवस्था हो, वहां संकर बीज के प्रयोग से सघन खेती के द्वारा पैदावार बढ़ाई जाय। इसलिये यह आवश्यक हो जाता है कि किसानों को निश्चित मूल्य पर अच्छी किस्म का बीज काफी मात्रा में उपलब्ध किया जाना चाहिये। यदि किसानों को ये सुविधाये दी जायेंगी, तो वे अधिक अन्न उपजाओं 'आन्दोलन' में पूरा सहयोग देंगे और जल्दी से जल्दी आत्म-निर्भरता प्राप्त करने में सहायता प्रदान करेंगे। उन्हें उनकी उपज के लिये उचित मूल्य मिलना चाहिये।

सरकार को इस बात की ओर ध्यान देना चाहिये कि प्रत्येक जिले या गांवों के एक समूह के पास अपना बीज फार्म हो ताकि किसानों को आसानी से बीज मिल सके। इस प्रकार का एक बीज फार्म पूना जिले में उरली कंचन गांव में 700 एकड़ में स्थापित किया गया है। जहां कहीं भी संभव हो ऐसे और अधिक बीज फार्म सहकारी आधार पर चलाने का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

हमने ठीक समय पर अपनी पिछली गलतियों से सबक सीख लिया है। हम अपनी पिछली योजनाओं में अनुमानित लक्ष्यों को नहीं प्राप्त कर सके। इसका कारण यह था कि इन योजनाओं को जनता की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था उन्हें योजना आयोग के वातानुकूलित कमरे में बैठकर बनाया गया था।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चन्दूर ग्राम में ज्वार और कपास के प्रसंकर बीजों को प्राप्त करने के लिये कुछ किसानों ने बहुत पहिले अपने नाम रजिस्टर करा रखे थे। परन्तु बीज वितरण करने वाले कृषि अधिकारी ने उन किसानों को बीज दिये जिन्होंने बीज का अधिक मूल्य दिया और गरीब किसानों को बिल्कुल भी बीज नहीं मिल सके। इस प्रकार के समाज विरोधी कार्यों को रोकने के लिये कठोर कदम उठाया जाना चाहिये। मुझे पूरी आशा है कि प्रशासनिक सुधार से जानता की कठिनाइयों को दूर किया जायेगा।

इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि अच्छी किस्म के बीज से काफी हद तक खेती की पैदावार बढ़ाई जा सकती है।

अन्त में मैं आशा करती हूं कि बीज अधिनियम को अच्छे से अच्छे ढंग से लागू करने के लिये सरकार जो कुछ कर सकेगी करेगी और इस प्रकार हमारे देश को तरक्की के रास्ते पर ले जायेगी।

Shri Sarjoo Pandey (Rasra): I remember that when this Bill was put forward by Shri Shah Nawaz Khan, it was opposed by everybody. But now the House is being asked to pass this bill within two hours. This is a very important Bill and the way it is coming, it is felt, may increase the atmosphere of corruption in the country. We know fully well how these inspectors behave. They are very well known for this corruption. I feel that increase in their number will have very bad effect. Let me tell the Government that if they are sincere and actually wish that supply seeds be done to the

farmers. Some experienced persons should be appointed in each district to give certificates to the farmers regarding the quality of seeds. We should not be indifferent towards this fact that the centralisation of seeds trade is likely to benefit only the rich class. I am of the opinion that this Bill should not be passed hastily. But Government is rushing it through.

I also want to urge the fact that the nominees of the Central Government on the Central Seeds Committee should be officers who should have knowledge of agriculture, as otherwise they are not likly to be of any use to the Committee. All the nominees are at Sea agriculture. This provision of certificates for seeds trade is likely to create difficulties for the farmers. They will have to wander about the Government offices, which have already become notorious for their red tapism. On the whole, I feel that the Bill is not in the interest of the farmers. It should not be passed. My request to the honourable Minister is that he should withdraw the Bill. It is not going to give any benefit to the farmer. This Bill should come before the House after being vetted thoroughly.

श्री मुथिया (निरूनेलवली) : इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि कुछ बीजों की कोटि में सुधार किया जाय। हमारे देश की सबसे बड़ी और गम्भीर समस्या कृषि उत्पादन हैं। कृषि उत्पादन को बढ़ाने की दृष्टि से अच्छे बीजों की व्यवस्था करना बड़ा जरूरी है। आज देश में कई एक स्थानों पर बड़े खराब बीज बेचे जा रहे हैं। वे बीज खेतों में डाले तो जाते हैं पर वे उगते ही नहीं। अत: यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसानों के लिये अच्छे बीजों की व्यवस्था करे। यह भी होना चाहिए कि कृत्रिम बीजों की बिक्री पर कानूनी रोक लगाई जाय।

प्रवर समिति ने मूल विधेयक में कुछ परिवर्तन किये हैं। प्रवर समिति ने कुछ ऐसे सुझाव दिये हैं जिन पर विचार किया जाना चाहिये। एक सुझाव यह है कि केन्द्रीय समिति के अतिरिक्त हर राज्य में एक परामर्श दाता समिति होनी चाहिये। और इन समितियों में किसानों के प्रतिनिधि पर्याप्त संख्या में होने चाहिए। और ये प्रतिनिधि ऐसे हो जो आधुनिक कृषि का ज्ञान रखते हो। एक अन्य सुझाव यह भी है कि अच्छे निपुण किसानों को सरकार द्वारा उन्नत बीजों के उत्पादन के लिये भी प्रोत्साहन देना चाहिए। जो किसान गरीब है उन्हें सरकार को ऋण के रूप में सुधरे हुए बीज देने चाहिये। किसानों को फसल के समय पर बीज दिये जाने चाहिए और जैसे सरकार ऋणों को वसूल करे, इसे भी उसके साथ वसूल कर ले।

विधेयक में जो बीज समिति हैं उसके सदस्यों को मनोनीत करना और कृषि के लिये बीजों का खरीद्रना और बेचना भी सरकार के हाथ में होगा। एक केन्द्रीय प्रयोगशाला का भी सुझाव है। खंड 12 में बीज का विश्लेषण करने के लिये विश्लेषक तथा खंड 13 के अन्तर्गत निरीक्षकों की सहायता की गयी है। बीजों के आयात और निर्यात पर भी रोक लगायी गई है।

Shri Mohan Swaroop (Pilibhit) : This Bill is not going to give any benefit to the farmers. The situation is that the seeds which are being distributed by the Government Agencies are so bad that they cannot be depended upon for sowing purposes. Let me state that the working of the National Seeds Corporation require a lot of improvement It should be realized that the seeds supplied by these agencies should be of very high qualities. But situation is just the opposite. Unless some steps are taken to improve working of the Government agencies, the provisions that are made in the Bill will be of insignificant help to the farmers.

I agree that the object of the Bill is very laudable. But I feel that it has not been properly drafted. It will only result in the exploitation and harassment of the farmers.

I would like to urge that the seed multiplication farms should be encouraged and their scope should be enlarged. In this connection the package programme should be taken up at the district level also.

I want to urge upon the Government that this Bill should be withdrawn and in its place some comprehensive Bill should be brought forward. It should be a Bill which should really be of some benefit to the farmers.

Shri Vishwa Nath Pandey (Salempur): Just possible this Bill may prove useful otherwise but from the point of view of the farmers, it will not be of any advantage. No doubt the intention of the Government is to supply good seed to the farmers. But it should be realized that the land is limited and population is increasing day by day. With this the importance of seed is bound to increase. This is a very necessary thing for agricultural production. Let me stress in this connection the primary need to provide Storage facilities to the agriculturists. There must be some arrangment to protect the seed from the insects.

I want to point out that the cultivators have to face so many difficulties when they go to the Government godowns to purchase seeds. There difficulties should be attended to. For the benefit of the agriculturist the laboratories should be set up at the district level. At present whatever money is being spent on the laboratories is not adequately returned. There is hardly any credit is there in this connection.

This is also very objectionable that wide powers have been given to the seed inspectors. The experience of these inspectors is not very happy. These people will also exploit and will hardly be of any use. Also, the proposed advisory committee will comprise mostly of experts who will have no practical experience of agriculture. My submission is that experienced people should be included into it. Actual producers should be given representation in that body. I will draw the attention of the House to this fact also that nothing has been laid down in the Bill to save the poor farmers from the clutches of the profiteering dealers. This may be good Bill from the point of view of ideal. But we must also view it from the point of view of implementation.

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas): I am of the opinion that the Bill has not been drafted in the proper conditions. The difficulties of the farmers have not been kept in view. The practical difficulties have been totally ignored. We must look to this fact that the price paid to the cultivator for his produce is lower than what the cultivator is required to pay for seeds. This factor should be kept in view.

Let me tell you that the farmers had to pay Rs. 1400 per quintal when they had to purchase wheat for seed. I think it is doubtful whether the seed will be available to the cultivator in time. It also appears that no assurance has been given that there will not be profiteering when the seed are given to the farmers. There is a tradition in our villages that the cultivators either keep the seed with them or they borrow it from another farmer. I dont think all the complicated provisions of the Bill will be able to be implemented.

Shri Gajraj Singh Rao (Gurgaon): I donot want to say much regarding this Bill, but one thing is certain that the purpose behind the Bill is very good. But we should see that the provisions of the Bill should not remain on the paper. We should see to its practical side also. We should know that it is through the Civil Supplies Department, Control and Rationing, that Corruption started in India. I feel that the provisions of this Bill also going to open the new avenues for corruption,

We must not ignore the practical experience; we gain in the field. That is that a farmer produce more seeds that can be produced on the Government farm of the same area of the land. I feel that the Bill is based on mere assumption. It will be better

if it is with-drawn. What is required is that the Government should encourage the Cultivator by providing him water, fertilisers, implements and other neccessary items connected with agriculture. My request is that Government should withdraw the Bill.

Shri Shree Narain Das (Darbanga): This is a very important Bill but I feel it will not be very useful in this shape or form. I feel that the Government will not be in a position to meet the demand of the farmers for improved seed for a number of years. In the circumstances the present Bill may not be of any advantege. The need is that the provisions of the Bill should be made applicable to seeds of fruits and vegetables in the first instance. We should watch the situation for two or three years. The Question of implementation of the provisions of the Bill in respect of seeds of food grain should be taken up after taking into consideration the experiece of the working of the Act in regard to the vegetable and fruit seeds.

Let me also stress that it will be wrong and impractical to improve any control on the seed produced by the farmers. We must also look to the fact how the inspectors generally work. Experience of the people in respect of inspectors in various departments is not very happy. People have generally begun to hate them. What I want to urge is that inspectors proposed to be appointed under the present Bill should be men of high integrity with genuine love for the people at large.

One thing is really good, As far as the control on import and export of seeds are concerned, we should be very careful. Provisions of the Bill regarding this matter should be immediately implemented. This is very important and it is in the best interest of the country. This is also very essential that Government should implement the provisions of the Bill so carefully that no trouble is felt by the farmers. We must realize that the Bill effects lakhs of cultivators and there should not be any kind of discontent amongst them.

श्री हु० चा० लिंग रेड्डी (चिकबलपुर) : यह विधेयक बहुत ही महत्वपूर्ण कृषि है। उत्पादन की दृष्टि से यह विधेयक अत्यंत उपयोगी है। इस विधेयक के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई है कि केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारें बीज समिति की सिफारिश पर कुछ विशेष क्षेत्रों में बीजों की कुछ विशेष किस्मों को निर्धारित कर सकती हैं। इस बारे में मेरा निवेदन यह है कि सारे देश को एक क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिये। ऐसी व्यवस्था हो कि सारे देश में किसान सुधरे हुए उन्नत बीजों का प्रयोग करें। यह बात काफी अच्छी है कि बीज सम्बन्धी कानून बनाने से पूर्व उन्नत किस्म के बीजों को देश में पर्याप्त मात्रा में एकत्र किया जाय और इस तरह इस कानून को बनाने की पहले से ही तैयारी की जा सके।

मुझे इस बात पर हर्ष है कि केन्द्रीय बीज समिति में प्रत्येक राज्य का एक प्रतिनिधि होगा। केन्द्रीय सरकार नामजद करने वालों की जो संख्या निर्धारित कर रही है, उसमें कम से कम दो स्थान प्रगतिशील किसानों के लिये निर्धारित किये जाने चाहिए। प्रत्येक राज्य में एक उपसमिति नियुक्त की जाय और उसका सभापति केन्द्रीय बीज समिति का पदेन सदस्य होना चाहिए ताकि केन्द्रीय समिति तथा राज्य सरकारों की समितियों के बीच अधिक से अधिक समन्वय हो सके। इससे व्यवहारिक दृष्टि से भी कृषकों को काफी लाभ होगा।

इस विधेयक के उपबन्ध काफी कल्याणकारी है। इसके अन्तर्गत बीज परीक्षकों और निरीक्षकों को नियुक्त किये जाने की व्यवस्था है। उन लोगो को यह प्रमाणित करना होगा कि

अंकुरण एवं शुद्धता की दृष्टि से कुछ बीज उन्नत स्तर के हैं। बीज निरीक्षकों को अधिनियम के उपबन्धों को लागू करना होता है। यह बहुत ही आवश्यक चीज है : अन्त में मैं विधेयक का स्वागत करता हूं तथा सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन्नत बीजों के उत्दापन एवं देश के विभिन्न भागों में उनके उचित वितरण पर और अधिक ध्यान दिया जाय। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

Shri P. G. Sen (Purnia): This is a very important Bill. It is intimately connected with the farmers. The farmers are the back bone of the Society and the country. Any thing which is in the interest of the farmers should be passed. I think this thing has been realised that the supply of good seeds to farmers is a very necessary thing. They have been so far supplied with bad seeds they suffered a lot and production could not go up, though the suppliers did make some money.

Let me urge that in regard to the Central Seed Committee the Minister should have one representative of the farmers farms. Multiplication farms should be set up in every State and they should be entrusted to honest persons. It should be seen that they do not cheat the farmers. Let me also state that a copy of the report of the seed analyst regarding the samples collected by the inspectors should be sent to the District Agriculture Officers so that he should have full information regarding availability of seeds. With these words I welcome the bill and support it.

Shri Balmiki (Khurja): I support the soul and the spirit of the Bill but I am not satisfied with its outer shape. I think that Government have not been able to provide requisite facilities to the farmers. Their need in regard to irrigation, fertilizers and implements etc. have not be implemented. I think it is the duty of the Government to think over the matter relating to the provisien of good seeds to the farmers. If it is not done farmers will have to face their entire ruin.

The Canal Deparment do not provide adequate irrigational faciltiies to the farmers. They discriminate between one and another. In fact, the farmers are not given requisite facilities and their needs regarding irrigation, fertilizers, implements etc. have not been fulfilled by the Government. This is the fag end of the present Lok Sabha and the Government should thoroughly think over the question of providing good and improved seeds to the farmers and it should also ensure that they are not exploited. In addition to this, steps should be taken to see that the farmers are provided requisite facilities for growing good quality seeds. The Government should then bring forward a comprehensive Bill. For the time being, the passage of the present Bill should be postponed. Growers of seeds should also be consulted in the matter.

श्री दी० चं० शर्मा (गुदरासपुर) : अच्छे बीजों के उत्पादन के सम्बन्ध में हमारे कृषि विश्वविद्यालयों तथा कालेजों का कार्य उदासीन रहा है और सरकार इस प्रयास में बुरी तरह असफल रही है। मैं सरकार के उद्देश्य का स्वागत करता हूं। सरकार चाहती है कि कुछ ऐसे गांव बनाये जायें जहां केवल बीज ही बीज पैदा किया जाये। किन्तु इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध यह है कि बीज पैदा करने वाले गांवों के स्थान पर 500 एकड़ के ऐसे अलग-अलग फार्म बनाये जाये जहां हम बीज पैदा कर सकें और इन फार्मों का संचालन तथा देख-रेख उसी भांति की जाये जिस तरह सूरतगढ़ कृषि फार्म की, की जाती है, क्योंकि इस दिशा में उक्त फार्म ने काफी अच्छी प्रगति की है।

निरीक्षकों के बारे में बहुत कुछ कहा गया है किन्तु इसमें कोई सन्देह नहीं कि उनका कार्य निन्दनीय रहा है। अतः ऐसे कारगर उपाय निकालने जरूरी हैं जिनसे इनकी तानाशाही खत्म हो

और वे ग्रामीणों के हितचिन्तक मित्र तथा सलाहकार बन जाये। ये निरीक्षक हमारी सरकार की परेशानी के कारण है और वे प्रत्येक व्यक्ति के सामने कांग्रेस दल की निन्दा करते फिरते हैं। किन्तु दुःख है कि सरकार देश में ऐसे निरीक्षकों के एक और वर्ग को जन्म दे रही है।

जहां तक बीज-विश्लेषक की योजना का सम्बन्ध है, मैं इस व्यवस्था का स्वागत करता हूं बशर्ते कि इन प्रयोगशालाओं को उन वैज्ञानिकों के अधीन रखा जाये, जो अपनी ईमानदारी सिद्ध कर चुके हैं ताकि वहां भी भ्रष्टाचार अपनी जड़े न फैलाने पाये।

जहां तक बीजों को डिब्बों अथवा पेटियों में बन्द करके उपलब्ध अथवा वितरण कराने की योजना का सम्बन्ध है, यह सराहनीय उपबन्ध है और इसका स्वागत है किन्तु यह व्यवस्था करना अनिवार्य है कि उनमें केवल अच्छी किस्म के बीज ही रखे जायेंगे।

मंत्री महोदय को मैं एक यह सुझाव देना चाहता हूं कि केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड में विभिन्न हितों को कुछ अधिक प्रतिनिधित्व देने के लिए, उन्हें प्रयत्न करना चाहिए। उन्हें इन बीजों की रासायनिक प्रक्रिया भी इस ढंग से सुनिश्चित करनी चाहिए जिससे कि इन अधिकारियों की ओर से अपमिश्रण अथवा भ्रष्टाचार का कोई खतरा न रहे, प्रस्तुत विधेयक अच्छा है किन्तु इसमें ऐसी व्यवस्था करना जरूरी है जिससे भ्रष्टाचार और अपमिश्रण को पूर्णतः रोका जा सके और किसानों को किसी प्रकार भी हानि न पहुंचे। विधेयक के उद्देश्य की सही ढंग से पूर्ति होने पर कृषकों को इससे काफी लाभ होगा।

Shrimati Joraben Chanda (Banaskantha): If we want to make a break through on the food front, it is absolutely necessary to provide quality seeds to the farmers so that agricultural production may increase; and also for the proper utilisation of these good seeds, it is essential for the Government to take care to ensure adequate supply of water otherwise the whole purpose will be defeated as the good seeds will go waste. We see that the crops often suffer a heavy damage due to inadequate supply of water in the fields and it is, therefore, necessary to take steps to ensure that requisite irrigational facilities are provided to the farmers particularly in the areas covered by the canals.

There have been instances when the seeds purchased by the farmers from the Government did not germinate. So it is also necessary for the Government to test the seeds before selling them to the farmers so that recurrence of such instances is stopped Seeds should be provided to the farmers in time. The Government should come forward with a comprehensive scheme to provide requisite facilities in regard to irrigation, fertilizers implements ete etc. to the farmers.

Shri Shyam Dhar Misra: I share the views expressed by the hon. Members who have participated in the debate. The Government are aware that the cultivators cannot get all the seed they need. They are not getting improved seed. The total need for the whole country is to the tune of 3 million tonnes of improved seed. We had proposed to bring about 160 million acres of land under improved variety of seeds during the Third Five Year Plan. We have, however, been able to put only 125 million acre land under seed and there too not all of it under improved variety but ordinary improved variety. We expect that by the end of the Fourth Plan we will be able to sow improved variety of seed in about 75 million acres of land.

But the purpose of the Bill is not to cover all varieties of seed required for agricultural purposes. The figure of 3 million tons related only to some of them which have been enumerated. For the current year, we have prepared a programme for 6 miliion acres of land for intensive cultivation.

The main purpose of the Bill is not to control the seeds but to regulate them and to save them from being adultrated. It has been specifically laid down in the Bill that these provisions will not apply to sale of seeds by one farmer to another. But if a trader wants to sell the seed, this can only be in a particular label container. The word 'container' has been defined in the Bill as 'a box, bottle, casket, tin, barrel, case, receptable, sack, bag, wrapper or other thing in which any article or thing is placed or packed.' The container will therefore, be easily available.

The charge that the seeds corporation is indulging in profiteering, and it is charging at exorbitant rates is not correct. The fact is that the money it charges is being used for processing. In processing, the bad seed is separated from the good one If the farmer has to pay somewhat more for the good seed, he will certainly not be looser because it will mean much higher production. Therefore, the Bill does not affect the producer but it rather protects his interests.

At present we have 15 States laboratories and including the Pusa Institute we have in all 16 testing laboratories in the country, where 10 thousand samples are tested every year we propose to increase this capacity to 20 to 30 thousand.

So far as the Advisory Committee is concerned, among the eight nominated members of this Committee, the Government will certainly include two persons to represent the interests of the seed growers.

We are having only a Central Committee for we wanted to determine a para variety of seed. There are several improved varieties in the States which we have no idea to regulate. If there are Committees at State lavel also, this will only lead to differences and conflicts. But the State Governments are free to informally form the Committees to advise them.

The suggestions made by hon. Members do carry weight. We also share their sense of anxiety in this regard. And I do not claim to rectify all the defects through the Bill, but in this Bill we have made an endeavour to rectify the defects as far as possible and to give maximum benefits to the farmers.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि कुछ विक्रयार्थ बीजों की क्वालिटी के विनियमन और तत्संसक्त बातों के लिए उपबन्ध करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पारित किये गये रूप में तथा प्रवक समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार किया जाये ।"

लोक.सभा में मत विभाजन हुआ; पक्ष में 150; विपक्ष में 14.

The Lok Sabha divided; Ayes 150; Noes 14.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 2 (परिभाषाएं)

श्री श्यामधर मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"पृष्ठ 2, पंक्ति 17:–

"In relation to a notified seed', "अधिसूचित बीज के सम्बन्ध में" **शब्द हटा दिये जायें (1)**

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ;

"पृष्ठ 2, पंक्ति 17,–

"In relation to a notified seed" "अधिसूचित बीज के सम्बन्ध में" शब्द **हटा दिये जायें (9)**

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The Motion was adopted.

खण्ड 2, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 2, as amended, was added to the Bill

खण्ड 3.

श्री यशपाल सिंह : मैं अपना संशोधन संख्या 2 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विभूति मिश्र : मैं अपने संशोधन संख्या 3 और 4 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं अपने संशोधन संख्या 10 और 11 प्रस्तुत करता हूं ।

Shri Yashpal Singh : Out of eight persons to be nominated by the Central Government on the Central Seed Committee to represent various interests there should be at least two persons to represent the interests of the farmers. Krishi Pandits declared so far should be the ex-officio members of the Committee.

Shri Bibhuti Mishra : There should be six representative of farmers in the Central Seed Committee. There should also be two representatives of the farmers who have received education in agriculture.

It is being provided in clause 3 that each State Government will nominate one person on the Committee. Instead, Legislative Assembly should elect one person to the Committee.

So far as clause 8 is concerned, Agricultural Directors should be made Certification authorities.

Appeals made under sub-clause 1 of clause 11 should be decided within a month.

The rules that will be framed under the bill should be such as do not cause any hardship to the farmers.

श्री रंगा (चित्तूर) : सबसे पहली बात तो यह है कि मैं मनोनीत करने की इस पद्धति का ही विरोध करता हूं और दूसरी बात यह कि यदि इसे स्वीकार कर भी लिया जाये, तो केन्द्रीय बीज समिति के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जाने वाले आठ सदस्यों में से कम से कम 6 सदस्य बीज उत्पादक संगठनों अथवा किसान संगठनों से लिये जाने चाहिए जो उसमें इन संगठनों का प्रतिनिधान करें । मेरा दूसरा सुझाव जो कि ये पहले ही दे चुका हूं, यह है कि इस समिति का सभापति कोई ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक होना चाहिये, जिससे कि हमारे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं में से ऐसे किसी भी व्यक्ति को, जिसका राजनीति से अथवा किसी भी राजनैतिक दल से कोई सम्बन्ध नहीं है, इस समिति का सभापति बनाया जा सके अन्यथा समिति के कार्य पर उचित रूप से नियंत्रण रखना संभव नहीं हो सकेगा । केवल इस प्रकार की एक समिति बना देना ही पर्याप्त नहीं है । सबसे अच्छा तो यह था कि हम एक ऐसे स्वतंत्र आयोग की स्थापना कर देते

जिसे वे सभी अधिकार दे दिये जाने जो कि प्रस्तुत विधेयक के माध्यम से भारत सरकार को दिये जा रहे हैं ।

मैं आशा करता हूं कि सरकार भी विभूति मिश्र के संशोधन को स्वीकार करेगी और मेरे उन सुझावों पर फिर से विचार करेगी जो मैंने समिति के अध्यक्ष की पात्रता तथा समिति के स्थान पर आयोग की स्थापना करने के सम्बन्ध में दिये हैं ।

Shri Vishwa Nath Pandey : Sir, Among 8 persons to be nominated by the Central Government on the Central Seed Committee, two persons should be nominated from the actual farmers. The State Governments should also be asked to constitute advisory Committees to advise them in the matters arising out of the administration of this Act.

Shri Sheo Narain (Bansi) : Sir, I support the amendment suggested by Shri Bibhuti Mishra that out of 8 persons to be nominated by the Central Government on the Central Seed Committee, there should be at least two persons to represent the interests of the farmers and they should belong to actual farmers organisations.

श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा (आनन्द) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि केन्द्रीय बीज समिति में अखिल भारतीय बीज उत्पादक, विक्रेता तथा पौधा लगाने वालों की संस्था के प्रतिनिधियों को भी लिया जाना चाहिए ।

Shri Tulsidas Jadav (Nanded) : I support Mr. Bibhuti Mishra's amendment. I wish that the majority of the Members of this Committee should not be such persons who are not themselves cultivators. The farmers will have more faith in this Committee, if the majority of its members are farmers.

श्री सोनावने (पंढ़रपुर) : मैं श्री विभूति मिश्र के संशोधन का समर्थन करता हूं, परन्तु उनके संशोधन का समर्थन करते समय मैं उनसे यह स्पष्ट आश्वासन चाहूंगा कि वह अपने संशोधन को मतदान के लिये रखेंगे, क्योंकि वह प्रायः मतदान के समय अपने संशोधनों को वापिस ले लेते हैं और यदि वह इस संशोधन को भी वापिस लेंगे तो उसका समर्थन करना निरर्थक होगा ।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री द्वारा दिये गये सब आश्वासनों का इस लिये पालन नहीं किया जाता, क्योंकि वे सुझाव उसके विभाग द्वारा तैयार किये हुये होते हैं, और मंत्रियों का परिवर्तन होने के साथ-साथ विभाग की राय में भी परिवर्तन हो जाता है । इस लिये यह परमावश्यक है कि इस विधेयक में कृषकों के हितों के प्रतिनिधित्व का विशिष्ट उपबन्ध होना चाहिये । मैं जानता हूं कि केन्द्रीय सरकार उनके हितों की रक्षा करेंगी, परन्तु मैं चाहता हूं कि इस समिति में किसानों के प्रतिनिधियों का काफी बहुमत होना चाहिये । इसलिये मैं श्री विभूति मिश्र द्वारा पेश किये गये संशोधन का समर्थन करता हूं ।

Shri K. N. Tiwary (Bagaha) : It has always been argued in the meetings of the Consultative Committee or A. I. C. C. or at other places that cultivators should be given majority representation in such bodies and this argument has also been accepfed. So the hon. Minister should accept this amendment.

श्री रंगा (चित्तूर) : माननीय मंत्री को यह संशोधन स्वीकार करना चाहिये ।

खाद्य, कृषि सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री श्यामधर मिश्र) : श्री विश्वनाथ पाण्डेय के इस संशोधन को कि इस समिति के आठ सदस्यों में से कम से कम दो व्यक्ति बीज उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे स्वीकार किया जा सकता है । खण्ड 3 (2) (iii) में मैं

इस संशोधन को निम्न रूप में स्वीकार करता हूं :

"जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति बीज उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे"

श्री यशपाल सिंह ने सुझाव दिया है कि कृषि पंडितो को इस समिति के सदस्य बनाया जाये । मैं कृषि पंडितों के कार्य की सराहना करता हूं । वे बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं तथा देश के उत्पान में वृद्धि कर रहे है, परन्तु उन्हें इस समिति का सदस्य नहीं बनाया जा सकता ।

श्री रंगा के इस सुझाव के बारे में कि इस समिति का प्रधान एक प्रख्यात वैज्ञानिक होना चाहिये मैं सभा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यह एक तकनीकी समिति है और हम इस बात का पूरा प्रयत्न करेंगे कि इसमें केवल तकनीकी व्यक्तियों को रखा जाये ।

जहां तक एक स्वतंत्र आयोग अथवा समिति की नियुक्ति का प्रश्न है, मैं श्री रंगा से अनुरोध करूंगा कि वह इस समय उस पर जोर न दें तथा यथा समय जब आवश्यक समझा जायेगा उस पर विचार किया जायेगा ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी संशोधन मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 10 को मंत्री महोदय द्वारा संशोधित रूप में मतदान के लिये रखता हूं । प्रश्न यह है :

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 "Thinks fit" ["उचित समझता है"] के **पश्चात्**

"of whom not less than two persons shall be representatives of growers of seed"

["जिनमें से कम से कम दो व्यक्ति बीज उत्पादकों के प्रतिनिधि होंगे"] रख दिये जायें ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

खण्ड 3, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 3, as amended was added to the Bill

नया खण्ड 3 क

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं अपना संशोधन संख्या 12 प्रस्तुत करता हूं ।

The reason for moving this amendment is that it has been provided in the bill that a Committee would be constituted at centre. But I think that it would not be possible for the Central Committee to discharge its multifarious activities single handed. So I have suggested that Committees should also be constituted at State and district level. If that is done I think the purposes of this Seed Bill would be fully met. I hope the hon. Minister will accept my amendment.

अध्यक्ष महोदय : संशोधन अब सभा के समक्ष है ।

श्री सोनावाने : मैं श्री विश्वनाथ पाण्डेय के संशोधन का समर्थन करता हूं और कहता हूं कि ऐसी मंत्रणा समिति आवश्यक है । कई दफा देखा गया है कि बीजों के भाव 12 से 15 रुपये प्रति किलो ग्राम हो जाते हैं । यदि ऐसी मंत्रणा समिति नहीं बनाई गई तो हो सकता है कि बीजों के भाव और भी अधिक हो जायें, जिससे किसानों को बड़ी हानि होगी । अतः यदि ऐसी समिति बनाई जाती है और उसमें गल्ला उत्पादकों के प्रतिनिधियों को शामिल किया जाता है, तो वे समिति के समक्ष अपनी राय पेश कर सकेंगे । साधारण अनाज का भाव 53 अथवा 55 पैसे प्रति किलो होता है, जबकि बीजों का भाव 12 से 16 रुपये प्रति किलो होता है । अतः मेरा निवेदन है कि उत्पादकों के प्रतिनिधि भी अवश्य शामिल किये जाने चाहियें ।

Shri Tulsidas Jadav: It is appreciable that provision has been made for the appointment of a Central Advisory Committee. But I think that it is very essential to appoint such a Committee on State level also. If no Committees are appointed at State levels, then who will carry out the programmes of the Central Committee. Many hon. members who have deep interest in clutivation have shown their extreme anxiety for the appointment of such Committees at States level. I request the Government that this should not be considered as a prestige issue and this amendment should be accepted.

Shri Shyam Dhar Misra: Mr. Speaker, I am sorry that I find no justification in accepting this amendment. I do not consider it as a prestige issue, but I am of the opinion that if this amendment is accepted no useful purpose would be served. We are going to appoint a Central Committee and which will advise the Central and State Governments about the varieties of seed and will determine which particular seed should be declared as national seed or which particular seed be declared as State seed of a particular state. Now the appointment of 16 Committees at state levels would be a mere duplication. Moreover it is also possible that the recommendations of the State Committees may conflict with the recommendation of Central Committee. That would create difficulties for the farms and they would be at a loss to understand whether they should use the seed recommended by the Central Committee or the State Committee. So it is undesirable to have the Seed Committee in the States. I am unable to accept this ammendment,

अध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य अपने संशोधन संख्या 12 को मतदान के लिये रखना चाहते हैं।

श्री विश्वनाथ पाण्डेय : मैं अपना संशोधन वापिस लेने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं।

संशोधन सभा की अनुमति ये वापिस लिया गया।

The amendment was by leave withdrawn

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 से 6 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 4 से 6 विधेयक में जोड़ दिये गये।

Clauses 4—6 were added to the Bill

खंड 7

श्री रंगा : यह खण्ड बहुत अनुचित है। इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अथवा अपनी ओर से किसी अ य व्यक्ति द्वारा अधिसूचित किस्म से बीज को बेचने, बेचने के लिये रखने तथा बेचने के लिये पेश करने, किसी अन्य बीज से बदलने अथवा किसी अन्य प्रकार से बीज की सप्लाई करने आदि का व्यापार करने का अधिकार जब तक नहीं होगा तब तक कि उसकी किस्म को सरकार द्वारा प्रमाणीकृत न करवा लिया गया हो। एक ओर तो सरकार कहती है कि बीज के व्यापार के लिये किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होगी और दूसरी ओर ये शर्तें लगाई जा रही है कि कोई भी व्यक्ति अपने आपको प्रमाणीकृत करवाये बिना अथवा लाइसेंस प्राप्त किये बिना बीज का व्यापार नहीं कर सकता। क्या सरकार चाहती है कि प्रत्येक व्यापारी को अपने आप को प्रमाणीकृत करवाना चाहिये। यह सही है कि कुछ विशेष किस्मों का प्रमाणीकरण किया

जाना चाहिये, परन्तु व्यापारियों पर सरकार द्वारा प्रमाणीकृत बीजों को खरीदने, बेचने, बदलने अथवा लाने ले जाने पर कोई रोक नहीं होनी चाहिये । यदि व्यापारियों पर ये शर्तें लगाई गई तो उन्हें उनकी पूर्ति के लिये बहुत सा धनखर्च करना पड़ेगा और वे अपने व्यापार को अच्छी तरह नहीं चला सकेंगे । मैं इस सम्बन्ध में स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि बीज के प्रत्येक व्यापारी को किसी से अनुज्ञा अथवा लाइसेंस प्राप्त किये बिना बीजों को देश के एक भाग से दूसरे भाग में निर्बोध रूप से ले जाने की इजाजत होगी ।

दूसरे इन शर्तों का कोई विशेष उद्देश्य नहीं है । प्रवर समिति ने भी इस पर विचार किया था, परन्तु उन्होंने इन उपबन्धों को और भी खराब बना दिया है। प्रवर समिति ने 'बेचने, बेचने के लिये रखने ·····" शब्दों का प्रयोग किया है : बेचने के लिये रखने का क्या अर्थ है ? इसका अर्थ यह होगा कि यदि कोई व्यक्ति जो नियमित व्यापारी नहीं है, कुछ अनाज को इस उद्देश्य से रखता है कि वह उसे फसल के समय बीजों के लिये इस्तेमाल करेगा तथा अपनी आवश्यकतानुसार अपनी खेती के लिये उनका इस्तेमाल करके शेष को किसी व्यापारी को बेचना चाहता है, तो उसे इस खण्ड के अन्तर्गत सजा दी जायेगी । इस प्रकार "बेचने के लिये पेश करना" शब्द का प्रयोग किया गया है अर्थात् यदि वह अपनी गाड़ी आदि में रखकर उसे बाजार में बेचने जाता है, तो भी दण्ड का अधिकारी होगा ।

श्री सोनावने : मैं बीजों के मूल्य नियत करने पर जोर देता रहा हूं । इस विधेयक में कहीं भी बीजों के मूल्य नियत करने का उपबन्ध नहीं किया गया है । इसका परिणाम यह होगा कि बीज बहुत मंहगे भाव पर बेचे जायेंगे और उन गरीब किसानों को जो अनाज का उत्पादन करते हैं, बहुत कष्ट उठाने होंगे । इस लिये मैं चाहता हूं कि बीजों के विक्रय मूल्य को नियत करने का उपबन्ध होना चाहिये । खन्ड 7 के उप-खण्ड (घ) में बीजों के विक्रय मूल्य का उचित उपबन्ध किया जाना चाहिये ।

श्री श्यामधर मिश्र : मैं माननीय श्री रंगा को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा यह इरादा बिल्कुल नही है कि व्यापारियों पर दबाव डाला जाये कि वे बेचने के लिये लाइसेंस बनवायें विधेयक में यह उपबन्ध है कि कोई भी व्यापारी किस्म के बीजों को बिक्री के लिये नहीं रख सकता यदि कोई व्यक्ति अधिसूचित किस्म रखता है तो यह अंकुरण, स्वच्छता आदि की न्यूनतम सीमाओं के अनुकूल होनी चाहिये ।

इस विधेयक का उद्देश्य बीजों के बिक्री भाव निर्धारित करना नहीं है । कृषि-क्षेत्र में हमारी अर्थ व्यवस्था विकास शील है । हम ऐसे उपाय या ढंग नहीं निकाल सकते जिससे सुधरे हुए बीजों की दर निश्चित हो सके । यह निश्चित है कि सुधरे हुए बीज कुछ मंहगे होंगे,, परन्तु हम इस बात का लगातार ध्यान रखते हैं कि इनके भाव अधिक न बढ़े । खण्ड 7 (घ) का उद्देश्य बीजों की बिक्री की दर निर्धारित करना नहीं है । उसका उद्देश्य तो केवल यही है कि अधिसूचित प्रकार या किस्म का बीज रहेगा और ऐसा बीज विशिष्ट डिब्बों आदि में बन्द होगा ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The Motion was adopted.

खन्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 7 was added to the Bill

खन्ड 8

श्री रंगा : खण्ड 8 के अनुसार खाद्य तथा कृषि मंत्री द्वारा राज्य स्तर पर एक प्रमाणीकरण अभिकरण की नियुक्ति की जायेगी न कि एक प्रमाणीकरण प्राधिकार की । प्रमाणीकरण अभिकरण मे ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त किया जायेगा, जो कि राजनीतिकों के दबाव के अनुसार काम करें । उन्हें राजनैतिक दबाव के कारण अपने निर्णय के विरुद्ध भी काम करना होगा । इस अवस्था में प्रत्येक जिले में उन हजारों व्यक्तियों को जिन्हें प्रमाणपत्र प्राप्त करने होगे, इस अभिकरण की दया पर निर्भर रहना होगा । अतः मैं चाहता हूं कि प्रमाणी-करण प्राभिकरण नियुक्त न करके प्रमाणीकरण प्राधिकार की नियुक्ति की जाये प्रमाणीकरण प्राधिकार के प्रधान को राज्य सरकार के नियंत्रण में नहीं रखा जाना चाहिये तथा उसका सेवाकाल तीन अथवा चार वर्ष निर्धारित किया जाना चाहिये । राज्य स्तर पर काम कर रहे परिवहन प्राधिकारों तथा खादी व ग्रामोद्योग निकायों आदि के प्रधान प्रायः उन व्यक्ति को बनाया जाता है । जो हारे हुये मंत्री, विधायक अथवा संसद सदस्य होते हैं । यदि इस अभिकरण में भी ऐसे ही व्यक्तियों को नियुक्त किया गया और उन्हें उस राज्य की दैनिक राजनीति से संबन्धित रखा गया तो स्थिति बहुत खराब हो जायेगी । मैं चाहता हूं कि इस अभिकरण में राजनीतिज्ञों को नहीं अपितु सेवा-निवृत न्यायधीशों को नियुक्त किया जाना चाहिये । मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं एक तो यह कि यह अधिकार एक स्वतंत्र अधिकार होना चाहिये और इसके दैनिक कार्य में सरकार द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिये और दूसरे इसमें राजनीतिकों को नहीं बल्कि सेवानिवृत्त जिला न्यायधीशों सेवानिवृत उच्च न्यायायलय के न्यायधीशों अथवा ऐसे ही किन्हीं व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना चाहिये और उनकी सेवा की अवधि तीन वर्ष निश्चित की जानी चाहिये । यदि ऐसा न किया गया तो शक्ति का दुरुपयोग होने की संभावना हैं ।

Shri Tulsidas Jadav: It has been stated in clause 8 that the State Government or the Central Government in consultation with the State Government, may, by notification in the Official Gazette, establish a certification agency for the state to carry out the functions entrusted to the certification agency by or under this Act. I am of the opinion that there is no necessity or justification for appointing any such agency. There is a seed farm in every Tehsil and the officers incharge of these farms are such persons who know every thing about seeds and their certification. Therefore the work of seed certification could easily be entrusted to them. If they are authorised to certify the seeds, then there is no necessity of appointing any other agency.

Shri Bhihuti Mishra(Motihari): The definition of the certification agency has been given in clause (3) which reads :

(3) "certification agency" means the certification agency established under section 8 or recognised under section 18".

Now section 18 reads :

"18. The Central Government may, on the recommendation of the Committee and by notification in the Official Gazette; recognise any seed certification agency established in any foreign country for the purposes of this Act"

It is not proper to recognise foreign agencies as seed certification agencies. We should not rely upon them and the work of seed certification should not be entrusted to them. During the last 20 years we have been working with the advice of the foreigners

and the result is that we could not register any increase in our production. Our own farmers are quite competent for this work and they have been doing it from generations. As Shri Ranga has suggested the authority of seed certification should be entrusted to a particular authority having expert knowledge about seeds. There are agriculture directors and I think they should be entrusted the work of seed certification. I therefore suggest that the word "authority" may be substituted for the word "agency" and the word "director" should be added there.

Shri Shyam Dhar Misra : I want to tell the hon. Members that it is a technical committee and not a political committee. Politicians or judical officers will not be appointed in this Committee. The members of this Committee will be technicians who have expert knowledge about seeds, their contents and their germination etc. There are specified rules for the composition of such Committees but it is not possible to incorporate them in this bill.

It think Mr. Ranga is under the impression that it is obligatory on the part of every trader to get himself certified. I want to draw your attention to clause 9 in this connection which reads :

> "9 (1) Any person selling, keeping to sale, offering to sale, bartering or otherwise supplying any seed of any notified kind or variety may, if he desires to have such seed certified by the certification agency, apply to the certification agency for the grant of a certificate for the purpose'"

So it is evident from this clause that it is not obligatory on the part of every trader to get himself certified from the notified authority. However, it is open to him to get himself certified in his own interest and in the interest of his trade.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खन्ड 8 विधेयक का अंग बने"

सभा में मत विभाजन हुआ, पक्ष में 123 विपक्ष में 14

The Lok Sabha divided; Ayes 123; Noes 14.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The Motion was adopted.

खण्ड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 9 was added to the Bill

खन्ड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clauee 10 was added to the Bill

खण्ड 11

श्री विभूति मिश्र : मैं अपना संशोधन संख्या 6 प्रस्तुत करता हूं ।

I want that at page 7, line 10. the word "as expeditiously as possible" be substituted with the words "within a month" I think it is very essential that if any body appeals against the rejection of his claim for certification, his case must be decided within a month. If the words "as expeditiously as possible" are continued to be there, I think that there is every likelyhood that his case may not be decided for a

very long time which would mean unnecessary harassment to him. So I suggest that the words "within a month" be substituted for the words "as expeditiously as possible so that it may be ensured that he will get justice within a month.

Shri Shyam Dhar Misra : I am sorry that I am not in a position to accept this amendment. Our idea is that the matters should be settled as expeditiously as possible but as it is a technical matter and thorough examination is required, it is possible a particular matter may not be disposed of within a month.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 6 मतदान के लिये रखता हूं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ
The amendment was put and negatived

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1। विधेयक का अंग बने" ७

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।
The Motion was adopted

खन्ड 11 विधेयक में जोड़ दिया गया
Clause 11 was aded to the Bill

खण्ड 12 और 13 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 12 and 13 were added to the Bill

खण्ड 14

श्री रंगा : खण्ड 14 के अन्तर्गत बीज निरीक्षक को नमूने लेने के बारे में, जो अधिकार दिये जा रहे है वे बहुत व्यापक है और उनका दुरुपयोग होने की संभावना है । उदाहरणार्थ बीज निरीक्षक को यह अधिकार दिया जा रहा है कि वह किसी भी व्यक्ति से जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान ले जा रहा है, नमूने ले सकेगा । इसका परिणाम यह होगा कि बीज निरीक्षक किसी भी गाड़ी वाले अथवा मोटर गाड़ी के ड्राइवर के जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अनाज ले जा रहा है, तंग कर सकेगा और इससे तंग आकर उसे 5 अथवा 10 रुपये रिश्वत देनी पड़ेगी । अतः मैं समझता हूं कि उपखन्ड (ii) में दी गई व्यापक शक्तियां बीज निरीक्षक को नहीं दी जानी चाहियें । यदि उनको इतनी व्यापक शक्तियां दी गई तो उनका दुरुपयोग किया जायेगा । इससे निर्दोष व्यक्तियों को अकारण तंग किया जा सकेगा ।

श्री कु० कृ० वर्मा (सुलतानपुर) : खण्ड 14 एक बहुत ही सरल खंड है । यह बीज निरीक्षक को अधिकार देता है कि वह बीजों का नमूना ले । इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिससे किसी शरारत की गुंजाइश हो तथा इस बारे में किसी प्रकार की आशंका करना ठीक नहीं है ।

श्री श्यामधर मिश्र : यदि बीज निरीक्षक को नमूना लेने का अधिकार न हो तो बीज निरीक्षक रखने का लाभ ही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 14 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The Motion was adopted

खण्ड 14 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 14 was added to the Bill

खण्ड 15 से 18 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clauses 15 to 18 were added to the Bill

खण्ड 19 (दंड)

श्री रंगा : इस खण्ड में अर्थ दंड की व्यवस्था है जो कि 500 रुपये तक हो सकता है । मेरे विचार में यह बहुत अधिक है । यह राशि कम करके 250 रुपये कर दी जानी चाहिये । 250 रुपये भी बहुत अधिक है ।

Shri Tulsi Das Jadhav (Nanded) : The penality of Rupees five hundred and imprisonment upto six months under this clause is not proper. It is not only the traders who trade in seeds. Cultivators also trade in seeds. They are poor people and cannot afford to pay.

Shri Shyam Dhar Misra : Clause 19 provides for Maximum punishment. The courts actually award the punishment on the merits and demerits of the case and the gravity of offence. This clause will not affect small agriculturists but it will affect only those agriculturists who trade in seeds.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 19 विधेयक का अंग बने"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted.

खण्ड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 19 was added to the Bill

खण्ड 20 से 24 विधेयक में जोड़ दिये गये ।
Clause 20 to 24 were added to the Bill

खण्ड 25- (नियम बनाने की शक्ति)

श्री रंगा : मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमें यह आश्वासन देंगे कि जब इस अधिनियम के अधीन नियम बनाये जायें तो प्रमाणित करने वाले प्राधिकार अथवा अभिकरण को दी जाने वाली शक्तियों के विरुद्ध संरक्षण की कोई व्यवस्था की जाये । आशा है कि वह मेरे सुझावों पर ध्यान देंगे ।

Shri Bibhuti Mishra : The rules should be framed in such a way that no inconvenience, embarassment or loss is caused to the agriculturists. People of integrity should be appointed on the posts of seed inspectors.

Shri Tulsidas Jadhav : If any offence is commited by a company and the person incharge of the Company proves that the act was committed without his knowledge, he will not be punished, but there is no similar provision for small agriculturists. While framing the rules it should be seen that no injustice is done to any agriculturist.

Shri Shyam Dhar Mishra : I assure the House that the rule framed will be beneficial to the agriculturist. This Bill has been introduced in the interest of the agriculturists. Shri Jadhav has objected to the provision of proving of guilty intent in the matter of directors of companies unless the guilty intent of a person is proved, how can he be punished.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है ।

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 25 was added to the Bill

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ :

The motion was adopted

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया ।

Clause 1, the enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री श्यामधर मिश्र : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

जैसा कि सभा को मालूम है, राज्य-सभा के 18 नम्बर, 1964 को बीज विधेयक, 1964 पारित किया था, अब उसमें लोक-सभा ने निम्नलिखित संशोधन किये हैं :

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
1	पृष्ठ 1, पंक्ति 1,— "fifteenth" ["पन्द्रहवें"] के स्थान पर "Seventeenth" ("सत्रहवें") रख दिये जायें ।	अधिनियम सूत्र
2	पृष्ठ 1, पंक्ति 3,— "1964 के स्थान पर "1966" रख दिये जाये ।	1
3	पृष्ठ 1, पंक्तियां 4 तथा 5, "except the State of Jammu & Kashmir" ("जम्मू तथा काश्मीर राज्य के अतिरिक्त") शब्द हटा दिये जायें ।	1
4	पृष्ठ 1,— पंक्तियां 12 तथा 13 निकाल दी जायें ।	2
5	पृष्ठ 1, पंक्ति 15, "established" ("स्थापित") के पश्चात "or declared as such" ("अथवा इस प्रकार घोषित") शब्द रख दिये जायें ।	2

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
6	पृष्ठ 1, पंक्ति 17,— "Section 8" ("धारा 8") के पश्चात "or recognised under Section 18" ("अथवा धारा 18 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त") शब्द रख दिये जायें ।	2
7	पृष्ठ 1,— पंक्तियां 18 तथा 19 निकाल दी जायें ।	2
8	पृष्ठ 2,— पंक्ति 6 तथा 7 के स्थान पर "(8)" 'export' means taking out of India to a place out side India" ("निर्यात से अभिप्राय भारत के बाहर किसी अन्य स्थान में ले जाना है") शब्द रखे जायें ।	2
9	पृष्ठ 2,— पंक्तियां 8 से 11 निकाल दी जायें ।	2
10	पृष्ठ 2, पंक्तियां 12 तथा 13 के स्थान पर— "(11) 'import' means bringing into India from a place outside India," '(11) 'आयात' से अभिप्राय भारत से बाहर किसी स्थान से भारत में लाना है") शब्द रखे जायें ।	2
11	पृष्ठ 2, पंक्ति 14,— "in relation to a notified seed," ("अधिसूचित बीज के सम्बन्ध में,") शब्द निकाल दिये जायें ।	2
12	पृष्ठ 2, पंक्ति 17,— "rice" ("चावल") के स्थान पर "paddy" ("धान") शब्द रख दिये जायें ।	2
13	पृष्ठ 2,— पंक्तियां 18 तथा 19 निकाल दी जायें ।	2
14	पृष्ठ 2,— पंक्तियां 20 तथा 21 के स्थान पर (14) "notified kind or variety in relation to any seed means any kind or variety thereof or variety thereof notified under section 5;" (14) किसी बीज के सम्बन्ध में "अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार" से अभिप्राय धारा 5 के अन्तर्गत अधिसूचित कोई किस्म अथवा प्रकार हैं ;) शब्द रख दिये जायें ।	2

क्रम सख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
15	पृष्ठ 2,— पंक्तियां 24 तथा 25 निकाल दी जायें ।	2
16	पृष्ठ 2, —पंक्ति 26,— "classes of seeds" ("बीजों केवर्ग") शब्दों के बाद "used for sowing or Planting" (बुआई तथा कृषि में प्रयुक्त") शब्द रखे जायें ।	2
17	पृष्ठ 2, पंक्ति 31 तथा 32, "cuttings" ("कलमों") के "all types of grafts" ("सभी प्रकार के पेबन्द") शब्द रख दिये जायें ।	2
18	पृष्ठ 2, पंक्ति 41,— "established" ("स्थापित") के बाद "or declared as such ("इस प्रकार घोषित") शब्द रख दिये जायें ।	2
19	पंक्ति 13 से 30 के स्थान पर रखिये—	3
	(ii) "eight persons to be nominated by the Central Government to represent such interests as that Government thinks fit; (iii) "one person to be nominated by the Government of each of the States." "of whom not less than two persons shall be representatives of growers of seeds" ("(दो) केन्द्रीय सरकार द्वारा नाम निर्देशक दिये जाने वाले आठ व्यक्ति जो ऐसे हितों का प्रतिनिधित्व करें, जिन्हें केन्द्रीय सरकार उचित समझे, जिनमें से बीजों के उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करने वाले दो से कम व्यक्ति नही होंगे ; (तीन) प्रत्येक राज्य की सरकार द्वारा नाम निर्देशित किया जाने वाला एक व्यक्ति ;)	
20	पृष्ठ 3, पंक्ति 33,— "one year" ("एक वर्ष") के स्थान पर "two year" ("दो वर्ष") रख दिया जाये ।	2
21	पृष्ठ 4, पंक्ति 14,— "Central Seed Laboratory" ("केन्द्रीय बीजप्रयोगशाला") "or declareany seed laboraotry as the Central Seed Laboratory" ("अथवा किसी वीज प्रयोगशाला को केन्द्रीय बीज प्रयोग शाला घोषित करना") शब्द रख दिये जायें ।	4

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
22	पृष्ठ 4 पंक्ति 15,—' 'that" ("उस") के स्थान पर "the central seed" ("केन्द्रीय बीज") शब्द रखे जाये)	4
23	पृष्ठ 4, पंक्ति 17,— "a State Seed Laboratory"("राज्य बीज प्रयोगशाला") के स्थान पर— "one or more State Seed Laboratories or declare any seed laboratory as a State Seed Laboratory" ("एक अथवा अधिक राज्य बीज प्रयोगशालाये या किसी बीज प्रयोगशाला को राज्य बीज प्रयोगशाला घोषित करना")	4
24	पृष्ठ 4 पंक्ति 17 तथा 18,— "Notified Seeds" ("अधिसूचित बीज") के स्थान पर— "Seeds of any notified kind or variety" ("किसी अधिसूचित विस्म अथवा प्रकार के बीज") शब्दरखे जायें ।	4
25	पृष्ठ 4 — खण्ड 5 के स्थान पर रखिये	5
"Power to notify kinds or varieties of seeds.	5. If the Central Government, after consultation with the Committee, is of opinion that it is necessary or expedient to regulate the quality of seed of any kind or variety to be sold for purposes of agriculture, it may, by notification in the Official Gazettee, declare such kind or variety to be notified kind or variety for the purposes of this Act and different kinds or varieties may be notified for different States or for different areas thereof."	
"बीजों की किस्म अथवा प्रकार अधिसूचित रखने की शक्ति के	5. यदि समिति से परामर्श के बाद केन्द्रीय सरकार का यह मत हो कि कृषि के प्रयोजन के लिए बेने जाने वाले किसी किस्म अथवा प्रकार के बीज के गुणों को विनियमित करना आवश्यक अथवा इष्टकर है तो वह, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, उस किस्म अथवा प्रकार को इस अधिनियम के प्रयोजनों लिए अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार घोषित कर सकती है और विभिन्न किस्में अथवा प्रकार विभिन्न राज्यों अथवा उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए अधिसूचित की जा सकेंगी ।")	
26	पृष्ठ 4,— खण्ड 6 निकाल दिया जाये ।	6
27	पृष्ठ 4,—पंक्ति 36,— "notified seeds" ("अधिसूचित बीज") के स्थान पर—	7

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
	"Seed of any notified kind or variety" ("किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीज") शब्द रख दिये जाये ।	
28	पृष्ठ 5,— पंक्तियों 1 से 7 निकाल दी जायें ।	7
29	पृष्ठ 5,— खण्ड 8 निकाल दिया जाये ।	8
30	पृष्ठ 5,— खण्ड 9 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।	9

"Regulation of Sale of seeds of notified kinds or varieties

9. No person shall, himself or by any other person on his behalf, carry on the business of selling, keeping or otherwise supplying any seed of any notified kind or variety, unless—

(a) such seed is indentifiable as to its kind or variety;

(b) such seed conforms to the minimum limits of germination and purity specified under clause (a) of section 7;

(c) the container of such seed bears in the prescribed manner, the mark or label containing the correct particulars thereof, specified under clause (b) of section 7; and

(d) he complies with such other requirement as may be prescribed."

"अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीजों के विक्रय का विनियमन

9. कोई व्यक्ति, स्वयं अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के किसी बीज के विक्रय, विक्रय के लिए रखने, विक्रय के लिए पेश करने, वस्तु विनिमय करने अथवा अन्य किसी रूप से सम्भरण रखने का व्यापार नहीं करेगा जब तक कि—

(क) उस बीज के किस्म अथवा प्रकार की पहचान न की जा सके;

(ख) ऐसा बीज धारा (7) के खण्ड (क) के अन्तर्गत उल्लिखित अंकुरण तथा शुद्धता की न्यूनतम सीमा के अनुरुप न हों;

(ग) उस बीज के डिब्बे पर धारा 7 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत ठीक विशिष्टियों वाला चिन्ह अथवा पर्ची विदित रूप में न लगी हो; और

(घ) वह अन्य विदित आवश्यकतायें पूरी न करें।"

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
31	पृष्ठ 5 तथा 6, — खण्ड 10 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।	10

Certification agency

10. The State Government or the Central Government in consultation with the State Government may, by notification in the Official Gazettee, establish a certification agency for the State to carry out the functions entrusted to the certification agency by or under this Act."

{"प्रमाण अभिकरण

10 राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के परामर्श से, शासकीय गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम द्वारा अथवा उसके अन्तर्गत प्रमाण अभिकरण को सौंपे गये कृत्यों के कहने के लिए राज्य के लिए प्रमाणक अभिकरण स्थापित कर सकेगी ।")

32	पृष्ठ 6, खण्ड 11 निकाल दिया जाये ।	11
33	पृष्ठ 6,— खण्ड 12 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।	

"Grant of certificate by certification agency.

12. (1) Any person selling, keeping for sale, offering to sell, bartering or otherwise supplying any seed of any notified kind or variety may, if he desires to have such seed certified by the certification agency, apply to the certification agency for the grant of a certificate for the purpose.

(2) Every application under sub-section (1) shall be made in such form, shall contain such particulars and shall be accompanied by such fees as may be prescribed.

(3) On receipt of any such application for the grant of a certificate, the certification agency may, after such inquiry as it thinks fit and after satisfying itself that the seed to which the application relates conforms to the minimum limits of germination and purity specified for that seed under clause (a) of section 7, grant a certificate in such form and on such conditions as may be prescribed."

{("प्रमाणक अभिकरण द्वारा प्रमाण पत्र दिया जाना

12 (1) कोई व्यक्ति किसी अधिसूचित प्रकार अथवा किस्म के कोई बीज बेचता, बेचने के लिए रखता, बेचने के लिए पेश करता, वस्तुविनिमय करता अथवा किसी रूप में सम्भरण करता हो, तो यदि वह किसी प्रमाणन अभिकरण द्वारा ऐसे बीज प्रमाणित करवाना चाहता हो तो वह उस प्रयोजन के लिए

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या

प्रमाण पत्र देने के लिए प्रमाणन अभिकरण को प्रार्थना पत्र दे सकेगा ।")

2 उप-धारा 1 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रार्थना ऐसे फार्म में की जायेगी, उसमें ऐसे विवरण होंगे तथा उसके साथ ऐसे शुल्क दिये जायेंगे जो निहित किये गये हों ।

2 प्रमाण-पत्र की मजूरी के लिये ऐसे किसी आवेदन पत्र के प्राप्त होने पर, प्रमाण पत्र अधिकरण, आवश्यक जांच करने के पश्चात और इस बात से सन्तुष्ट होने के पश्चात कि आवेदन पत्र में जिस बीज का निर्देश किया गया है, वह धारा 7 के खण्ड (क) के अधीन उस बीज के लिये उल्लिखित अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम सीमा के अनुरूप है, ऐसे रूप और ऐसी शर्तों पर जैसे कि विदित किये गये हैं, ऐसे प्रमाण-पत्र जारी कर देगा ।

34 पृष्ठ 6,—

खण्ड 13 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें—

'Revocation of certificate

13. If the certification agency is satisfied, either on a reference made to it in this behalf or otherwise, that —

(a) the certificate granted by it under section 12 has been obtained by misrepresentation as to an essential fact; or

(b) the holder of the certificate has, without reasonable cause, failed to comply with the conditions subject to which the certificate has been granted or has contravened any of the provisions of this Act or the rule made thereunder,

then, without prejudice to any other penalty to which the holder of, the certificate may be liable under this Act, the certification agency may, after giving the holder of the certificate an opportunity of showing cause, revoke the certificate."

"प्रमाण पत्र का निरसन"

(13) यदि प्रमाणन अभिकरण उनको किये गये निर्देश अथवा अन्य किसी कारण से इस बात पर सन्तुष्ट हो कि—

(क) उसके द्वारा दिया गया धारा 12 के अन्तर्गत प्रमाण-पत्र किसी आवश्यक तथ्य के बारे में गलत ब्यानों से प्राप्त किया गया है ; अथवा

(ख) प्रमाण पत्र का प्राप्तकर्त्ता उन शर्तों को पूरा करने में असमर्थ रहा है जिनके अधीन वह प्रमाण-पत्र जारी किया

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
	गया था अथवा उसने इस अधिनियम के उपबन्धों अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों का उल्लंघन किया है ; तब इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी अन्य दण्ड के रहते हुए भी, यह प्रमाणन अभिकरण, प्राप्तकर्त्ता को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् उसके प्रमाण-पत्र का निरीक्षण कर सकती है ।	
35	पृष्ठ 7, पंक्ति 5 तथा 6,— "a licensing officer or" (लाइसेंस अधिकारी अथवा) शब्द निकाल दिये जायें :	14
36	पृष्ठ 7, पंक्ति 6,— "Section 11 or" (धारा 11 अथवा) शब्द निकाल दिये जायें ।	14
37	पृष्ठ 7, पंक्ति 33,— "notified seed" (अधिसूचित बीज) शब्दों के स्थान पर "Seed of any notified kind or variety" (किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीज) शब्द रख दिये जायें ।	17
38	पृष्ठ 8, पंक्ति 7, 8 तथा 11, "notified" (अधिसूचित) शब्द निकाल दिये जायें ।	17
39	पृष्ठ 8, पंक्ति 20,— "Notified seed" (अधिसूचित बीज) शब्दों के स्थान पर "Seed of any notified kind or variety (किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीज) शब्द रखे जायें ।	17
40	पृष्ठ 8, पंक्ति 25, — "Notified seed" (अधिसूचित बीज) शब्दों के स्थान पर— "Seed of any kind or variety" (किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीज) शब्द रखे जायें ।	17
41	पृष्ठ 8, पंक्ति 26,— "Notified" (अधिसूचित) "notified" (अधिसूचित) के स्थान पर "Such" (ऐसे) शब्द रखे जायें ।	17
42	पृष्ठ 9, पंक्ति 2,— "Notified seed" (अधिसूचित बीज) शब्दों के स्थान पर "Seed of any notified kind or variety" (किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीज) शब्द रखे जायें ।	18

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
43	पृष्ठ 9, पंक्ति 9, —— Notified seed" (अधिसूचित बीज) शब्दों के स्थान पर "Seed of any notified kind or variety" शब्द रखे जायें ।	18
44	पृष्ठ, 9 पंक्ति 31, 32, 35 और 36, — "notified" (अधिसूचित) शब्द निकाल दिया जाये ।	18
45	पृष्ठ 10, पंक्ति 32, — "notified" (अधिसूचित) शब्द निकाल दिया जाये ।	18
46	पृष्ठ 10,—— खण्ड 20 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें ।	

"Restriction on export and import of seeds of notified kinds or varieties.

20. No person shall, for the purpose of sowing or planting by any person (including himself), export or import or cause to be exported or imported any seed of any notified kind or variety, unless—

(a) It comforms to the minimum limits of germination and purity specified for that seed under clause (a) of section 7; and

(b) its container bears, in the prescribed manner, the mark or label with the correct particulars thereof specified for that seed under clause (b) of section 7."

अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीजों के निर्यात और आयात पर प्रतिबन्ध"

20. कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति (जिसमें वह स्वयं भी शामिल है, के द्वारा बोये जाने अथवा लगाये जाने के प्रयोजन के लिये अधिसूचित प्रकार अथवा किस्म के बीजों का तब तक निर्यात अथवा आयात नहीं कर सकेगा जब तक कि—

(क) वह धारा 7 के खण्ड (क) के अधीन उस बीज के लिए अंकुरण और शुद्धता की न्यूनतम उल्लिखित सीमा के अनुरुप न हो; और

(ख) उसके डिब्बे पर विहित नियम के अनुरूप धारा 7 के खण्ड (ख) के अधीन उस बीज के लिये उल्लिखित सही चिन्ह अथवा पर्ची न हो ।

47	पृष्ठ 11, — खण्ड 21 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें —	22

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
"Recognition of seed certification agencies of foreign countries.	21. The Central Gevernment may, on the recommendation of the Committee and by notification in the Official Gazettee, recognise any seed certification agency established in any foreign country, for the purpose of this Act."	
"विदेशों के प्रमाणन अभिकरणों की मान्यता	(21) केन्द्रीय सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनो के लिए, समिति की सिफारिश पर और सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा विदेश में स्थापित किसी भी बीज प्रमाणक अभिकरण को मान्यता प्रदान कर सकती है।"	
48	पृष्ठ 11, पंक्ति 19 से 21 के स्थान पर निम्न शब्द रखदिये जायें। "(i) for the first offence with fine which may extend to five hundred rupees; and" ["(एक) पहले अपराध के लिए दण्ड के साथ जो पांच सौ रुपये तक हो सकता है ? और"]	
49	पृष्ठ 11, पंक्ति 28,— "notified" (अधिसूचित) शब्द निकाल दिये जायें।	23
50	पृष्ठ 12, खण्ड 27 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें।	
"Exemption.	27. Nothing in this Act shall apply to any seed of any notified kind or variety grown by a person and sold or delivered by him on his own premises direct to anothor person for being used by that person for the purpose of sowing or planting."	
["विभूतियां]	(27) इस अधिनियम का कोई उपबन्ध किसी व्यक्ति द्वारा उगाये गये और उस द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को उस व्यक्ति द्वारा उगाने अथवा बीजने के प्रयोजन के लिये प्रयोग करने के हेतु अपने स्थान पर बेचे गये अथवा दिये गये किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के किसी बीज पर लागू नहीं होगा।	
51	पृष्ठ 13,— पंक्तियां 1 से 3 निकाल दी जायें।	28
52	पृष्ठ 13,— पंक्ति 5 से 7 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें।	28

क्रम संख्या	संशोधन का पाठ	खण्ड संख्या
	"(e) the manner of marking or labelling the container of seed of any notified kind or variety under clause (c) of sub-section (1) of section 9 and under clause (b) of section 20; (ee) the requirements which may be complied with by a person carrying on the business reffered to in section 9;" ["(ङ) धारा 9 के खण्ड (ग) तथा धारा 20 के खण्ड (ख) के अन्तर्गत किसी अधिसूचित किस्म अथवा प्रकार के बीज के डिब्बे पर चिन्ह अथवा पर्ची लगाने की रीति; (ङङ) धारा 9 में उल्लिखित व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकतायें ;"]	
53	पृष्ठ 13— पंक्तियां 8 से 13 निकाल दी जायें ।	28
54	पृष्ठ 13,— पंक्तियां 14 से 17 के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जाये— "(f) the form of application for the grant of a certificate under section 12, the particulars it may contain, the fees which should accompany it, the form of the certificate and the conditions subject to to which the certificate may be granted;" [" (च) धारा 12 के अन्तर्गत प्रमाण पत्र दिये जाने के लिये आवेदन पत्र का फार्म, उसमें दर्ज होने वाली विशिष्टियां, इसके साथ दिया जाने वाला शुल्क, प्रमाण पत्र का फार्म तथा शर्तें जिनके अधीन प्रमाण पत्र दिया जा सकेगा ;"]	28
55	पृष्ठ 13,— पंक्तियां 18 तथा 19 निकाल दी जायें ।	28
56	पृष्ठ 13,—पंक्ति 33 निकाल दी जायें ।	28
57	पृष्ठ 13 पंक्तियां 34 तथा 35,— "By a dealer in notified seed," (अधिसूचित बीजों के किसी व्यापारी द्वारा) शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द रख दिये जायें— "by a person carrying on the business referred to in section 9" ["धारा 9 में उल्लिखित व्यापार करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा"]	28

58 खण्डों, उक्त खण्डों तथा खण्डों के भागों की क्रम संख्या नये सिरे से लगाई जाये ।

Shri Bibhuti Mishra : I want that the hon. Minister should frame clear Rules in regard to clause 24 so that the farmers might not have to suffer.

श्री श्याम धर मिश्र : मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम नियम बनाते समय इस बात को ध्यान में रखेंगे ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है : "कि विधेयक को संशोधित रूप में, पारित किया जायेगा ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ
The motion was adopted

विद्यार्थियों की समस्याओं तथा विरूद्ध राजनैतिक कार्यकर्ताओं के सम्बन्ध में सरकार के रुख के बारे में वक्तव्य

STATEMENT RE : GOVERNMENT APPROACH TO STUDENT PROBLEMS AND DETAINED POLITICAL WORKERS

गृह कार्य मन्त्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : गत 16 नवम्बर को इस सभा में मैंने जो वक्तव्य दिया था उसमें मैंने विद्यार्थियों की समस्याओं के बारे में अपनी सामान्य नीति का संकेत दिया था और उसकी अपील की थी कि वह सहयोगी तथा रचनात्मक रवैया अपनाये । हमारी भविष्य की आशायें युवकों पर निर्भर हैं और हम ऐसे सभी काम करने के लिए उत्सुक हैं जो हमारे साधनों से हो सकते हैं ताकि विद्यार्थियों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया जा सके जिससे वे अपनी शक्ति का पूरा विकास कर सकें तथा भावी जिम्मेदारी के लिये अपने आपको तैयार कर सकें । इसी सामान्य नीति के अनुसार ही हम विद्यार्थियों के सभी मामलों को निपटाना चाहेंगे । मैंने पहले ही उन विद्यार्थियों के बारे में राज्यों से जानकारी मांगी है जो इस समय निवारक निरोध में है या दोष सिद्धि होने के परिणामस्वरूप जेल में हैं अथवा फौजदारी के अनिर्णीत मामलों के सम्बन्ध में हवालात में है । सूचना मिलते ही मैं सम्बन्धित मुख्य मन्त्रियों से सलाह करूंगा । इस सम्बन्ध में हमारी सामान्य नीति यह है कि यदि कानून भंग करने के लिये कार्यवाही की गई हो और उसमें हिंसा न की गई हो तो ऐसे मामलों में सहानुभूति पूर्वक तथा उदारतापूर्वक विचार किया जायेगा । निवारक निरोध के मामलों में भी यह नीति अपनाई जानी चाहिये । मुझे आशा है कि सभा मुझसे सहमत होगी कि जिन मामलों में हिंसा की गई हो सरकार को उनमें दृढ़ रहना चाहिये और कानून लागू करना चाहिये ।

जहां तक निवारक निरोध अधिनियम के अन्तर्गत नजरबन्द किये गये राजनैतिक नेताओं, कार्यकर्ताओं का सम्बन्ध है मेरा यह मत है कि किसी व्यक्ति को शान्ति और व्यवस्था को बनाये रखने के लिये जितने दिन नजरबन्द रखना आवश्यक हो उससे एक दिन अधिक भी किसी व्यक्ति को नजरबन्द नहीं रखा जाना चाहिये । हमारी यह इच्छा है कि आम चुनाव स्वतन्त्र और यथा-

सम्भव सामान्य स्थिति में किये जाये । मैं जल्दी ही मुख्य मंत्रियों से परामर्श करने का अवसर पाऊंगा और मुझे विश्वास है कि वे निवारक निरोध के मामले पर पुनर्विचार करने के लिये सहमत हो जायेंगे ।

मुझे आशा है कि सभा इस बात से सहमत होगी कि नीति की क्रियान्वित के लिये विभिन्न राजनीतिक दलों के सहयोग की आवश्यकता है । यदि सरकार के लिये संयम से काम लेना आवश्यक है तो विरोधी दलों के लिये शान्ति बनाये रखने के लिये भरसक प्रयत्न करना भी उतना ही आवश्यक है ।

पेटेन्ट विधेयक

PATENTS BILL

कुछ माननीय सदस्य उठे

अध्यक्ष महोदय : अब मैं किसी प्रश्न की अनुमति नहीं दूंगा ।

श्री स० मो० बनर्जी : (**कानपुर**) : मैं एक स्पष्टीकरण चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : अब हम नई मद को लेंगे ।

श्री त्यागी (देहरादून) : अगले विधेयक पर विचार न किया जाये । देश में बहुत गड़-बड़ी है । अतः गोवध पर रोक के सम्बन्ध में अगले प्रस्ताव पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कार्य सूची में दिये गये क्रम के अनुसार चलना होता है । जब तक सभा मुझे अन्य आदेश न दे ।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : यह हमारी प्रार्थना है ।

श्री राम सहाय पाण्डेय (गुना) . बहुत से धार्मिक गुरूओं ने अनशन किया हुआ है । चूंकि गृह-कार्य मन्त्री घोषणा करना चाहते हैं तो इसलिये सरकार को अपना स्पष्टीकरण देने के बारे में अवश्य अवसर दिया जाना चाहिये ।

संसद कार्य तथा संचार मंत्री (श्री सत्यनारायण सिंह) : हम भी चाहते हैं कि 7 नवम्बर की घटनाओं के सम्बन्ध में अधूरे वाद-विवाद पर चर्चा हो । इसलिये मैं सुझाव दूंगा कि पहले पेटेन्ट विधेयक लिया जाये । उस पर मन्त्री महोदय 10, 15 मिनट बोलेंगे तत्पश्चात्, गोवध रोक पर चर्चा आरम्भ की जाये ।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप कुछ समय गोवध के मसले के सम्बन्ध में लेना चाहते हैं तो भाषणों की क्या आवश्यकता है ?

श्री रघुनाथ सिंह : हम वाद-विवाद करना चाहते हैं ।

श्री सत्यनारायण सिंह : हमें मंजूर है ।

अध्यक्ष महोदय . वह प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं । यदि यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है कि अग्रेतर चर्चा स्थगित की जाये तो सभा निर्णय कर सकती है ।

उद्योग मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र) : श्री संजीवय्या की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी (जोधपुर) : मैंने पहले ही वाद-विवाद को स्थगित करने वाले प्रस्ताव का नोटिस दिया हुआ है ।

अध्यक्ष महोदय : मैं पहले प्रस्ताव प्रस्तुत करूंगा । प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ·

"कि पेटेन्टों से सम्बन्धित विधि को संशोधित और समेकित करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

डा० लक्ष्मीमल सिंघवी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पर विचार करने वाले प्रस्ताव पर चर्चा स्थगित की जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

अध्यक्ष महोदय : तब पेटेन्ट विधेयक पर आगे चर्चा स्थगित की जाती है । अब हम श्री कछवाय और श्री प्रकाशवीर शास्त्री के प्रस्तावों पर चर्चा आरम्भ करेंगे ।

---

7 नवम्बर, 1966 को दिल्ली में हुई घटनाओं तथा गोवध पर रोक लगाने के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE : INCIDENTS IN NEW DELHI ON 7TH NOVEMBER, 1966 AND BANNING OF COW SLAUGHTER

अध्यक्ष महोदय : सभा अब 2 दिसम्बर, 1966 को श्री हुकम चन्द कछवाय द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव अर्थात् :

"कि यह सभा 7 नवम्बर, 1966 को नई दिल्ली में हुई कुछ घटनाओं के बारे में 9 नवम्बर, 1966 को गृह-कार्य राज्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करती है ।"

तथा 2 दिसम्बर, 1966 को श्री प्रकाशवीर शास्त्री द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्न प्रस्ताव पर अर्थात् :

"कि यह सभा गोवध पर रोक लगाने के बारे में 4 नवम्बर, 1966 को गृहकार्य मन्त्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर विचार करती हैं।" आगे विचार करेगी

श्री त्यागी (देहरादून) : मेरा यह सुझाव है कि चर्चा आरम्भ होने से पहले हमें इस बारे में सरकार की नीति का पता लगना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : पहले हरिश्चन्द्र माथुर अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालोर) : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि श्री सिंघवी ने आज रात के विमान से जाना है इसलिये वह अपना भाषण जारी कर सकते हैं ।

श्री अ० प्र० शर्मा (बक्सर) : यदि सरकार अपनी नीति घोषित करने वाली है तो चर्चा की क्या आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : डा० सिंघवी के भाषण के बाद यदि वह चाहें तो यह प्रश्न उठा सकते हैं ।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : हमेशा जनमत के आधार पर लोकतंत्रात्मक सरकार बनाई जाती है । जनमत की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये । सर डेविड ह्यूम ने कहा है कि सरकार केवल जनमत के आधार पर ही बनती है और यह सिद्धान्त सैनिक सरकार तथा अत्यधिक लोकप्रिय सरकार पर भी लागू होता है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

मैं बड़े जोरदार शब्दों में यह कहना चाहता हूं कि सारे राष्ट्र के मतानुसार ही राष्ट्रीय नीति बननी चाहिए । सारे देश की यह मांग है कि अखिल भारतीय स्तर पर गोवध पर प्रतिरोक लगाया जाना चाहिये । अतः इस मांग को स्वीकार न करके सरकार जनमत की उपेक्षा कर रही है । इस तर्क में कोई बल नहीं है कि इसके लिये संविधान में संशोधन करना पड़ेगा क्योंकि संविधान में पहले भी 23 बार संशोधन किया जा चुका है । सरकार को विश्व भर में यह घोषणा करने का अधिकार नहीं है कि संवैधानिक अधिकार को अभिव्यक्ति देने के लिये संविधान को नहीं बदला जा सकता । यह तथ्य कि केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों के मामले में अपनी असमर्थता दिखा रही है गोवध पर अखिल भारतीय स्तर पर रोक लगाने की मांग को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त कारण है ।

गोवध पर प्रतिरोक लगाने की बजाय सरकार राज्य सरकारों से उस कानूनों पर पुन-विचार करने के लिये कह रही है जो उन्होंने गोवध निषेध के सम्बन्ध में बनाना हैं । ऐसी बातों को देखते हुए हम कैसे कह सकते हैं कि सरकार गोवध पर प्रतिरोक लगाने की बात को सिद्धान्त रूप से स्वीकार करती है । सारे देश की यह मांग है कि गोवध पर अखिल भारतीय स्तर पर रोक लगाया जाना चाहिये तथा मेरा यह निवेदन है कि लोकतंत्रात्मक सरकार को लोगों की इस प्रार्थना को स्वीकार करना चाहिये ।

मैं 7 नवम्बर की घटनाओं के बारे में भी दो एक बातें कहूंगा । ऐसा कहा गया है कि प्रदर्शन के आयोजकों ने ही वास्तव में हिंसक कार्यवाहियां की थीं । परन्तु सचाई यह है कि इसके लिये सरकार ही दोषी है । जो घटनायें हुई हैं वे प्रदर्शन के आयोजकों की गलती से इतनी नहीं हुई हैं, जितनी प्रशासन द्वारा कानून और व्यवस्था बनाये रखने के सम्बन्ध में की गई गलतियों से हुई हैं ।

मैंने श्रीमती इन्दिरा गान्धी को लिखा था कि देश के कुछ बड़े-बड़े कुछ नेताओं का जीवन

खतरे में है परन्तु मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इस समस्या पर गहराई से विचार नहीं किया गया है।

आज लोगों को बड़ी संख्या में नजरबन्द किया जा रहा है। परन्तु सरकार को उन्हें नजरबन्द करने का साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये। यदि सरकार को कानून के अधीन चलना है तो उसे देश के समक्ष उन व्यक्तियों के विरुद्ध साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहिये जिन्हें वह लगातार नजरबन्द कर रही है अन्यथा उन लोगों को तुरन्त छोड़ दिया जाना चाहिये। मैं सभा का ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं कि 7 नवम्बर की घटनाओं में मारे गये व्यक्तियों के शवों का किस प्रकार विसर्जन किया गया है। एक व्यक्ति का शव तो उसके परिवार को भी नहीं दिया गया। जोधपुर के श्री झूमर लाल यहां आये हुए थे। वह जोधपुर रेलवे में उच्चाधिकारियों में से एक थे। प्रदर्शन में भाग लेने वाली महिलाओं को बचाने का प्रयत्न करते समय श्री झूमर लाल को चोटें लगी और वह मारे गये। उनके शव को उनके लड़के ने देखा परन्तु उसे अधिकारियों ने गायब कर दिया। मैं यह जानना चाहता हूं कि ऐसा दुरव्यवहार करने के लिये कौन उत्तरदायी है। क्या ऐसी सरकार अपने आप को लोकतंत्रात्मक सरकार कहने की हकदार है। सरकार के लिये यह शर्म की बात है। देश के अच्छे नाम पर यह धब्बा है। लोकतंत्र के नाम पर यह धब्बा है। सामान्य दुर्घटनाओं में भी मृत व्यक्तियों का ब्यौरा दिया जाता है परन्तु इस मामले में शवों को रफादफा कर दिया गया परन्तु उनका ब्यौरा नहीं दिया गया। यह बहुत अनुचित एवं अलोकतांत्रिक बात है।

सरकार को लोगों की गोवध पर रोक लगाने की मांग को सिद्धान्त रूप से स्वीकार कर लेना चाहिये। लोगों की भावना को इस प्रकार उभारा गया है कि यदि इस मांग को स्वीकार न किया गया तो गड़बड़ी अवश्य होगी। यदि यह मांग स्वीकार न की गई तो और भी बहुत सी बातें होगी क्योंकि यह एक राष्ट्रीय मांग है जिसे संवैधानिक परमादेश का समर्थन प्राप्त है। मुझे आशा है कि वह अपने उत्तर में हमारी इस मांग को स्वीकार करेंगे। मैं उनसे यह भी आशा करता हूं कि वह मेरे उस संशोधन को भी स्वीकार करेंगे जिसमें, मैंने 7 नवम्बर की घटना और मृत व्यक्तियों के शवों तथा उनसे सम्बन्धित जानकारी को छिपाकर सरकार द्वारा किये गये कदाचार के सम्बन्ध में एक निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है।

Dr. Govind Dass (Jabalpur): I attach great importance to the ban on cow slaughter. I am of the view that it is not at all a communal question. Had this been a communal question then the leaders like Mahatma Gandhi, Dr. Rajinder Prasad and Vinobha Bhave would not have supported it. I am a member of the congress for the last forty years and can tell to the House that there are many congressmen who are of the view that ban on cow slaughter is very essential. I am also of the view that this matter should not be left to the states alone and the centre should take the initiative. I think that for this purpose we will have to amend the constitution. But we should not mind it because we have already done so twenty three times. There is a general demand of the country that there must be a ban on cow slaughter. So, we should not hesitate to amend it even for the twenty fourth time. Because now since it is the fag end of the session and an amendment Bill can not be introduced in the House. Government should at least declare that they accept the policy of ban on cow slaughter in principle. In the states where ban on cow slaughter has not been imposed it should be imposed without any further delay. Government should also declare cow as our national animal just as peacock has been declared as our national bird. I would also

appeal to the people that keeping in view the present position of the country they should not launch agitation and would also appeal to the government that they must declare their policy.

Shri Bagri (Hissar): On a point of information. There are army guards instead of policemen on Lok Subha gates.

उपाध्यक्ष महोदय : वह बिना पुकारे ही बोलते जा रहे हैं। यह कार्यवाही वृतांत में सम्मलित नहीं किया जायेगा।

श्री बागड़ी : * *

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना
CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

केरल राज्य बिजली बोर्ड के निष्पादन कर्मचारियों द्वारा प्रस्तावित हड़ताल
PROPOSED STRIKE OF EXECUTIVE EMPLOYEES OF KERALA STATE ELCTRICITY BOARD

श्री वारियर (त्रिचूर) : मैं सिंचाई और विद्युत मंत्री का ध्यान (निम्नलिखित) अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

'केरल राज्य बिजली बोर्ड के कार्यकारी कर्मचारियों की 7-12-66 से प्रस्तावित हड़ताल'

सिंचाई और विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० कु० ल० राव) :

केरल राज्य बिजली बोर्ड कार्यकारी कर्मचारी संघ ने 18-11-1966 को केरल राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष को यह नोटिस दिया था कि वे 6-7 दिसम्बर की अर्धरात्री से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिये हड़ताल करने का विचार रखते हैं। इस संघ में लाइन हेल्पर से लेकर जूनियर तक कर्मचारियों की 76 श्रेणियां हैं। मुख्य मांगे ये हैं (1) वेतन क्रम बदला जाए, जीवन निर्वाह सूचकांक के अनुसार महंगाई भत्ता दिया जाए, बोनस और अन्य प्रकार के विविध भत्ते और रियायतें दी जाएं। 30 नवम्बर, 1966 को केरल के श्रम आयुक्त ने समझौते के लिए एक बैठक बुलाई थी, पर उन प्रयासों से कोई समझौता न हो सका। बोर्ड के कार्यकारी कर्मचारी 3-10-1966 को सामूहिक रूप से आकस्मिक छुट्टी पर चले गए।

राज्य सरकार से 4 दिसम्बर, 1966 को प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बिजली के कुछ कनैक्शनों को काट दिया गया। राज्य सरकार ने सूचना दी है कि जल पूर्ति कार्यों के बिजली के कनैक्शनों के त्रिवेन्द्रम, क्विलान, काट्टायम, अलवे और चौवरा जैसे कई स्थानों में काट दिया गया।

3 दिसम्बर, 1966 और 4 दिसम्बर, 1966 को समझौते के लिए की गई बैठकों के परिणामस्वरूप कोई समझौता नहीं हो सका। राज्य सरकार से और ब्यौरा प्रतीक्षित है।

* * कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नही किया गया।

**NOT RECORDED.

यह बड़ा दुर्भाग्य है कि केरल राज्य में जिसने गत कुछ वर्षों के दौरान बिजली की कमी से बड़ा नुकसान उठाया है और जिसने हमेशा होने वाले इस नुकसान से अभी ही छुटकारा पाया था, फिर दुबारा बोर्ड के कार्यकारी कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही से नुक्सान उठाया। इस अवसर पर कार्यकारी कर्मचारियों से मैं यह अपील करता हूं कि वे 7 दिसम्बर 1966 से होने वाली अपनी प्रस्तावित हड़ताल को देश के हित में न करें। परस्पर सदभावना और सहयोग से केरल राज्य बिजली बोर्ड और कार्यकारी कर्मचारी संघ के लिए यह सम्भव होना चाहिए कि वे किसी समझौते पर पहुंच जाएं। इस मामले में हो रही प्रगति पर केन्द्रीय सरकार पूरा ध्यान रखने का प्रयत्न करेगी।

श्री वारियर (त्रिचूर) : समाचार पत्रों में कल यह छपा था कि पूरे केरल राज्य में कहीं भी बत्तियां नहीं जल रही हैं। क्या यह सच है ? क्या कार्यकारी कर्मचारियों के संघ ने सरकार से समझौते के लिये तीन महीने पहले ही अनुरोध किया था और बोर्ड इस दिशा में कुछ प्रगति करने में विफल रहा है ?

डा० कु० ल० राव : बातचीत विफल होने का कारण अन्तरिम राहत की मांग थी। यह एक ऐसा विषय है जिस पर और अधिक विचार करने की जरूरत है। मैं केरल के सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे कार्यकारी कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त करवायें। साथ ही सिंचाई और विद्युत मंत्रालय भी इस विवाद को हल करने में यथा सम्भव सहायता करेगा।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : सभा से अपील करने के अतिरिक्त सरकार ने ऐसे और क्या कदम उठाये हैं जिनसे समझौते की दिशा में कोई प्रगति होती ?

डा० कु० ल० राव : श्री बनर्जी ने वास्तव में यह एक बड़ा ही अच्छा सुझाव दिया है मैं उनका समझौता कराने के लिये किसी अधिकारी को भेजने की कोशिश करूंगा परन्तु इस मामले में पहल तो केरल सरकार को ही करनी होगी। मैंने केरल सरकार से टेलीफून पर सम्पर्क स्थापित करने का प्रयास किया था परन्तु दुर्भाग्य से सम्पर्क न हो सका।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपुजा) : यह खेद की बात है कि केरल राज्य बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने कर्मचारियों पर तोड़-फोड़ का आरोप लगाया है। संघ के महा सचीव ने इसका जोरदार खंडन किया। इस प्रकार से स्थिति बड़ी नाजुक हो गयी है। ऐसी स्थितिमें क्या सरकार अन्तरिम राहत सम्बन्धी प्रश्न को हल करने के लिये पहल करेगी ?

डा० कु० ल० राव : इस समय मेरे लिये यह उचित न होगा कि मैं इस मामले में मध्यस्थता करूं। परन्तु मैं किसी अधिकारी को यहां भेजने की कोशिश करूंगा।

श्री नम्बियार (तिरूचिरापल्ली) : मैं इस विषय पर मंत्री महोदय की भावनाओं का स्वागत करता हूं। परन्तु क्या सरकार बोर्ड के अध्यक्ष से यह कहेगी कि वह कर्मचारियों पर लगाया हुआ आरोप वापिस ले ले और क्या सरकार अन्तरिम राहत के प्रश्न पर समझौते के लिये कोई कार्यवाही करेगी जिससे हड़ताल न हो सके ?

डा० कु० ल० राव : मैंने अपने वक्तव्य में केवल यही कहा है कि बिजली के कनक्शनों में कुछ गड़बड़ी हो गयी थी। मैंने किसी पर भी कोई आरोप नहीं लगाया है।

श्री इम्बीचिबावा (पोन्नानि) : *

*मलयालम भाषा में।

श्री नम्बियार : मैं उनके प्रश्न का अंग्रेजी अनुवाद करता हूं। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए क्या माननीय मंत्री केरल जाकर, कर्मचारियों से हड़ताल न करने का आग्रह करेंगे जिससे कि हड़ताल टल जाये।

डा० कु० ला० राव : मेरे विचार से माननीय सदस्य का वहां मुझसे अधिक प्रभाव है वे इस संबंध में अधिक कारगर कार्यवाही कर सकते हैं।

श्री बड़े (खारगोन) : संघ द्वारा नोटिस तीन महीने पहले ही दे दिया गया था, परन्तु इस अवधि में उनसे समझौता क्यों नहीं किया गया। केरल में वर्तमान स्थिति पैदा करने की जिम्मेदारी किस पर है ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूचताछ करेगी ?

डा० कु० ल० राव : मैं इस सम्बन्ध में पूछताछ करूंगा।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : This dispute has been prolonging for the last four or five months. May I know why this has not been settled during this period ? What is the amount of loss sustained by the Board on account of this tampering. Will you make an enquiry into it ?

डा० कु० ल० राव : मैं इसकी पूछताछ करूंगा कि समझौता करने में देरी क्यों हुई है। जहां तक हानि का सम्बन्ध है, इसकी ठीक जानकारी मुझे नहीं है। मेरे विचार से कोई खास बात वहां नही हुयी थी।

कलकत्ता में प्राथमिक शिक्षा*

PRIMARY EDUCATION IN CALCUTTA

उपाध्यक्ष महोदय : अब श्री मधु लिमये कलकत्ते में प्राथमिक शिक्षा के बारे में आधे घटे की चर्चा शुरू करें। गृह-कार्य मत्री का वक्तव्य इसके पश्चात् होगा।

श्री श्रीनारायण दास (दरभंगा) : वाद-विवाद के समाप्त होने पर यह आधे घंटे की चर्चा ली जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : आध घंटे की चर्चा एक निश्चित समय पर लेनी होती है। अतः यह चर्चा 6 बजे ही ली जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि मधुलिमये द्वारा उठाये जाने वाली आधे घंटे की चर्चा मत्री महोदय के वक्तव्य पर चर्चा के समाप्त् होने के बाद ली जाय। यह मेरा निश्चित प्रस्ताव है। सभा की भी यही राय है कि आधे घंटे की चर्चा को स्थगित किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रस्ताव जब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि श्री मधु लिमये यह नहीं कहते कि वह आधे घंटे की चर्चा नहीं उठायेंगे।

Shri Madhu Limaye Monghyr : Today I am raising this Half-an-Hour Discussion regarding the Primary Education in Calcutta. It has been stated in our Constitution that the State shall endeavour to provide within a period of ten years from the commencement of this Constitution, for free and compulsory education for all children until they

* आधे घंटे की चर्चा
*Half an hour Discussion

complete the age of fourteen years. Now a period of 16 years has elapsed but this constitutional promise has not yet been fulfilled. According to a report submitted by J. P. Naik I guess that in a big city like Calcutta only 60% of children receive primary education and there is no arrangement for the remaining 40% of children. Moreover 28% of school-going children receive in Municipal and Govt, schools and 72% of them go to private schools. Is it not a thing to be ashamed of for West Bengal Govt ? During a period of 10 years only two Govt Schools have been opened in Calcutta city. As regards the per capita expenditure on education; it is about Rs. 2.50 in Calcutta, the most important and biggest city of India.

It is also worth seeing that where lies the responsibility for primary education. This is a dispute which has been continuing for the last 19 years. State Govt. hold Local Self-Govt. institutions responsible for it, while they throw it back on the shoulders of State Govt. It has been stated in our Constitution that primary education is a subject of State List. So this responsibility goes to State Govt. At the same time Central Govt. cannot shirk its responsibility in this respect. In accordance with entry 20 of list 3 Central Govt. is also responsible for social and economic planning. Education is closely related with social or economic policies of the country.

We highly talk of socialism. But in this sphere of education private institutions are growing up rapidly. Even in Calcutta 72 percent of School going children receive education in private institutions and only 28 percent children go to Municipal schools. Moreover, there is no arrangement for giving education to 40 percent of the total population of school-age children. In view of this it can be said that the talk of establishing a socialistic pattern of society is nothing but a farce. This is the position of primary Education in Calcutta.

श्री दीनेन भट्टाचार्य (सेरामपुर) : क्या सरकार को कलकत्ता निगम और राज्य सरकार के बीच प्राथमिक शिक्षा पर खर्च के सम्बन्ध में चल रहे झगड़े के बारे में जानकारी है और क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना बनायी है जिससे राज्य सरकार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा देने का प्रबन्ध करें।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या माननीय मंत्री यह जानते है कि कलकत्ते में बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा कॉनवेंट और मांटेसरी स्कूल खोले जा रहे हैं जिनका उद्घाटन मुख्य मन्त्री तथा अन्य मन्त्रियों द्वारा किया जाता है। यदि हां तो क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को ऐसी हिदायत दी हैं कि ऐसे स्कूलों को न चलने दिया जाय।

Shri Bagri : May I know the number of such Ministers, whose children are getting education in foreign countries.

The Deputy Minister in the Ministry of Education (Shri Bhakt Darshan) : I thank the honourable member, as he has been able to draw the attention of the House to this most important matter. It has drawn the attention of the Government as well as of the country towards this matter. I admit that it has not been possible to provide free and compulsory education as provided under the Constitution. But efforts are being made in this regard. In 1951, 43 percent children of the country were going to schools, whereas in 1956 this percentage went up to 53 percent and ultimately this has reached 80 percent in 1960. I assure the House that the efforts in this direction will be intestified and special steps will be taken under the Fourth five year plan. I also admit that the situation regarding Primary education in the Corporation area of Calcutta is very bad. We had also some consultations with the State Government in this regard. It is hoped that there will be some improvement.

I also want to point out that there are at present 3.40 lakhs children in the age group of 6—11 years in Calcutta. 62 percent of them go to schools. We are trying to put pressure on the West Bengal Government and on the Calcutta Corporation to take necessary action in this regard so that matters may improve. It is also under consideratoin that some law on this subject may be enacted and implemented as soon as possible.

Due to our pressure the Calcutta Corporation is conducting educational survey. We have asked the Corporation to prepare a scheme and submit it to the State Government. We have also suggested them to consider the levy of an education cess, if it is necessary for the purpose of introducing free and Compulsory education. It is also proposed that State Government should spend Rs. 2 crores for the spread of Primary education in Greater Calcutta. We hope that there will be considerable improvement in this matter in the coming five years.

Shri Madhu Limaye (Monghy): This has not been replied that whether 72 percent of the boys have to pay their fees.

Shri Bhakt Darshan : I admit that it is correct.

नवम्बर, 1966 को दिल्ली में हुई घटनाओं तथा गोबध पर रोक लगाने के बारे में प्रस्ताव

MOTIONS RE: INCIDENTS IN NEW DELHI ON THE 7TH NOVEMBER 1966 AND BANNING OF COW SLAUGHTER.—CONTD.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम गोबध पर चर्चा करेंगे ।

श्री कृष्णपाल सिंह (जलेसर) : यह खेद की बात है कि इस बिषय पर यहां चर्चा हो रही है । और यह इससे भी खेद की बात है कि देश के तीन प्रमुख सन्त श्री शकंराचार्य, स्वामी करयात्री और ब्रह्मचारी प्रभु दत्त इस मामले में अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं । यह भी दुर्भाग्य का बात है कि देश में गोबध पर रोक लगाने के पक्ष में बहुमत होने पर भी सरकार निश्चय करने में हिचकिचा रही है । वह केवल कुछ तकनीकी बात पर अड़ रही है कि यह मामला राज्यों से सम्बन्ध रखता है और संविधान के अनुसार वह इस तरह का कोई कानून बना नहीं सकती । यदि ऐसा है भी तो संविधान में संशोधन किया जा सकता है । इससे पूर्व भी तो सविधान 23 बार संशोधन हो चुका है । इस बारे में तो रास्ता कोई श्री चटर्जी जैसे संविधान के पंडितों को ही बताना चाहिए ।

मैंने इस बारे में वकीलों से परामर्श किया है, सरकार चाहे तो कोई संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर सकती है, परन्तु अब लोक सभा स्थगित हो रही है । ऐसी स्थिति से सरकार राष्ट्रपति से अनुरोध कर सकती है कि वह एक आदेश प्रख्यायित करे । आशा करनी चाहिए कि सरकार इस बारे में राष्ट्रपति से कार्यवाही करने के लिए कहेंगी । यदि इसे भावना का ही प्रश्न माना जाय तो भावनाओं का ही मानव जीवन में बड़ा महत्वपूर्ण स्थान होता है । इस मामले में तो भावनायें बड़ी प्रबल है । आर्थिक दृष्टि से भी गौ का मूल्य उपेक्षा करने वाला नहीं

है और वैसे भी खेती की दृष्टि से बैलों से खेती ट्रेक्टरों से सस्ती होती है। बैलों के गोबर से ईंधन और खाद भी मिलता है ।

मैं एक कृषक हूं और मैंने ट्रेक्टर का प्रयोग छोड़ दिया है, क्योंकि कृषि के लिये बैलों का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से अधिक लाभप्रद है। बैलों से ट्रेक्टरों की अपेक्षा अधिक अच्छी खेती की जा सकती है। मैं समझता हूं कि जो लोग अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, वे अन्ततः यह फैसला देंगे कि खेती के लिये बैलो का प्रयोग अधिक लाभप्रद है ।

अतः मैं समझता हूं कि यह परमावश्यक है कि केन्द्रीय सरकार को भावनात्मक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से भी गो-हत्या पर प्रतिबन्ध लगाया जाये ।

श्री नि० चं० चटर्जी (बर्दवान) : महोदय, मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते समय हमें एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ है और वह यह है कि स्वामी शंकाराचार्य की हालात बहुत ही गंभीर है और उनका स्वास्थ्य बहुत तेजी से बिगड़ता जा रहा है। अतः मैं प्रार्थना करता हूं कि हमें अब इस समस्या के आर्थिक पहलू, खेती संबंधी पहलू तथा जनसंख्या के दबाव आदि के प्रभाव पर बहस करने में समय नष्ट नहीं करना चाहिए। भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई विधि व्याख्या से यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि गो-हत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। बिहार राज्य के बिरुद्ध क्वीरेसी के मुकद्मे में भारत के मुख्य न्यायाधीश एस० आर० दास ने निर्णय दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 48 के उपबन्धों के अन्तर्गत गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। अतः मैं गृह मंत्री से प्रार्थना करता हूं कि वह आज एक निश्चित तथा स्पष्ट वक्तव्य दें ताकि एक बहुत बड़ी दुखद घटना को घटित होने से बचाया जा सके। स्वामी शंकाराचार्य, जिसकी करोड़ों हिन्दू पूजा करते हैं का जीवन खतरे में है, उनके बहुमूल्य जीवन की रक्षा की जानी चाहिये ।

श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा गृह मंत्री का पद छोड़ने के बाद जनता में यह धाराणा फैल गई है कि सरकार की नीति में परिवर्तन हो गया है। गृह-मंत्री को यह बिल्कुल स्पष्ट करना चाहिये कि वह श्री गुलजारी लाल नन्दा द्वारा दिये गये स्पष्ट वक्तव्य से पूर्णतः सहमत है और उसे क्रियान्वित करने के लिये कार्यवाही करेंगे। उन्हें कहना चाहिये कि जहां तक संघ राज्य क्षेत्रों का सम्बन्ध है गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाने के लिये शीघ्र ही विधान लाया जायेगा। मेरी एक राज्य के मुख्य मंत्री से बात-चीत हुई थी तथा उनका विचार था कि विधि इस बारे में स्पष्ट है और यदि गृह मंत्री चाहे तो गोहत्या पर पूर्ण-प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। गृह मंत्री को यह पूर्णतः स्पष्ट करना चाहिये कि वह इस बारे में शीघ्र कार्यवाही करेंगे ।

जहां तक कुछ ऐसे राज्यों का सम्बन्ध है जिनमें उस प्रकार का विधान लागू नहीं किया गया है, गृह मंत्री ने हमें आश्वासन दिया था कि उन्होंने कुछ कार्यवाही की है। कुछ राज्यों ने उनकी बात को माना है तथा कुछ राज्य आनाकानी कर रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में शीघ्र कार्यवाही की जाये तथा उन राज्यों को सहमत किया जाये। यदि एक स्पष्ट वक्तव्य दिया जाता है कि कम से कम ऐसे मामलों में, जहां केन्द्रीय सरकार तुरन्त कार्यवाही कर सकती है, कोई आनाकानी नहीं की जायेगी, तो मुझे पूर्ण विश्वास हैं कि स्वामी शंकराचार्य तथा अन्य महान सन्तों के जीवन की रक्षा की जा सकती है ।

गाय को हमारे इतिहास में विशेष स्थान दिया गया है। हिन्दु संस्कृति में इसका बहुत बड़ा महत्व है। जैसा कि आप सब को मालूम है कि जम्मू तथा काश्मीर राज्य में भी यह विधान बनाया गया है और सब मुसलमान उसका आदर करते हैं। अतः सरकार को इस बारे में कोई हिचकचाहट नहीं करनी चाहिए और यह स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिए कि गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जायेगा। उच्चतम न्यायालय ने यह घोषित किया था कि संवैधानिक एव विधि सम्बन्धी उपबन्धों के अन्तर्गत गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगाया जा सकता है। संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में जहां गृह मंत्री स्वयं कार्यवाही कर सकते हैं यह स्पष्ट वक्तव्य दिया जाना चाहिये कि शीघ्र कार्यवाही की जायेगी। कुछ राज्यों ने यह मान लिया है कि गोहत्या पर प्रतिबन्ध होना चाहिये और कुछ अभी आनाकानी कर रहे हैं। अतः उन्हें रास्ते पर लाने के लिये तुरन्त कार्यवाही की जानी चाहिये।

यदि ये कार्यवाहियां की जाती हैं तो मुझे विश्वास है कि इससे स्थिति बिल्कुल स्पष्ट हो जायेगी और करोड़ों व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं का आदर किया जायेगा। मैं कहता हूं कि वर्तमान भारत के महानतम सन्तों के जीवन की रक्षा की जाये। भगवान न करे, यदि उनके मूल्यवान जीवन को कुछ होगा तो इसके इतने भयंकर परिणाम होंगे कि किसी भी कानून के अन्तर्गत स्थिति को काबू में नहीं रखा जा सकेगा।

अतः मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि गृह मंत्री यह बिलकुल स्पष्ट वक्तव्य दें कि वह श्री नन्दा द्वारा दिये गये स्पष्ट वक्तव्य से सहमत है और उसे क्रियान्वित करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करेंगे।

[श्री सोनावने पीठासीन हुए
Shri Sonavane in the Chair]

श्री हरिश्चन्द्र माथुर (जालौर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने अपना संशोधन इसलिये प्रस्तुत किया है ताकि इन वाद-विवादों के निश्चित परिणाम तथा उद्देश्य हो सकें।

श्री नि० चं० चटर्जी ने उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उद्धरण प्रस्तुत करके जो विधि व्याख्या हमारे समक्ष रखी है वह निर्विवाद एवं सर्वमान्य हैं। वास्तव में कुछ राज्यों ने यह कार्यवाही पहले ही की हुई है।

यह कहा गया है कि गोहत्या पर रोक लगाने के लिये एक केन्द्रीय विधान होना चाहिये। परन्तु यह स्वीकार किया गया है कि गोहत्या पर रोक सम्बन्धी केन्द्रीय विधान संविधान में संशोधन किये बिना नहीं बनाया जा सकता। यह भी कहा गया है कि जब संविधान में 23 संशोधन किये जा चुके हैं, तो 24वां संशोधन करने में क्या आपत्ति है। परन्तु हमें यह समझ लेना चाहिये कि संविधान में संशोधन करने के लिये हमें राज्यों को अपने साथ मिलाना होगा, क्योंकि इसकी कार्यान्विति राज्य सरकारों पर निर्भर करती है।

यह सुझाव दिया गया है कि इस सम्बन्ध में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया जाना चाहिये। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति इस सम्बन्ध में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते हैं। रष्ट्रपति को वे अधिकार प्रान्त नहीं हो सकते, जो इस सभा को प्राप्त नहीं हैं। राष्ट्रपति को केवल वे ही अधिकार प्राप्त हैं जिनका अनुमोदन इस सभा में किया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने का कोई प्रश्न नही है।

हमें इस सारे मामले पर उचित ढंग से विचार करना चाहिये। हमारे संविधान में बहुत से निदेशक सिद्धान्त हैं और मैं समझता हूं कि इस निदेशक सिद्धान्त पर सबसे अधिक कार्यवाही की गई है। शराब बन्दी अथवा प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित निदेशक सिद्धान्तों पर हमने क्या कार्यवाही की है। मैं इस मामले के महत्व और अविलम्बनीयता को समझता हूं। हमें केवल लाभ हानि के आधार पर ही नहीं सोचना चाहिये।

लोगों की भावनाओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हम मानव हैं और ऐसे समाज में रहते हैं जहां भावनाओं का आदर किया जाता है। परन्तु साथ साथ हमें उन भावनाओं में नहीं बह जाना चाहिये।

जहां तक भारत का सम्बन्ध है हमारी अर्थ व्यवस्था गाय पर आधारित है। आज के जैट विमान के युग में भी हम सोचते हैं "हमारे देश में दूध दही और शहद की नदियां बहें।" यह निश्चित है कि हमारी अर्थ व्यवस्था गाय पर आधारित है। वैज्ञानिक युग में भी खेती के लिये पशु पालन आवश्यक है। इसी संदर्भ में निदेशक सिद्धान्त बनाये गए थे। भूतपूर्व गृह मंत्री श्री नंदा ने बहुत स्पष्ट एवं निश्चित वक्तव्य दिया था। सरकार इस विषय पर भूतपूर्व गृह मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य पर पूर्ण रूप से अमल करेगी। हालांकि यह आश्वासन देना गृह मंत्री का कार्य है तथापि मैं कहता हूं कि उस नीति में बिल्कुल कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। वास्तव में, इस दिशा में और भी आगे कार्यवाही की गई है। राजस्थान में गोहत्या पर पूर्ण प्रतिबन्ध है। अब उन्होंने राज्य से गाय के निर्यात पर भी पाबन्दी लगा दी है। इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं।

गोहत्या पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये हमें सक्रिय कार्यवाही करनी चाहिये और हमें उचित तरीका अपनाना चाहिये। हमारा तरीका रचनात्मक होना चाहिये। यदि हम गोहत्या पर प्रतिबन्ध चाहते हैं, तो धर्म गुरुओं को अपने आन्दोलन वापस ले लेने चाहियें। यह गोहत्या बन्द किये जाने के हक में होगा कि आन्दोलन वापिस ले लिये जायें, ताकि शांतिमय और सौहार्दपूर्ण वातावरण में सक्रिय उपाय किये जा सके। आशा है कि गृह-मंत्री इस मामले में कोई कसर नहीं उठा रखेंगे।

गोहत्या पर रोक की जिम्मेदारी राज्यों पर डालने के बारे में, मैंने जानबूझकर अपने संकल्प में यह स्पष्ट कर दिया है कि केन्द्रीय सरकार इस बारे में सक्रिय कार्यवाही करेगी यह सच है कि गोहत्या पर रोक राज्य के सहयोग से लगाई जायेगी, परन्तु मैंने विशिष्ट उद्देश्य से ये शब्द रखे है कि केन्द्रीय सरकार "ठोस कार्यवाही" करेगी।

हमें एक दूसरे पर आरोप लगाने अथवा राजनैतिक लाभ उठाने के बजाय समस्या की जड को समझना चाहिये। मैं इसमें से कोई राजनैतिक लाभ नहीं उठाना चाहता हूं। मैं माननीय गृह कार्य मंत्री से अपील करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करें। मैं सभी सम्बन्धित व्यक्तियों से भी अपील करता हूं कि वे आन्दोलनात्मक दृष्टिकोण छोड़ दे मुझे आशा है कि सभा एकमत होकर इस संकल्प को पारित कर देगी।

सभापति महोदय : यह अच्छा होगा यदि माननीय सदस्य मंत्री महोदय के विचार सुन लें यदि कुछ बातें रह गई तो उनको बाद में पूछा जा सकता हैं और उनका उत्तर दिया जायेगा।

श्री वासुदेवन नायर (अम्बलपूजा) : इस विषय पर सदस्यों के विचार अलग अलग हैं।

कुछ विचार व्यक्त किये जा चुके हैं। गृह-कार्य मंत्री को वक्तव्य देने से पूर्व कुछ अन्य विचारों को भी सुनना चाहिये।

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : इस प्रस्ताव को मैंने प्रस्तुत नहीं किया है इस लिये मेरा उत्तर देने का कोई प्रश्न नहीं है। मैं सरकार की नीति की व्याख्या करना चाहता हूं। ऐसा कहा गया है कि 7 नवम्बर को बहुत से पुलिस अधिकारी तथा सिपाही छुट्टी पर थे और गुन्डे कलकत्ता से लाये गये थे। इस बारे में मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि इसमें कुछ सच्चाई नहीं है। यह कहने का भी कोई लाभ नहीं कि उस दिन हुई हिंसा के लिये पुलिस जिम्मेदार है अथवा पुलिस का उसमें कुछ हाथ है। मैं यह बात मानता हूं कि जिम्मेदार नेता, सन्त और महात्मा लोगों, जिन्होंने इस प्रदर्शन में भाग लिया था, का हिंसा करने का कोई इरादा था परन्तु इतने बड़े प्रदर्शन का नियन्त्रण से बाहर हो जाना स्वभाविक है। इस प्रदर्शन को नियंत्रण में रखने के लिये उचित ढंग से संगठित नहीं किया गया। इस प्रदर्शन को संगठित करने वाले दल बाहर से बड़ी संख्या में लोगों को लाये थे। इसलिये सम्भव है कि कुछ समाज विरोधी तत्व इनमें हों।

न्यायिक जांच के लिये की जा रही मांग अनावश्यक है। इसके लिये बिल्कुल भी कोई मामला नहीं है। दोषी सिद्ध होने वाले व्यक्तियों को परिणाम भुगतने होंगे।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : क्या आपको विश्वास है कि श्री नन्दा जी अथवा किसी अन्य के विरुद्ध कोई षडयन्त्र नहीं किया गया था।

श्री यशन्तराव चव्हाण : इस प्रकार का कोई षड़यन्त्र नहीं किया गया था। परन्तु इस प्रदर्शन का हिंसा के लिये प्रयोग करने के लिये निश्चय ही कोई षड़यन्त्र किया गया था। कुछ लोगों ने इस प्रदर्शन को संगठित किया क्योंकि इस प्रकार के संगठन के बिना इस प्रकार की घटना नहीं घट सकती। इन मामलों की जांच की जा रही है। परन्तु जिस प्रकार की न्यायिक जांच की मांगे की जा रही है वह न तो आवश्यक है और न ही व्यवहार्य है। ऐसा करना किसी के हित में भी नहीं है।

Shri Parkash Vir Shastri (Bijnor) : The office of the congress President was also attacked.

श्री यशवन्तराव चव्हाण : उन सभी बातों की अलग अलग जांच की जा रही है। मृतकों के बारे में जांच की गई है क्योंकि इस बारे में सभा में बहुत से आरोप लगाये गए थे। मेरी सूचना के अनुसार वह शव अस्पताल में नहीं था। माननीय सदस्य जो 'फोटोस्टैट' प्रति दिखा रहे हैं वह एक डाक्टर द्वारा एक नर्स को लिखे जाने वाले टिप्पण की है। हमने सम्बन्धित नर्स का वक्तव्य भी लिया था। नर्स का कहना है कि सम्बन्धित टिप्पण उसके पास नहीं लाया गया। यदि कुछ अन्य तथ्य मुझे बताये जाते हैं तो मैं अवश्य ही उनकी जांच करूंगा।

कोई एक मन्त्री सरकार की नीति नहीं बनाता। श्री नन्दा ने सरकार की नीति के अनुसार सभा में वक्तव्य दिया था। अब भी सरकार की वही नीति है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : श्री नन्दा को क्यों बदल दिया गया है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : यह एक अलग प्रश्न है। संविधान में गोवध पर रोक लगाने के सिद्धान्त को स्वीकार किया गया है। सरकार इस उपबन्ध से बाध्य है और इसके परिणाम-

स्वरूप देश के अधिकांश राज्यों में इस नीति को स्वीकार कर लिया गया है और इसको कार्यान्वित किया जा रहा है।

परन्तु इसके साथ साथ संविधान में यह व्यवस्था भी है कि ऐसे मामलों में राज्यों को अपने ही अधिकार प्राप्त हैं। उनके विधान मंडलों को कानून बनाना पड़ेगा।

श्री नन्दा जी द्वारा इस सभा में दिये गये वक्तव्य में यह भी कहा गया है कि वह उन मामलों के बारे में राज्य सरकारों से बातचीत करेंगे। स्वयं नन्दा जी ने इसके बारे में राज्य सरकारों से बातचीत की थी और मैं सभा को आश्वासन दिलाता हूं कि केन्द्रीय सरकार इस मामले में राज्य सरकारों से विस्तार पूर्वक बातचीत करती रहेगी।

श्री वासुदेवन नायर : इसका तात्पर्य यह नहीं है कि राज्य सरकारों पर कोई प्रभाव डाला जायेगा।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : हम लोकतंत्रीय प्रणाली के अनुसार ही इस मामले पर बातचीत करेंगे।

हमारे यह कहने का अर्थ, कि सरकार कोई कार्यवाही करेगी, यह नहीं है कि कोई विधान बनाया जायेगा, अपितु इसका अर्थ यह है कि हम विभिन्न राज्यों के साथ विचार विमर्श करेंगे। हमने राज्यों के साथ बातचीत की है। कुछ राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया अनुकूल रही है। आन्ध्र प्रदेश, आसाम तथा महाराष्ट्र में इस मामले पर विचार करने के लिये समितियां नियुक्त की हैं क्योंकि इस मामले के सभी पहलुओं पर बिचार किया जाना आवश्यक है। केवल कानून बना देने मात्र से समस्या हल नहीं हो सकती है।

हम इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करना चाहते हैं। किन्तु देश में चल रहे आन्दोलनों के कारण इसके लिये ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण नहीं बन पाया है जिसमें कि निर्णय किये जा सके और उन्हें क्रियान्वित किया जा सके। इसके लिये उचित वातावरण तैयार करने के लिये हम सभा का तथा अन्य लोगों का सहयोग चाहते हैं क्योंकि बिना सहयोग के इस सम्बन्ध में कोई निर्णय करने में बड़ी कठिनाई है। कुछ महान व्यक्ति अनशन कर रहे हैं। इन सभी महान् व्यक्तियों के प्रति मेरे हृदय में आदर है। हम सभी महान् शंकराचार्य का आदर करते हैं। किन्तु प्रत्येक सरकार तथा प्रशासन युक्ति संगत आधार पर ही कार्य कर सकता है और युक्ति-संगत निर्णय ले सकता है।

श्री नि० चं० चटर्जी : संघ राज्य क्षेत्रों में क्या स्थिति है ?

श्री यशवन्तराव चव्हाण : कुछ संघ राज्य क्षेत्रों मे, जहां विधान मंडल हैं, बताया है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं। जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है, संसद का सत्र समाप्त होने के बाद तुरन्त इस राज्य क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का अधिनियम लागू कर दिया जायेगा।

इसके लिये सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा करना चाहिये। जो लोग अनशन कर रहे हैं, उन्हें अपना अनशन करने के लिये राजी किया जाना चाहिये। जो लोग व्यर्थ में तनाव का वातावरण पैदा कर रहे हैं, उन्हें अपना आन्दोलनकारी दृष्टिकोण त्याग देने के लिये राजी किया जाना चाहिए। हमें अपनी समस्याओं को बातचीत द्वारा हल करना

चाहिये । इस मामले में न केवल केन्द्रीय नीति ही, अपितु राज्य सरकारों का सहयोग भी अत्यन्त आवश्यक है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि सभा को श्री हरिश्चन्द्र माथुर द्वारा प्रस्तुत किया गया संशोधन स्वीकार कर लेना चाहिए ।

श्री नाम्बियार : क्या आप इस संशोधन को स्वीकार कर रहे हैं ।

श्री यशवन्तराव चव्हाण : जी हां ।

Shri P. L. Barupal (Ganga Nagar) : Sir, so far as the demand for a total ban on cow slaughter is concerned, I fully support it. It is a noble cause. There are certain people who believe only in ideology and do not give practical shape to their principles. There are people who turn out their cows after they have ceased to give milk. I would therefore, emphasise that there should be a provision for penalising such persons, they are no less criminals than those who killed the cow.

Apart from what the Government might do for the cows, there are a number of religious institutions, temples and **Maths**, which possess considerable wealth and which can do a lot for the protection and preservation of cows.

श्री नाम्बियार (तिरुचिरापल्ली) : हम गाय के प्रति प्रेम रखते हैं और हम चाहते हैं उसकी यथा संभव रक्षा की जाये । तथापि इस समूचे प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार करने से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि गोवध पर पूर्ण रोक लगाना ठीक नहीं होगा क्योंकि देश में पहले ही अन्न तथा चारे की कमी है और उसके सामने आर्थिक समस्याएं हैं । हमें गायों से, उनकी पूजा करने वालों से और हिन्दु धर्म की संस्कृति तथा भावनाओं से पूरी हमदर्दी है मेरी हमदर्दी शंकराचार्य के प्रति भी है जो अनशन कर रहे हैं । किन्तु अन्य धर्मों तथा जातियों की भी अपनी अपनी भावनाएं हैं । हमें अपने देश के धर्म निर्पेक्ष होने का केवल दिखावा ही नहीं करना चाहिए ।

सरकार को राज्य सरकारों पर अनिवार्य रूप से गोहत्या बन्द करने के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिये दबाब नहीं डालना चाहिए । यदि ऐसा किया गया, तो उसका कोई प्रभाव नहीं होगा । केरल और मद्रास में इसके विरुद्ध पहले ही आन्दोलन शुरु हो चुका है जहां धारा 144 के अन्तर्गत आदेश लागू किये गये हैं । हमें ऐसा कोई कदम नहीं उठाना चाहिये जो देश के अथवा देश की जनता के हित के अनुकूल न हो इसलिये सरकार को इस दिशा में सोच समझकर पग उठाना चाहिए ।

श्री बाकर अली मिर्जा (वारंगल) : इसमें कोई संदेह नहीं कि गाय के बारे में काफी प्रबल धार्मिक भावना है । धर्म निरपेक्ष राज्य का आधार यह है कि हमें दूसरे के धर्म का भी आदर करना चाहिए । हमारे देश के लाखों भाई यह महसूस करते हैं कि गो वध बन्द होना चाहिए इसको वे अपना एक धार्मिक कर्त्तव्य समझते हैं और इस बारे में उनकी भावनायें काफी प्रबल है । इस बारे में मेरे निजी विचार चाहे कुछ भी हो, परन्तु मैं उनकी भावना का आदर करता हूं और उनकी मांग का समर्थन करता हूं ।

केवल इतनी ही बात नहीं है कि कुछ व्यक्ति भूख हड़ताल कर रहे हैं । एक साधू की मृत्यु हो गई और अन्य का जीवन खतरे में है । इस सभा को जगद्गुरू से यह अपील करनी चाहिए कि वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दें । मैं जगद्गुरू की इस कार्यवाही का समर्थन व

आदर करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह अपने जीवन की किसी उचित और नैतिक कार्य के लिये बलिदान कर दे।

हमारे देश में गोशालाओं की दशा बहुत खराब है। उनमें जो गाय रहती हैं, उनको भर-पेट चारा भी प्राप्त नहीं होता और उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय है। यदि हम सही अर्थों में इस कार्य को करना चाहते हैं तो हमें गायों का बीमा करने के लिये कार्यवाही करनी चाहिये। वृद्धावस्था पेंशन के समान कुछ ऐसे स्थान होने चाहिये जहां पर इन बूढ़ी गायों को रखा जा सके। तिरुपति, पुरी, काशी आदि स्थानों मे लाखों रुपया पड़ा हुआ है। इस रुपये से चारा फार्म खोले जा सकते हैं। बहुत से ऐसे धनवान मारवाड़ी हैं जो बीज फार्म खोलना चाहते हैं। इन बीज फार्मों के स्थान पर ये लोग चारा फार्म खोल सकते हैं और बूढ़ी गायों के रहने के लिये स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं।

मेरा गृह कार्य मंत्री जी से निवेदन है कि इस बारे में कोई कार्यवाही करते समय वे इस बात का भी ध्यान रखें कि गो वध पर प्रतिबन्ध लगान के साथ साथ बूढ़ी और बीमार गायों की देखभाल के लिके कोइ व्यवस्था की जाय।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : सभापति महोदय, गृह-कार्य मंत्री जी ने जो समझौते की भावना व्यक्त करने वाला तथा प्रभावपूर्ण वक्तव्य दिया है, मैं उसका स्वागत करता हूं। इस देश की अधिकांश जनता के दिल में गाय के प्रति आदर का भाव है। अन्य धर्मों के लोगों को हिन्दुओं की भावनाओं का सम्मान करना चाहिये।

महात्मा गाँधी के कथनानुसार हिन्दु धर्म में ही हिन्दुओं के लिये गो वध करने की मनाही है। अन्य धर्म वालों को इस बात का पालन करना अनिवार्य नहीं है। महात्मा गांधी सबसे बड़े हिन्दु थे और इसलिये इनके विचारों का हमारे लिये बहुत महत्व है।

गृह मंत्री ने अपने वक्तव्य में सरकार पर इस प्रकार दबाव डालकर अपनी बात मनवाने के तरीके का विरोध किया है। उन्होंने विरोधी पक्ष के नेताओं से अन्दोलन शुरु न करने और देश के संतों से अनशन न करने की प्रार्थना की है। मुझे आशा है कि वे इस प्रार्थना को स्वीकार करेंगे।

श्री स० मो० बनर्जी ने कहा है कि 7 नवम्बर को जो हुल्लड़बाजी हुई थी, श्री अतुल्य घोष द्वारा कलकत्ता से भेजे गये गुंडों का काम था। संसद सदस्य को किसी को बदनाम करने वाले इस प्रकार के निराधार वक्तव्य नहीं देने चाहिये। फोटोस्टट प्रतियां पेश करना तो एक आम बात हो गई है। जो जाली दस्तखत करके बनाई जा सकती है। हमें सिद्धान्तों के लिये लड़ना चाहिये। अच्छी बातों के लिए लड़ना चाहिए। हमें व्यर्थ की बातों को यहां नहीं उठाना चाहिये।

मैसूर के मुख्य मंत्री, श्री निजलिंगप्पा, द्वारा एक बहुत सुन्दर सुझाव दिया गया है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राज्य को 10 या 20 एकड़ भूमि अलग रख दी जानी चाहिये। उन पर गायों के लिये फार्म बनाये जाय और अमीर आदमी इस कार्य के लिये खुलकर दान दें। जो किसान और अन्य लोग बेकार गायों को बेचना चाहे, वे उनको अच्छे दामो पर बेच सके। इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिये।

हमारे देश में बहुत कम लोगों को अच्छा दूध मिलता है श्री माथुर का संशोधन काफी अच्छा है। उसमें सरकार द्वारा इस दिशा में किये गये प्रयत्नों की सराहना की गई है और सरकार से कहा गया है कि वह अपने इन प्रयत्नों को जारी रखे। संशोधन के दूसरे भाग में सभी अनशनकारियों से अनशन त्यागने के लिये कहा गया है। हमारा देश अनशनों के लिए प्रसिद्ध है। परन्तु अन्धाधुन्ध अनशन नहीं किये जाने चाहिये। मैं देश के संतों से अपील करूंगा कि वे सरकार पर दबाव डालने के लिये अनशनों को हथियार न बना लें। मैं गृह-मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस बात की ओर ध्यान देगे कि इस प्रकार के उपद्रव फिर न हों। पश्चिमी देशों के लोग इन का अनुचित लाभ उठाते हैं।

मेरे विचार से सभा श्री माथुर के संशोधन का समर्थन करेगी।

श्री वासुदेव नायर (अम्बलपुजा) : 7 नवम्बर को हुई घटनाओं के बारे में न्यायिक जांच अवश्य कराई जानी चाहिये। क्योंकि ऐसा करना युक्तियुक्त है।

गोहत्या पर रोक लगाने के बारे में उच्चम न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय से यह स्पष्ट हो गया है कि गोहत्या पर पूर्ण रोक नहीं लगाई जा सकती है।

उन सदस्यों को, जिन्होंने भावना का प्रश्न उठाया है, यह नहीं भूलना चाहिये कि इस देश में कुछ ऐसे भी क्षेत्र और राज्य हैं जहां के अधिकतर लोग गोहत्या पर रोक लगाने के पक्ष में नहीं हैं क्योंकि यह उनका सब से सस्ता खाद्य है। उदाहरणार्थ केरल को ही लीजिये। यहां पर लगभग 50 प्रतिशत मुसलमान और ईसाई रहते हैं जो गोहत्या पर पूर्ण रोक के पक्ष में नहीं हैं। यहां तक कि वहां के हिन्दुओं में भी इस मामले के बारे में इतनी तीव्र भावना नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे लोग गायों का आदर नहीं करते हैं। कौन चाहता है कि दूध देने वाली गायों अथवा बछड़ों को काटा जाये। परन्तु जहां तक नकारा गायों का सम्बन्ध है, यदि गोहत्या पर पूर्ण रोक लगा दी जाती है तो हमारी अर्थ व्यवस्था अस्तव्यस्त हो जायेगी। इस समस्या पर अच्छी तरह से सोच विचार करने के पश्चात ही इसे हल किया जाना चाहिये। यह ठीक है कि यहां हिन्दुओं की बहु संख्या है परन्तु अल्पसंख्यकों की भावनाओं का भी ध्यान रखा जाना चाहिये। आन्दोलनों के नाम पर ऐसी कोई चीज नहीं की जानी चाहिये जिससे हमारी अर्थव्यवस्था पर कुप्रभाव पड़े। इस सारे मामले पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जाना चाहिये। श्री माथुर द्वारा प्रस्तुत किये गये संशोधन को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिये। इस समय जो स्थिति है उसे बनाये रखा जाना चाहिये। इस बारे में राज्यों पर कोई दबाव नहीं डाला जाना चाहिये।

Shrimati Sohodra Bai Rai (Damoh): In Madhya Pradesh, there is total ban on cow - slaughter but there adequate grazing facilities do not exist for the cows with the result that Harijans, Adivasis and other poor people, who used to keep cows in great number, now can not afford to purchase foddar for them and thus they are selling them out. Proper steps should be taken to see that there are sufficient pasture lands. Secondly some restriction should be imposed on such persons who let loose their old bullocks and cows. They are so old that they are not even accepted by cattle - ponds. This results in quarrels among the people.

The agriculturists with small pieces of land cannot make use of tractors and as such we are in need of cows and bullocks. The Prime Minister should therefore declare a complete ban on cow - slaughter. She should see that the persent situation is not taken advantages of by certain elements.

At the same time I will appeal to the religious leaders to give up their fasts.

Shri Bagri (Hissar) : From the treatment meted out to our great saints who are on fast demanding total ban on cow - slaughter, it seems that Government is inciting people to rise in revolt, on small scale so that a major revolt, of the people against famine conditions, starvation and corrupt practices resulted from the wrong policies adopted by Government can be avoided.

The allegation that Swami Rameshwaranand had incited the sadhus to indulge in violence on 7th November, is baseless. There was nothing wrong in Swamiji asking the cow-slaughter demonstrators to surround Parliament. He had not asked anybody to indulge in killing and arson. He should therefore, be released as soon as possible.

In order to avoid a major revolt, of the people, certain elements with in the ruling party itself had engineered this trouble on 7th November and for this purpose certain goondas were hired by them from Calcutta. A conspiracy had been hatched to kill Shri Kamaraj. That is why the Government is now fighting shy instituting a judicial enquiry into the incidents.

Mr. Chairman : Shri Tyagi.

Shri Tyagi (Dehra Dun) : Shri Mathur .... **(Interruptions)**

सभापति महोदय : इस प्रकार का व्यवहार सभा में सहन नहीं किया जा सकता ।

Shri Bagri : You had run away when Shri Rameshwaranand was arrested * * *

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइये ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Mr. Chairman, Sir, I want to point out that I have been called * * * May I tell you * * * It is not good. This should be withdrawn.

श्री राम सहाय पाण्डेय : बहुत खराब शब्द का प्रयोग किया गया है । इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाला जाना चाहिये । इससे माननीय सदस्य का अपमान हुआ है । उन्हें माफी मांगनी चाहिये ।

सभापति महोदय : उस शब्द को निकाला जाये ।

श्री त्यागी : मैं श्री माथुर के संशोधन का समर्थन करता हूं और गृह कार्य मंत्री को बधाई देता हूं कि उन्होंने सरकार की नीति की स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी है । मैं सभा को सूचित करना चाहता हूं कि हम सब ने बैठकर अच्छी तरह से विचार किया है और इस बात पर सहमत हो गये हैं कि गोवध पर रोक लगनी चाहिये । गोवध पर रोक तो लगनी ही होगी । यह ऐसी बात नहीं है जिस पर कांग्रेस को हिचकिचाहट है । वास्तव में कांग्रेस निर्णय कर चुकी है कि गोहत्या बन्द की जानी चाहिये । यह कहना सही नहीं है कि इस प्रश्न पर केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें सो रही है । सभा को विदित ही है कि बिहार में गोवध पर रोक लगाने के लिये कानून बन चुका है । इसी प्रकार गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, जम्मू तथा काश्मीर, राजस्थान तथा दिल्ली में भी कानून बन चुके हैं । हम यह भी निर्णय कर चुके हैं कि जिन राज्यों में कानून नहीं बनाये गये हैं उनके साथ भी हम बातचीत करेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे शीघ्र कानून बनाये । किन्तु केन्द्र के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह किसी राज्य सरकार पर ऐसे मामले के सम्बन्ध में दबाव डाले जो राज्य सूची का विषय है । गृह कार्य मंत्री

अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया ।

***Expunged as ordered by the Chair.

के आज के वक्तव्य को ध्यान में रखते हुए मैं विरोधी दल के सदस्यों को कहूंगा कि वे श्री शंकराचार्य से अनशन तोड़ने का अनुरोध करें । हमारा देश कृषि प्रधान देश है तथा हम गाय के बिना समृद्ध नहीं हो सकते । मुझे आशा है कि लोग गोवध पर रोक लगाने के सम्बन्ध में कांग्रेस सरकार द्वारा की जा रही कार्यवाही का स्वागत करेंगे ।

Shri A. P. Sharma (Buxar) : I appreciate the way according to which Government is proceeding to ban cow slaughter. At the same time I am surprised to see the attitude adopted by the Communist Party of India in this connection. All the parties barring the Communist Party are in favour of ban on cow slaughter. Keeping in view Government's stand in this matter I would appeal to the religious leaders to give up their fast.

Shri Kashi Ram Gupta (Alwar) : It is regretted that Shri Vasudevan Nair has tried to give a communal shape to this matter. In fact, it is a constitutional matter. The State Governments have failed to implement the provisions of the constitution in regard to ban on cow slaughter. The centre should therefore take up this matter and enact a legislation to ban cow slaughter. I would appeal to Government to take immediate action in this direction.

Shri Raghunath Singh (Varanasi) : Some hon. Member had made a mention regarding the removal of an armed Gaurd from the residence of Shri Kamraj. In this connection I would like to submit to the House that armed Gaurd must not have been posted at the residence of Shri Kamraj.

So far as the question to ban cow-slaughter is concerned Congress Party is nc against it. It is the Communist Party which is against it. I want to make it clear that in the party executive we sat together, discussed this matter thoroughly and came to the conclusion that cow slaughter should be banned. I would appeal to Shri Shankaracharya to give up his fast keeping in view the stand taken by Government.

सभापति महोदय : श्री हुकम चन्द कछवाय ।

Shri Hukam Chand Kachhavaiya (Dewas) : I have listened to the speeches made by the hon. Members thoroughly. I have also listened to the speech of the hon. Home Minister. In this speech he has not pointed out ..... (interruptions)

Shri Tulsidas Jadhav (Nanded) : We were told that two minutes will be given to each member. Some Members have not got the time.

कुछ माननीय सदस्य : समय बढ़ाया जाये ।

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत होती है तो हम आधा घण्टा और बैठ सकते हैं ।

श्री राजेश्वर पटेल (हाजीपुर) : सभा में गणपूर्ति नहीं है ।

सभापति महोदय : बार बार घंटी बजाये जाने के बावजुद भी गणपूर्ति नहीं हुई है ।

एक माननीय सदस्य : हमें इस शर्त को हटा देना चाहिये ।

सभापति महोदय : जब अध्यक्षपीठ का ध्यान गणपूर्ति न होने की ओर आकृष्ट किया जाता है तो यह शर्त हटाई नहीं जा सकती । बार बार घन्टी बजाये जाने के बावजूद भी गणपूर्ति नहीं हुई है । इसलिये सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित होती है ।

इसके पश्चात् लोक सभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई ।

The Lok Sabha then adjourned sine die.

P. L. S. 48 LXI. 24. 65.
565

© प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और मुख्य व्यवस्थापक,
श्री अशोक बन्दलिश, अशोका प्रिंटिंग वर्क्स, मोदीनगर द्वारा मुद्रित ।

© 1968, BY LOK SABHA SECRETARIAT.

PUBLISHED UNDER RULES 379 & 382 OF THE RULES OF PROCEDURE & CONDUCT OF BUSINESS IN LOK SABHA (FIFTH EDITION)
&
PRINTED BY
Shri Ashok Bandlish at Ashoka Printing Works, MODINAGAR.